

मध्यप्रदेश वन विभाग

सूचना पुस्तिका

(SET OF MANUALS)

(भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी
“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” की धारा 4(1) (b) के अंतर्गत)

वर्ष—2014

v/; k; 1
i Lrkouk

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4र्फ्फ्रिके प्रावधानों की पूर्ति के लिये मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा इस सूचना पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तिका के प्रकाशन में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विशेष ध्यान रखते हुए, इस प्रयोजन से निर्धारित स्वरूप में इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तिका के तैयार करने में मूल अवधारणा यह रही है कि भारत का कोई भी नागरिक जो मध्य प्रदेश वन विभाग की गतिविधियों की जानकारी की अपेक्षा रखता हो, उसे समस्त मूल सूचनाएं प्राप्त करने में यह सूचना पुस्तिका एक प्रभावी माध्यम बन सके, तथा विशेष जानकारी की आवश्यकता महसूस होने पर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिये सुगमता से संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत कर सके।

इस सूचना पुस्तिका के समस्त अध्याय सामान्यतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन की दृष्टि से सूचना पुस्तिका तैयार करने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार रखे गये हैं। विभाग की फ़ियाकलापों एवं विशिष्टताओं के अनुरूप विषयों के में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किये गये हैं, ताकि यह पुस्तिका संदर्भ की दृष्टि से सुगम सावित हो सके।

vfrfjDr l puk i klr dju s dh fof/k

सूचना पुस्तिका के संबंध में और विवरण प्राप्त करने हेतु प्रधान मुख्य वन संक्षक कार्यालय सिंमन्वय कक्षक्रसे सम्पर्क किया जा सकता है। इस पुस्तिका में सम्मिलित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य सूचना की आवश्यकता होने पर विभाग मुख्यालय स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक सिंमन्वयक्रसे सम्पर्क किया जा सकता है। क्षेत्रीय स्तर की विभिन्न जानकारियों हेतु प्रत्येक जिला/ उप संभाग स्तर पर नामांकित लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों से भी नियमानुसार सूचनाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

इस प्रकार की अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रिया मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार फ़ीस तथा अपीलक्रनियम, 2005 के अनुसार होगी।

v/; k; 2 ½; ¾y & ch&i½
I &Bu d½ fof' kf"V; k½ dR; , oa drD;
(Particulars of organization, functions and duties)

Hifedk

मध्यप्रदेश में वन विभाग का प्रशासन अगस्त 1860 में वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ तथा कर्नल जी.एफ. पियर्सन की प्रथम वन संरक्षक के रूप में नियुक्ति की गई। वर्ष 1862 में पड़त भूमि नियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत सागौन, साल, शीशम व बीजा की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। स्थापना के दौरान वन विभाग को सड़कों का अभाव, प्राथमिक स्तर की विरल अधोसंरचना, भूमि अधिकारों की अनिश्चय स्थिति तथा संचार तंत्र के अभाव के कारण वनों के संरक्षण में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। वर्ष 1863 में ब्रैन्डिस ने कर्नल पियर्सन के साथ राज्य के वनों का निरीक्षण किया तथा वन नीति के निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया –

1. वन्य रिजर्व का सीमांकन,
2. वनों की अग्नि से सुरक्षा, एवं
3. वन राजस्व में वृद्धि के स्रोतों का पता लगाना

उक्त नीति के अंतर्गत होशंगाबाद मंडल के बोरी के वनों को वर्ष 1865 में देश का प्रथम रिजर्व घोषित किया गया। वन विभाग के अधीन लिये गये क्षेत्र को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिये भारतीय वन अधिनियम 1865 बनाया गया, जिसमें 1875 व 1878 में संशोधन किए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत शासन के अधीन वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया। इस समय शासन की घोषित नीति के अनुसार श्रेणी एक के रिजर्व को बढ़ाना, संरक्षित करना तथा उनमें सुधार लाना था। श्रेणी एक के रिजर्व के अतिरिक्त अन्य वनों को श्रेणी दो के रिजर्व के रूप में रखा गया, जिसका इस प्रकार प्रबंधन करना था कि जलार्ह, चारा व अन्य वनोपज की स्थानीय मांग की पूर्ति हो सके।

वर्ष 1865 में पातन के पूर्व वृक्षों की चिन्हांकन की व्यवस्था की गई तथा 1868 में प्रांत में सागौन वृक्षारोपण प्रारंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा 1894 में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अंतर्गत कार्य आयोजना तैयार कर वनों का सुव्यस्थित प्रबंधन करना था। उस समय तैयार की गई कार्य आयोजनाएं अत्यंत साधारण थीं, तथा उनमें पर्याप्त आंकड़ों का अभाव था। फिर भी इन कार्य आयोजनाओं ने भविष्य में विस्तृत कार्य आयोजना बनाने की आधारशीला रखी थी।

उत्तरोत्तर वर्षों में वन प्रबंधन के सिद्धांतों का विकास हुआ तथा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1947 में देश में पहली बार मध्यप्रदेश में एक वन नीति समिति का गठन किया गया। मध्यप्रदेश वन नीति समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप मई 1952 में प्रकाशित राष्ट्रीय वन नीति के निर्माण में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। वर्ष 1965 में तेन्दूपत्ता व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके अंतर्गत तेन्दूपत्ता व अन्य लघुवनोपजों के संग्रहण कार्य में आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों की आय तथा जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का मार्ग खुला। इसी तारतम्य में वर्ष 1971 में प्रमुख इमारती लकड़ी का, वर्ष 1973 में बांस व्यापार का, एवं वर्ष 1975 में साल बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे वनों की सुरक्षा सुगम हुई एवं वन राजस्व में भी वृद्धि हुई।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश की वन सम्पदा जैव विविधता से परिपूर्ण है। प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश के दृष्टिगत प्रदेश की अपनी वन

नीति वर्ष 2005 में जारी की गई। इस नीति में इमारती एवं जलालकड़ी तथा बांस के अधिकाधिक उत्पादन के साथ ही जैव विविधता संरक्षण व लघु वनोपज का विनाश-विहीन विदोहन तथा प्राप्त वनोपज का प्रसंकरण कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने तथा विपणन व्यवस्था का विकास करने के प्रावधान किये गये हैं। औषधीय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत इनका संरक्षण एवं संवर्द्धन नई वन नीति के तहत सुनिश्चित किया जायेगा। इस नीति में वन्य प्राणी संरक्षण के साथ ही प्राकृतिक धरोहर स्थलों का संरक्षण तथा ईको-टूरिज्म के विकास को भी समुचित महत्व दिया गया है। वन प्रबंध के साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता के दृष्टिगत संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा लेते हुये प्रदेश की नई वन नीति में वनों के आदर्श प्रबंधन की आधारशिला रखी गई है, जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में वनोपज की जरूरतें पूरी करने के साथ ही वनवासियों के जीविकोपार्जन के उपायों में वृद्धि तथा गांवों में कुटीर उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

संक्षेप में, मध्यप्रदेश में वन विभाग का दायित्व राज्य वन नीति 2005 के अनुसार निम्न शब्दों में निरूपित किया गया है :—

“प्रदेश के पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुये वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं संवहनीय उपयोग के लिये युक्तियुक्त वैधानिक एवं संरक्षण ढांचे से वनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन एवं भू-जल संरक्षण के साथ-साथ वनाश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ताकि वन संसाधनों के विकास के साथ-साथ इन समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके।”

foHkkxh; | j puk

वन विभाग की गतिविधियां मुख्यालय स्तर पर विभिन्न शाखाओं के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। विभाग प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक इन शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशानिर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अतंगत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं। इनके अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक विन्य प्राप्तीक्रद्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर वन्य प्राणी संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक किर्ति आयोजना एवं वन भू-अभिलेख क्रद्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजना पुनरीक्षण के कार्य का नियंत्रण किया जाता है।

ou foHkkx ds er[; ky; Lrj ij dk; Jjr 'kk[kk,-

- कार्य आयोजना
- सूचना प्रौद्योगिकी
- वन —भू अभिलेख
- समन्वय
- वन्यप्राणी
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रशासन — एक
- प्रोजेक्ट्स
- प्रशासन — दो
- भू—प्रबंध
- विकास
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबन्धन एवं वन विकास अभिकरण
- संरक्षण
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- उत्पादन
- नीति विश्लेषण इकाई
- वि । एवं बजट
- आजीविका
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी

{ks=h; dk; kly;

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

{ks=h; bdkb; k; dk i dkj}	I {k; k	bdkb; k
क्षेत्रीय वन वृत्ति	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, छतरपुर, शहडोल, सिवनी, शिवपुरी एवं उज्जैन।
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, छतरपुर, शहडोल, सिवनी, शिवपुरी एवं उज्जैन।
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्ति	11	भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झावुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल।
कार्य आयोजना आंचलिकक्र	3	भोपाल, जबलपुर एवं इन्दौर।
राष्ट्रीय उद्यान	10	कान्हा मिंडलाक्र बांधवगढ़ रिंमरियाक्र पेंच फिसिवनीक्र पन्ना, सतपुड़ा पिंचमढ़ीक्र संजय रिंडीक्र वन विहार भीपालक्र माधव फिंशिवपुरीक्र फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान फिंडोरीक्र एवं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बाग धारक्र
क्षेत्रीय वनमंडल	63	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ओबेदुल्लागंज, छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, पूर्व छिंदवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा, दक्षिण छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, होशंगाबाद, हरदा, इंदौर, धार, झावुआ, अलीराजपुर, जबलपुर, कटनी, पश्चिम मण्डला, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, सेंधवा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगराली, उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, नरसिंहपुर, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, अनुपपूर, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, एवं शाजापुर।
उत्पादन वनमंडल	13	mRi knu ou eMy – उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, बैतूल, रायसेन, छिंदवाड़ा, हरदा, मण्डला, डिण्डौरी, खण्डवा, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, देवास एवं विद्युत वन मंडल, नई दिल्ली।
वन विद्यालय / वन प्रशिक्षण संस्थान	9	वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट, वन विद्यालय शिवपुरी, अमरकंटक एवं बैतूल; गोविंदगढ़, झावुआ, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन फिसिवनीक्र इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी, जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला रिंमरियाक्र

foHkkxh; veYk

वन विभाग की नवीन संरचना दिनांक 03.04.2008 को स्वीकृत की गयी। स्वीकृति अनुसार पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

in	I q; k
1. वनरक्षक	13,997
2. वनपाल	4,184
3. उप वन क्षेत्रपाल	1,257
4. वन क्षेत्रपाल	1,192
5. सहायक वन संरक्षक	358
6. लिपिकीय	2,829
7. चतुर्थ श्रेणी	1,165
8. विविध अन्य	731
9. विविध राजपत्रित	24
dly	25]737

Hkkj rh; ou | sk

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रलय कार्मिक और प्रशिक्षण विभागक्रमी की अधिसूचना मांक 16016 / 03 / 2008 ए.आई.एस-दो रिक्तियां दिनांक 26 अगस्त 2008 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग निम्नानुसार पुनरीक्षण किया गया है —

in	I q; k
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	3
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	10
मुख्य वन संरक्षक	68
वन संरक्षक	34
उप वन संरक्षक	65
dly ofj "B in	180
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45
प्रशिक्षण रिजर्व	6
छुट्टी रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व	29
dly i kf/kd'r I q; k	296
पदोन्नति से भरे जाने वाले पद	89
सीधी भरती से भरे जाने वाले पद	207
; kx	296

v/; k; 2 ½; v/y & ch&i½
 vf/kdkfj ; ka vkJ deþkfj ; ka dh 'kfDr ; ka , oa drD;
(Powers and duties of officers and employees)

वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन में वन वित्तीय नियम, वित्तीय कोड़ तथा अन्य संगत नियमों एवं अनुदेशों का पालन करते हुये कर्तव्य निर्वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वन अधिनियमों तथा नियमों के अंतर्गत पृथक—पृथक स्तर के लिये अधिकार एवं शक्तियां निर्धारित हैं, जिनका पालन किया जाता है।

वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिये समय—सीमा निर्धारित की गई है, जिसका कर्तव्य निर्वहन के समय क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पालन करना अपेक्षित होता है। इस प्रकार की कुछ सामान्य परिसीमाएं निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं :—

rkfydk 3-1 & मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वन विभाग की सेवाएं

I ok Øekd	I ok, a	i nkflkfgr vf/kdkjh dk i nuke	I ok i nku dj us dh fuf' pr l e; l hek	i fke vihy vf/kdkjh dk i nuke	i fke vihy ds fujkdj .k dh fuf' pr dh xbz l e; l hek	f}rh; vihy i kf/kdkjh dk i nuke
1	2	3	4	5	6	7
10.1	वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्रधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.2	वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्रधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्यप्राणियों से पशुहानि हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्रधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान। 1. डिपो में काछ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण	वनमंडलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उित्पादनक्र
	2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण	वनमंडलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उित्पादनक्र

10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना।	1. शासकीय काष्ठागार हेतु – काष्ठागार अधिकारी / परिक्षेत्रधिकारी	3 कार्य दिवस	उप वनमण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी / विनिर्माता हेतु – परिक्षेत्रधिकारी	10 कार्य दिवस	उप वनमण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमण्डलाधिकारी
		3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु – उप वनमण्डलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक

तालिका 3.2 : विभिन्न गतिविधियों के लिये निर्धारित समय—सीमा

00	dk; l fooj .k	i Hkkjh vf/kdkjh dk Lrj	l e; l hek	l e; l hek es ugh fui Vk; s tkus ij fdI s f' kdk; r dh tk;	f' kdk; r ds fuj kdj .k dh l e; l hek
----	---------------	----------------------------	------------	---	--

सामान्य कार्य

1	मजदूरी का भुगतान	वनक्षेत्रपाल	कोषालय से देयक परित होने के एक सप्ताह में	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
3	परिवहन ठेकों की स्वीकृति	वन मण्डलाधिकारी	औपचारिकतायें पूर्ण करने के 15 दिन के भीतर	वन संरक्षक	15 दिवस
4	परिवहन बिलों का भुगतान	वन मण्डलाधिकारी	एक माह में	वन संरक्षक	15 दिवस
5	विशेष वनोपज का स्वीकृति आदेश	वन मण्डलाधिकारी	राशि जमा करने 15 दिन	वन संरक्षक	15 दिवस
6	असफल बोलीदार की सत्यंकार की राशि वापसी	सत्यंकार अधिकारी	नीलामी के 7 दिन में	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
7	कार्योपरान्त जमानत राशि की वापसी	वन मण्डलाधिकारी	अनुबंध अवधि के एक माह में	वन संरक्षक	15 दिवस
8	खुली दरों पर परिवहन, आवेदन का निराकरण	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
9	वाहन मरम्मत का भुगतान	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	15 दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
11	वाणिज्यक अनुसूची दर, वनोपज तथा निस्तार दरों का निर्धारण।	वन संरक्षक	मार्च के दर के आधार पर मई के अन्त तक दरे निर्धारित की जायेगी	मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन सतपुड़ा भवन भोपाल	15 दिवस
12	य की गई भण्डार, सामग्री का भौतिक सत्यापन	य करने वाले अधिकारी	15 दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
13	य की गई भण्डार सामग्री का भुगतान	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	भौतिक सत्यापन के 7 दिवस में	वन संरक्षक	15 दिवस
14	विभिन्न वनोपज के परिवहन जारी अनुज्ञा पत्र जारी करना।	सक्षम अधिकारी	एक दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
15	राजस्व वापसी	भुगतान कर्ता अधिकारी	15 दिन में आदेश तथा 15 दिन में भुगतान	वन संरक्षक	15 दिवस
16	लघु वनोपज हेतु संग्रहण राशि का भुगतान	वनक्षेत्रपाल	एक सप्ताह में संग्रहित मात्र हेतु आगामी सप्ताह के अन्त तक	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
17	तेन्दुपत्ता श्रमिकों की समूह वीमा योजना राशि का भुगतान, वीमा कम्पनी स्तर से प्रकरण स्वीकृत होने परक्र	वन मण्डलाधिकारी	एक माह	वन संरक्षक	15 दिवस

dejkfj ; k dhl | okfuofRr@ eR; q gkus i j ns LoRok dk fujkdj .k

18	अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिवस
19	उपादान एवं पेंशन	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिवस
20	परिवार कल्याण निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिवस
21	सामान्य भविष्य निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिवस
22	परिवार अनुग्रह राशि अक्सरेसिया	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष	07 दिवस
23	अन्य भुगतान	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष	15 दिवस

अध्याय 2 मिन्युअल – बी-iiiक्र

निर्णय लेने की प्रक्रिया

(Procedure followed in decision making process)

वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिये प्रक्रिया निर्धारित है। सामान्य जन से संबंधित विभिन्न प्रचलित प्रावधानों का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार हैं:-

ताक्ष्यह त्कुओज्का }क्जक तुग्क्फु व्हक्कोक इ 'क्ग्क्फु %

जंगली जानवरों द्वारा जनहानि अथवा पशुहानि की घटना होने पर निम्न व्यवस्था परिचलित हैं:-

किंक्र पशु हानि के प्रकरणों में घटना के 48 घंटे के अंदर नजदीकी परिक्षेत्र कार्यालय में आवेदन प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। क्षतिपूर्ति का भुगतान राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

खिंक्र जन हानि के प्रकरणों में निकटतम पुलिस थाने में सूचना दर्ज करना अनिवार्य होता है। राशि रूपये 1000 रुपये एक हजार मात्रक्रत्त्वाल अग्रिम प्रदाय की व्यवस्था हैं, तथा ऐसे प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्रक्र स्वीकृत की जाती है।

गिंक्र जन घायल चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर राशि रूपये 500 रुपये पांच सौ मात्रक्र अग्रिम प्रदाय की जा सकती है, एवं इलाज पर व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक माह की अवधि में क्षतिपूर्ति भुगतान अधिकतम राशि रूपये 30,000 रुपये तीस हजार मात्रक्र तक के भुगतान का प्रावधान है।

धिंक्र स्थाई रूप से अपंग होने पर राशि रूपये 1,00,000 रुपये एक लाख मात्रक्र एवं इलाज पर हुआ व्यय स्वीकृत करने का प्रावधान है।

राज्ञी उक्क इक्को छेक %

तेन्दूप ग संग्राहक बीमा मृतक के वैध वारिस के द्वारा समिति या परिक्षेत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर निम्न व्यवस्था अनुसार किया जाता है :-

- परिक्षेत्र से प्रबंध संचालक कार्यालय में आवेदन का प्रस्तुतीकरण।
- प्रबंध संचालक कार्यालय से जीवन बीमा निगम को प्रकरण प्रस्तुतीकरण।
- जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा राप्रि का डो ट प्रबंध संचालक को भेजना
- प्रबंध संचालक के द्वारा वैध वारिस को डो ट का प्रदाय।

०; कि क्षह@फुलेक्क द्क इ अह; उ%

व्यापारी/विर्तिमाता के पंजीयन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निरूपित है :-

- निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुतीकरण।
- आवेदक के कार्य का परीक्षण वन मंडलाधिकारी या अधीनस्थ द्वारा।
- पंजीयन लियायसेसक्रका प्रदाय।

vkj k e' khuk^a dk i^{at} h; u %&

- आरा मशीनों के पंजीकरण के संबंध में वैधानिक प्रावधान मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान फ़िविनियमनक्र अधिनियम , 1984 की धारा 4,6 तथा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान फ़िविनियमनक्र नियम, 1984 की धारा 3,4 में निहित हैं ।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में वर्तमान में किन्हीं भी नयी आरा मशीनों का पंजीकरण किये जाने पर रोक है ।

वर्तमान में वर्ष 1996 की स्थिति में चल रहीं आरा मशीनों के ही स्वामित्व परिवर्तन की अवस्था में अन्तरण की अनुमति दी जाती है । यह अनुमति निम्न शर्तों के अधीन रहती है :—

- 1— आरा मशीन के स्थानान्तरण एवं नामांतरण की अनुमति उस अनुज्ञाप्ति अधिकारी विनमण्डलाधिकारीक्रद्वारा जारी की जावेगी जिसके क्षेत्र में आरा मशीन स्थित हो ।
- 2— यदि आरा मशीन का स्थानान्तरण किसी अन्य वन मण्डल के लिये आवेदित हो तो अनुमति जारी करने से पूर्व उस वन मण्डलाधिकारी की सहमति अनिवार्य होगी जिनके क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो ।
- 3— यह अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जावेगी :—

किंक्रविभिन्न प्रकार की मशीनों बिंड सॉ, पीलिंग मशीन, स्लाइसर मशीन आदिक्री संख्या में वृद्धि/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

र्खिकप्रतिबंधित क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

र्गिक्रआरा मशीन की क्षमता में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

र्धिक्रअनुज्ञाप्ति के दो फाड (Splitting) की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

डिंक्रनामांतरण के प्रकरणों में भावी मालिक को आरा मशीन चालू करने से पूर्व वन विभाग से

अनुज्ञाप्ति प्राप्त करना होगी ।

र्खिक्रऐसे व्यक्तियों के पक्ष में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा जिनके विरुद्ध पूर्व में वन अपराध

पंजीबद्ध किये गये हों , या अन्य किसी कारण से उन्हें अयोग्य माना गया हो ।

र्छिक्रऐसी आरा मशीनों के स्थानान्तरण/ नामान्तरण/ नवीनीकरण के आवेदन पर विचार नहीं

किया जावेगा जो मा. सर्वोच्च न्यायालय के 12-12-96 के आदेश के परिपालन में न्यायालय में प्रस्तुत सूची में शामिल नहीं हैं ।

ou vi jk/k i idj . k ½ h0vk0vkJ 0% , oa mudk I jkkj . k %&

वन अपराध घटित होने की अवस्था में अपराधी के विरुद्ध वन विभाग के द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के लिये जो प्रतिवेदन सर्व प्रथम तैयार किया जाता है उसे पी ओ आर Preliminary Offence Report प्रिंरिंगिक अपराध प्रतिवेदनक्र कहते हैं । यह प्रतिवेदन अपराध प्रकरण का संज्ञान लेने वाले अधिकारी जो कि प्रायः वन रक्षक , वनपाल व वन क्षेत्रपाल स्तर के होते हैं , के द्वारा तैयार किया जाता है । इसमें वन अपराधी का नाम, किये गये अपराध का संक्षेप में विवरण, अपराधी से जप्तशुदा वनोपज, वाहन, औजार इत्यादि का विवरण दिया जाता है । इसके साथ मौका पंचनामा ,

जप्तीनामा और अपराधी के द्वारा प्रकरण में चाहे जाने की अवस्था में वन विभाग को दिये गये राजीनामा की प्रतियों भी संलग्न की जाती हैं।

वन अपराध का संज्ञान लेने के उपरान्त संज्ञान लेने वाले अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रकरण की सूक्ष्म जांच की जाती है और अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय में दिया जाता है या फिर अपराधी की इच्छा पर वन विभाग के द्वारा ही रायल्टी, कम्पन्सेशन तथा वाहन इत्यादि का मूल्य लेकर प्रकरण कम्पाउन्ड किया जाता है। कम्पाउन्ड करने की प्रक्रिया पूरी तरह अपराधी की इच्छा पर निर्भर रहती है और इसके लिये अपराधी के द्वारा वर्णित तीनों राशियों का भुगतान किया जाना अनिवार्य रहता है। न्यायालयीन प्रकरण में मानो न्यायालय द्वारा पारित आदेश ही विधिवत प्रक्रिया अनुसार मान्य होता है।

- अपराध को न्यायालय अथवा विभाग द्वारा कम्पाउन्ड किये जाने पर ही प्रकरण समाप्त हुआ मान्य किया जाता है।
- पी ओ आर प्रकरण में राजीनामा मान्य किये जाने के लिये अविर्निर्दिष्ट वनोपज के लिये उप वनमण्डलाधिकारी स्तर के अथवा विधि प्रक्रिया की परीक्षा उत्तीर्ण वन परिक्षेत्रधिकारी एवं विर्निर्दिष्ट वनोपज के लिये संबंधित वन मण्डलाधिकारी अधिकृत रहते हैं।
- जॉच के समय अभिलेख प्रायः क्षेत्र के परिक्षेत्र सहायक के पास अथवा वन क्षेत्रधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। जॉच उपरान्त प्रकरण के अनुसंधान एवं आगे की कार्यवाही हेतु यह समस्त अभिलेख उप वनमण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं।

i f j ogu vuKK i = %&

वनोपज के परिवहन के लिए सामान्यतः परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता रहती है। इसके संबंध में विस्तृत प्रावधान मध्य प्रदेश भारतीय अधिनियम 1927, मध्य प्रदेश विर्निर्दिष्ट वनोपज विनियमनक्र अधिनियम 1969, मध्य प्रदेश तेन्दूपत्ता अधिनियम 1964 और उनके अधीन बनाये गये विनियमन में किया गया है।

म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम 2000 की धारा 4 में संशोधन 16 मई 2005, 21 दिसम्बर 2006, 11 अप्रैल 2007 के अनुसार :

रिक्रिशासकीय वनोपज के पास वन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये जावेंगे।

रिक्रिनिम्न प्रजातियों के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी :—

रिक्रिनीलगिरी रिक्रिखमेर रिक्रिकेजूरिना रिक्रिसुबबूल रिक्रिपॉपलर रिक्रिइज़राइली बबूल रिक्रिबबूल रिक्रिविलायती बबूल। आयातित / शंकुधारी काष्ठ जो म.प्र. में नहीं पायी जाती है — चीड़, केल, देवदार, एवं पाइन।

रिक्रिकुलू गोंद तथा लाख को छोड़कर हर्ष तथा अन्य समस्त प्रकार की गोंद, अविर्निर्दिष्ट लघु वनोपज परिवहन पास से मुक्त रहेंगे।

रिक्रिकटंग बांस से भिन्न बांस के पास खण्डवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, सीधी जिले में वनाधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे, शेष जिलों में ग्राम पंचायत पास जारी करेगी।

रिक्रिग्राम पंचायत जिले के अन्दर परिवहन पास जारी करेगी। जिले के बाहर वनाधिकारी द्वारा पास जारी किये जावेंगे।

रिक्रिलोक वानिकी के प्राप्त वनोपज के पास भी उपरोक्तानुसार जारी हों।

रिक्रिप्शन अभिलेख सहित आवेदन देने के 30 दिन में जारी किया जावेगा।

/kkjk & 5 ds vuq kj & vfhkogu i kl tkjh djus ds fy; s Qhl fu; r dh xbz gs
tks fuEukud kj gs %&

Øekd	ouksi t	'kVd : i ; s		
		i fr Vd	i fr VDVj	i fr cSyxkMh
1	इमारती काष्ठ/ साल बीज	100	50	10
2	जलां लकड़ी	50	25	05
3	अन्य लघु वनोजप	25	10	2

i f j ogu vuKk i = i nk; %

परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रदाय की व्यवस्था निम्नानुसार है :-

- आवेदन का प्रस्तुतीकरण।
- वनोपज का सत्यापन वन मंडलाधिकारी या अधीनस्थ के द्वारा।
- परिवहन अनुज्ञा पत्र का प्रदाय।

v/; k; 2 ½; w/ & ch&iv½

dR; k; ds fuo½gu ds fy, LFkkfi r ekud@ fu; e
(Norms set by it for the discharge of its functions)

विभाग की प्राथमिकताएं वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है ताकि जैव विविधता को बनाये रखते हुए वनों का संरक्षण व संवर्धन किया जा सके, नमी व भूमि का संरक्षण हो सके, स्थानीय जनता को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें तथा वन आधारित उद्योगों को संवहनीय रूप से कच्चे माल की पूर्ति की जा सके एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जा सके। उपरोक्त दायित्वों की पूर्ति हेतु विभाग की निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है :-

1. वनों की सुरक्षा।
2. वनों का विकास तथा बिंगड़े वनों का सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाना।
3. जैव विविधता संरक्षण।
- 4 वनेत्तर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
5. बिंगड़े वनों के सुधार हेतु पूंजी निवेश को बढ़ावा देना।
6. वैज्ञानिक विधि से वनों का समयबद्ध विदोहन कर वनोपज को समय से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
7. समय पर निस्तार प्रदाय की व्यवस्था करना।
8. भूमि स्वामी क्षेत्र पर उपलब्ध वनोपज के विदोहन एवं निवर्तन हेतु लाभकारी प्रणाली स्थापित करना।
9. वनोपज के निवर्तन से राजस्व अर्जन करना।
10. उपरोक्त समस्त दायित्वों को पूर्ण करने हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
11. सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना।

वन अधिकारी संगत अधिनियमों, नियमों, अनुदेशों तथा मेनुअल के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इन अधिनियमों, नियमों आदि के सबंध में इस सूचना पुस्तिका में अन्यत्र वर्णन किया गया है। विभाग के अंतर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों में विभागीय कार्य स्थानीय तौर पर उपलब्ध मजदूरों द्वारा सम्पन्न कराये जाते हैं। मजदूरी के भुगतान में राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार पालन किया जाता है तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक विभिन्न विभागीय कार्यों के लिये दरों का निर्धारण करते हैं। इन दरों की सूची संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

v;/ k; 2 ½; ꝑy & ch&v½
 dR; k ꝑ ds fuokgu grqfu; e] fofu; e] vuqñk]
 funf' kdk vkg vfHkys[k

(Rules, regulations, instructions, manual and records, for discharging functions)

० त्यों का निर्वाहन निम्नलिखित नियमों, अधिनियमों एवं अनुदेशों और अभिलेखों के आधार पर किया जाता है :—

vf/kfu; e

1. भारतीय वन अधिनियम 1927
2. भारतीय वन मिं.प्र. संशोधनक्रअधिनियम 1965
3. भारतीय वन मिं.प्र. संशोधनक्रअधिनियम 1983
4. भारतीय वन मिं.प्र. संशोधनक्रअधिनियम 1989
5. म.प्र. वन उपज र्ध्यापार विनियमनक्रअधिनियम 1969
6. म.प्र. वन उपज र्ध्यापार विनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 1972
7. म.प्र. वन उपज र्ध्यापार विनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 1983
8. म.प्र. वन उपज र्ध्यापार विनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 1986
9. म.प्र. वन उपज र्ध्यापार विनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 1990, 2006
10. म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम 1973
11. म.प्र. कराधान अधिनियम 1982
12. म.प्र. कराधान सिंशोधनक्रअधिनियम 1984
13. म.प्र. काष्ठ चिरान र्ध्येनियमनक्रअधिनियम 1984
14. म.प्र. काष्ठ चिरान र्ध्येनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 2003
15. म.प्र. वनउपज करारों का पुनरीक्षण सिंशोधनक्रअधिनियम 1996
16. वन संरक्षण अधिनियम 1980
17. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972
18. म.प्र. वृक्षों का परिरक्षण निगरीय क्षेत्रक्रअधिनियम 2001
19. म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम 2001
20. म.प्र. प्रदेश तेन्दु पत्ता अधिनियम 1964
21. म.प्र. प्रदेश तेन्दु पत्ता अधिनियम 1989
22. म.प्र. प्रदेश वनोपज र्ध्यापार विनियमनक्रअधिनियम 1969
23. म.प्र. प्रदेश वनोपज र्ध्यापार विनियमनक्रअधिनियम 1983
24. म.प्र. प्रदेश वनोपज र्ध्यापार विनियमनक्रअधिनियम 1986
25. म.प्र. प्रदेश वनोपज र्ध्यापार विनियमनक्रअधिनियम 1990
26. म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010

fu; e

1. म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 1961
2. म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 1961 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक / फ-30-40-95 एक्स-3ईक्रदिनांक 19.10.95 द्वारा किया गया संशोधन
3. म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमनक्रनियम 1969
4. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 18-1-96-दस-3 दिनांक 22 मार्च 1997 द्वारा म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमनक्रनियम 1969 में संशोधन
5. म.प्र. वन उपज व्यापार विनियमनक्रपरामर्शदात्री र्मित्रणाक्रसमिति तथा मूल्य प्रकाशन नियम 1969
6. म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमनक्रकाष्ठ नियम 1973
7. म.प्र. काष्ठ चिरान विनियमनक्रनियम 1984
8. म.प्र. काष्ठ चिरान विनियमनक्रसंशोधन नियम 2000
9. म.प्र. वन विकास उपकर नियम 1982
10. म.प्र. संरक्षित वन नियम 1960, म.प्र. संरक्षित वन नियम 2005
11. म.प्र. चराई नियम 1986
12. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 3944-दस-3-88 दिनांक 03 सितम्बर 1988 द्वारा म.प्र. चराई नियम 1986
13. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 3663-दस-3-89 दिनांक 11 अगस्त 1989 द्वारा म.प्र. चराई नियम 1986 में संशोधन
14. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 18-3-90-दस-तीन दिनांक 09 जनवरी 1991 द्वारा म.प्र. चराई नियम 1986 में संशोधन
15. मांक एफ 7-4-2001-दस-3, दिनांक 21 मई 2002 मांक एफ 7-4-2001-दस-3, दिनांक 21 अगस्त 2009 संशोधन
16. द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
17. म.प्र. वन ग्राम नियम 1977
18. म.प्र. वन ग्राम नियम 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक एफ-5 / 127 / 76 / 3 / दस दिनांक 04.01.1980 द्वारा संशोधन
19. म.प्र. वन ग्राम नियम 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 3081 / 3026 / 90 / 10-3 दिनांक 04.01.1980 द्वारा संशोधन।
20. म.प्र. वन ग्राम नियम 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 2008-दस-3-99 दिनांक 31.07.99 द्वारा संशोधन
21. म.प्र. वन्य प्राणी संव्यवहार तथा चमड़ा साफ करने की कला र्चिमशोधक्रनियम 1973
22. म.प्र. वन्य प्राणी सिंरक्षणक्रनियम 1974
23. म.प्र. फारेस्ट फिर्म आफ अपीलक्रनियम 1988
24. म.प्र. वन भूमि शाश्वत पटटा प्रति संहरण नियम 1974
25. म.प्र. इमारती लकड़ी बिना स्वामी की बिहती हुई, अटकी हुई, ढूबी हुई, किनारे लगी, बिना दावा कीक्रनियम 1986
26. म.प्र. में अंगीकृत वन संविदा नियम 1927 जो म.प्र. शासन की अधिसूचना मांक 2388-दस-59 दिनांक 27.03.59 द्वारा बनाये गये।
27. वन वित्तीय नियम एफ.एफ.आर.क्र
28. कोषालय संहिता
29. भण्डार य नियम
30. म.प्र. वन सुरक्षा पुरुस्कार नियम 2004
31. तेन्दू पत्ता व्यापार विनियमनक्रनियमावली 1966
32. तेन्दू पत्ता व्यापार विनियमनक्रनियमावली 2000
33. म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमनक्रनियम 1969
34. म.प्र. वन उपज जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाईक्रनियम 2005

35. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक एफ 15/9/10-3/ 2001, दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
36. मांक एफ 30-7-99-दस-3, दिनांक 6 सिम्बर 2001 द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
37. मांक एफ 28-1-2003-दस-3, दिनांक 24 जून 2003 द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
38. 19 अक्टूबर, 2001 द्वारा संशोधन
39. दिनांक 16 मई 2005 द्वारा द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
40. मांक एफ 30-8-2002-दस-3, दिनांक 21 दिसम्बर 2006 द्वारा विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन 11 अप्रैल, 2007 द्वारा संशोधन
41. मांक एफ 30-7-99-दस-3, दिनांक 25 अप्रैल 2008 द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
42. कृपया एफ-30-7-99-दस-3 दिनांक 10 अगस्त 2009
43. म.प्र. काष्ठ चिरान फिविनियमनक्रअधिनियम 2004 में दिनांक 19 नवम्बर 1984 द्वारा संशोधन
44. मांक 18-3-85-दस-3, दिनांक 4 अक्टूबर 1985 द्वारा काष्ठ चिरान अधिनियम में संशोधन
45. मांक 2289-दस-3-87, दिनांक 22 जून 1987 द्वारा काष्ठ चिरान फिविनियमनक्र नियम 1984 में संशोधन
46. मांक एफ-18-2-86-दस-3, दिनांक 23 जून 1987 द्वारा काष्ठ चिरान फिविनियमनक्रअधिनियम 1984 में संशोधन
47. मांक एफ-30-56-93-दस-3, दिनांक 23 फरवरी 1994 द्वारा काष्ठ चिरान फिविनियमनक्रअधिनियम 1984 में संशोधन
48. मांक एफ-30-24-91-दस-3, दिनांक 29 मार्च 1993 द्वारा काष्ठ चिरान फिविनियमनक्रनियम 1984 में संशोधन
49. मांक 30-8-2000-दस-3, दिनांक 22 सितम्बर 2005 द्वारा काष्ठ चिरान फिविनियमनक्रअधिनियम 1984 में संशोधन
50. दिनांक 05 फरवरी 2009 द्वारा काष्ठ चिरान फिविनियमनक्रनियम 1984 में संशोधन
51. दिनांक 30 जून 2009 द्वारा काष्ठ चिरान फिविनियमनक्रनियम 1984 में संशोधन
52. मांक एफ-30-4-2002, दिनांक 22 जुलाई 2009 द्वारा काष्ठ चिरान फिविनियमनक्र अधिनियम 1984 में संशोधन
53. मांक 2073-130-इक्कीस-अ.प्रिं.क्र दिनांक 27 मार्च 2010 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 को और संप्राधित कर भारतीय वनर्मि. प्र. संप्रोधनक्र अधिनियम 2009 जारी किया ।
54. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

v/; k; 2 ½; my & ch&vi

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

(A statement of the categories of documents that are held
by it or under its control)

मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा समय—समय पर वन संख्यकी तथा वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जाता है। ये अभिलेख विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जारहे हैं।

jkt; ou uhfr 2005

वर्ष 2005 में नई राज्य वन नीति जारी की गई है, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार है:—

यह वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रावधानों के अनुरूप बनाई गई है। इस नीति में वनों, वन्य प्राणियों, पर्यावरण, जैव विविधता एवं जल स्रोतों के संरक्षण के साथ—साथ वन वासियों की आजीविका को महत्व दिया दिया गया है। बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में वन उपज की आवश्यकता वन क्षेत्रों के बाहर उत्पादन बढ़ा कर किये जाने पर जोर दिया गया है। किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों के विदोहन की प्रति या सरल की जायेगी तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सहिय भागीदारी दी जायेगी।

e/; ins'k ykd okfudh vf/kfu; e 2001

राज्य में मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 12 अप्रैल 2001 से लागू किया गया है, जिसमें राज्य के निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु लोकवानिकी योजना प्रारंभ की गयी है। प्रदेश में अधिक से अधिक कृषकों को लोकवानिकी का लाभ पहुँचाने के लिए और योजना के विचारण में प्रगति लाने के लिए सदन में म.प्र. लोकवानिकी सिंशोधनक्र विधेयक, 2005 पारित किया गया है। इस संशोधन के तहत चार्टर्ड फारेस्टरों के उपबंधों का लोप किया गया है। अब कृषक, ग्रामसभा एवं पंचायत द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यक्ति द्वारा लोकवानिकी प्रबंध योजना तैयार करवा सकता है।

**वर्ष 1950 से 2013 तक मध्यप्रदेश के वनमंडलों के प्रचलित कार्य आयोजनाओं एवं
वर्किंग स्कीम की विभाग के पास उपलब्ध प्रतियों की जानकारी**

v Ø-	oueuMy dk uke	ofdk Ldhe			dk; l v k; kst uk		
		vof/k	yſ[kd	mi yC/k i fr; kſ dk fooj .k	vof/k	yſ[kd	mi yC/k i fr; kſ dk fooj .k
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर बालाघाट	1957–58 से 1966–67	श्री आर.पी. श्रीवास्तव	समस्त	1949–50 से 1964–65	श्री एम.एस. बूट	समस्त प्रतियों
		1967–68 से 1976–77	श्री एच.एल. अरोरा	समस्त	1966–67 से 1981–82	श्री एस.पी. मिश्रा	समस्त प्रतियों
		1968–69 से 1977–78	श्री एस.डी. द्विवेदी	समस्त	1985–86 से 2000–01	श्री आर.एन. मिश्रा	समस्त प्रतियों

		—	—	—	2003–04 से 2012–13	श्री सी.एच मुरलीकृष्ण	समस्त प्रतियों
2.	दक्षिण बालाघाट	1957–58 से 1966–67	श्री आर.पी. श्रीवास्तव	समस्त	1949–50 से 1964–65	श्री एस. एस. बूट	समस्त प्रतियों
		1968–69 से 1977–78	श्री एस.डी. द्विवेदी	समस्त	1972–73 से 1986–87	श्री जे.के. चतुर्वेदी	समस्त प्रतियों
		—	—	—	1966–67 से 1981 –82	श्री एस. पी. मिश्रा	समस्त प्रतियों
		—	—	—	1994–95 से 2003–04	श्री टी. आर. शर्मा	समस्त प्रतियों
		—	—	—	2008–09 से 2017–18	डॉ धर्मेन्द्र वर्मा	समस्त प्रतियों
3.	दक्षिण बैतूल	1961 से 1992–93	श्री एस.एम. सकर्सेना	भाग 3	2006–07 से 2015–16	श्री ए. के. पाटिल	समस्त प्रतियों
		1969 से 1992–93	श्री आर.पी. वर्मा	भाग 2	1993–94 से 2002–03	श्री आर. पी. सिंह	भाग 3
		—	—	—	1973–74 से 1988–89	श्री आर. एस. मिश्रा	भाग 2
		—	—	—	1970–93	श्री वाई के.साहू	भाग 2
4.	पश्चिम बैतूल	1969–70 से 1978–79	श्री आर. पी वर्मा	भाग प्र	1992–93 से 2001–02	श्री रवि श्रीवास्तव	समस्त प्रतियों
		—	—	—	1995–96 से 2004–05	श्री वाय. सत्यम	समस्त प्रतियों
		—	—	—	2006–07 से 2015–16	श्री ए. एस. डबास	समस्त प्रतियों
					2002–03 से 2011–12	श्री बी.के.मिश्रा	समस्त प्रतियों
5.	उत्तर एवं पश्चिम बैतूल का गवर्सेन परिक्षेत्र	—	—	—	2002–03 से 2016–17	श्री बी. के. मिश्रा	समस्त प्रतियों
	उत्तर एवं पश्चिम	—	—	—	1970–71 से 1984–85	श्री वाय.के. साहू	समस्त प्रतियों
	उत्तर एवं पश्चिम का गवर्सेन परिक्षेत्र	—	—	—	1992–93 से 2001–02	श्री रवि श्रीवास्तव	समस्त प्रतियों
					2012–13 से 2021–22	श्री आर.डी. महला	समस्त प्रतियों

	बैतूल	1969–70 से 1978–79	श्री आर.पी. वर्मा	समस्त	1952–53 से 1966–67	श्री एन.के. शर्मा	भाग 2
6.	भोपाल	1962–63 से 1971–72	श्री एस.आर. रावत	समस्त	1999–2000 से 2008–09	डॉ. रामप्रकाश	समस्त प्रतियों
		1973–74 से 1998–99	श्री आर.एन. दुबे	समस्त	1964–65 से 1978–79	श्री एस.बी. गुप्ता र्झिअर.एफक्र	समस्त प्रतियों
	पूर्व भोपाल	1968–69 से 1977–78	श्री सेनापति जोशी	भाग 2	2009–10 से 2018–19	श्री पी.के. सिंह	समस्त प्रतियों
7.	विदिशा	1960–61 से 1969–70	श्री.बी.बी. सहारिया	समस्त	1997–98 से 2006–07	श्री मनोज सपरा	समस्त प्रतियों
		—	—	—	2008–09 से 2017–18	श्री एस. डी. पटेरिया	समस्त प्रतियों
		—	—	—	1977–78 से 1991–92	श्री एम. एस. तोमर	समस्त प्रतियों
8.	रायसेन	—	—	—	2003–04 से 2017–18	श्री बी.पी. गुप्ता	समस्त प्रतियों
		—	—	—	1983–84 से 1997–98	श्री आर. के. वर्मा	समस्त प्रतियों
		—	—	—	2013–14 से 2022–23	श्री भागवत सिंह	समस्त प्रतियों
9.	सीहोर	1962–63 से 1981–82	श्री एस.आर. रावत	समस्त	2006–07 से 2015–16	श्रीमती हेमवती वर्मन	समस्त प्रतियों
					1964–65 से 1978–79	श्री एस.बी.गुप्ता	समस्त प्रतियों
					1984–85 से 1993–94	श्री एस.एन. सिंह	समस्त प्रतियों
10.	ओबेदुल्लागंज	1969 –78	श्री सेनापति जोशी	समस्त	2006–07 से 2015–16	श्रीमती हेमवती वर्मन	समस्त प्रतियों
		2001–10	श्री जे.जी. ठाकुर प्रियोदय	समस्त	1983–84 से 1997–98	श्री आर. के. वर्मा	समस्त प्रतियों
		2008–09 से 2017–08	श्री निरंकार सिंह श्री आर.के. दीक्षित प्रियोदय	समस्त	1984–85 से 1998–99	श्री एस.पी. शर्मा	समस्त प्रतियों
11.	राजगढ़	1974 से 2005	श्री आर.एन. दुबे	समस्त	2010–19	श्री व्ही.एस. होतगी र्झिनुमोदन अप्राप्तक्र	समस्त प्रतियों

12.	छतरपुर इंटरपुर, बिजावर एवं लौंडी परिक्षेत्र क्र	1966–67 से 1975–76	श्री आर. पी वर्मा	भाग १	—	—	—
		—	—	—	2056–57 से 2005–06	श्री बी.एन. द्विवेदी	समस्त प्रतियों
		—	—	—	2008–09 से 2017–18	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	समस्त प्रतियों
		—	—	—	1975–76 से 1989–90	श्री वी. के. तिवारी	भाग १
13.	टीकमगढ़	—	—	—	1977–98 से 1991–92	श्री एस. के भाटिया	भाग १
		—	—	—	2003–04 से 2017–18	श्री अजय शंकर	समस्त प्रतियों
14.	दक्षिण पन्नापिरि, मोहन्द्रा, शाहनगर क्र	1967–68 से 1976–77	श्री एस.आर. राव	समस्त	1978–79 से 1992–93	श्री एन. एस. भील	समस्त प्रतियों
					2002–03 से 2016 –17	श्री एस.एन. नाचने	समस्त प्रतियों
15.	उत्तर पन्ना	—	—	—	2005–06 से 2019–20	श्री महेन्द्र यादुवेन्दु	समस्त प्रतियों
					1978–79 से 1992–93	श्री एन. एस. भील	समस्त प्रतियों
16.	पश्चिम छिंदवाड़ा	1972–73	श्री एस. एन. पाण्डे	भाग १	1939–55	श्री एच.एस.सोधी	समस्त प्रतियों
		1973–74	श्री एस. बी. बापट	भाग २	1956–57 से 1970–71	श्री आर.एस.सिंघल	समस्त प्रतियों
					1977–78 से 1991–92	श्री पी.एस.दवे	समस्त प्रतियों
					2006–07 से 2015–16	श्री आर.के.गुप्ता	समस्त प्रतियों
					1995–96 से 2004–05	श्री अनूप भल्ला	समस्त प्रतियों
17.	पूर्व छिंदवाड़ा	—	—	—	1939–55	श्री एच.एस. सोधी	समस्त प्रतियों
					1956–57 से 1970–71	श्री आर.एम. सिंघल	समस्त प्रतियों
					1977–78 से 1991–92	श्री पी. एस. दवे	समस्त प्रतियों
					1997–98 से 2007–08	श्री सतीश त्यागी	समस्त प्रतियों

				2008–09 से 2017–18	श्री सतीश सिलावट	समस्त प्रतियों
18.	दक्षिण छिंदवाड़ा	—	—	—	1939–55	श्री एच.एस. सोधी
		—	—	—	1956–57 से 1976–77	श्री आर.एम. सिंघल
		—	—	—	1977–78 से 1991–92	श्री पी.एस. दवे
		—	—	—	2000–01 से 2009–10	श्री ओ.पी. खरे
					2011–12 से 2020–21	श्री शमशेर सिंह
19.	ग्वालियर	—	—	—	1975–76 से 1989–90	श्री एस. आर. रावत
					2005–06 से 2014–15	श्री ए.बी. गुप्ता
					1944–45 से 1954–55	श्री ओ.पी. भार्गव
20.	दतिया			1975–76 से 1989–90	श्री एस.आर. रावत	समस्त प्रतियों
				2005–06 से 2014–15	श्री ए.बी. गुप्ता	समस्त प्रतियों
21.	भिण्ड			1975–76 से 1989–90	श्री एस.आर. रावत	समस्त प्रतियों
				2005–06 से 2014–15	श्री ए.बी. गुप्ता	समस्त प्रतियों
22.	मुरैना	1973–74 से 1988–89	श्री एस.बी. खेमरिया	समस्त	1971–72 से 1985–86	श्री के.के.आर नायडू
					2003–04 से 2012–13	श्री एस.के. सिंह
					2013–14 से 2022–23	श्री विश्राम सारग शर्मा
23.	श्योपुर कला	1973–74 से 1988–89	श्री एस.के. खेमरिया	समस्त	1971–72 से 1985–86	श्री के.के. आर नायडू
					1998–99 से 2007–08	श्री प्रदीप पंत

					2003–04 से 2012–13	श्री एस.के. सिंह	समस्त प्रतियों
					2010–11 से 2022–23	श्री पी.के. सिंह	समस्त प्रतियों
24	होशंगाबाद	1962–63	श्री तिवारी	समस्त	2003–04 से 2013–14	श्री गिरधर राव	समस्त प्रतियों
		1973	श्री चौधरी	समस्त	1948–63	श्री एच.डी. कुलकर्णी	भाग 1
					1965–80	श्री एल.आर. जंगले	समस्त प्रतियों
					1987–88 से 2001–02	श्री ए.ए. असारी	समस्त प्रतियों
					2013–14 से 2022–23	श्री एच.यू. खेंन	समस्त प्रतियों
25.	हरदा	1956–57 से 1965–66	श्री ढी.वी. साहू-	समस्त	1984–85 से 1995–96	श्री आर.के. शुक्ला	समस्त प्रतियों
		—	—	—	2000–01 से 2009–10	श्री ए.के. जैन	समस्त प्रतियों
		—	—	—	1967–68 से 1981–82	श्री एस.एन. खरे	समस्त प्रतियों
		—	—	—	2000–01 से 2009–10	श्री अभय कुमार जैन	समस्त प्रतियों
		—	—	—	1984–85 से 1993–94	श्री आर. के. शुक्ला	समस्त प्रतियों
					1986–95	श्री पी.बी. गंगोपाध्याय झिम्बारण्यक्र	समस्त प्रतियों
					2011–11 से 2020–21	श्री आर.आर. ओखडियार	समस्त प्रतियों
26.	इंदौर				1959–60 से 1973–74	श्री पी.जी. देशमुख	समस्त प्रतियों
					1978–79 से 1992–93	श्री ढी.पी. शुक्ला	समस्त प्रतियों
					2005–06 से 2014 –15	श्री ए.के. श्रीवास्तव	समस्त प्रतियों
27	झाबुआ	1963–64 से 1972–73	श्री एस.एस. परिहार	समस्त	1965–66 से 1980–81	श्री के.के. वेकटरमन	समस्त जीर्ण अवरथा में

				1998–99 से 2007–08	श्री आर.के. गुप्ता	समस्त प्रतियों
				2008–09 से 2017–18	श्री राजेश कुमार	समस्त प्रतियों
28.	धार	1969–70 से 1978–79	श्री सी.एल. सोनी	समस्त	1989–90 से 2003–04	श्री ए.ए. बौआज
					1965–66 से 1980–81	श्री व्ही.जी. वेकंटरमन
					2005–06 से 2014–15	श्री एस.एस.राजपूत
						समस्त प्रतियों
29.	जबलपूर	—	—	—	1985–86 से 1994–95	श्री बी.एन. प्रसाद
		—	—	—	1968–69 से 1982–83	श्री आर.जी. मेहता
		—	—	—	1952–68	श्री एफ. ए. लहरी
		—	—	—	2005–15	श्री आर. बी. सिन्हा
30.	कटनी	—	—	—	1985–86 से 1994–95	श्री बी. एन. प्रसाद
					2005–15	श्री आर. बी. सिन्हा
31.	पूर्व मंडला	1968–69 से 1978–79	श्री जे.पी. गुप्ता	समस्त	1999–2000 से 2008– 09	श्री एम.के. सिन्हा
					1948–49 से 1963–64	श्री जे.सी. मेहता
					1970–71 से 1990–91	श्री एम.एस. सोलंकी
					1964–79	श्री बी.नाथ
					1993–94 से 2002–03	श्री के.एस. रेडडी
					2006–07 से 2015–16	श्री अजीत के श्रीवास्तव
32.	प०मण्डला	1965–66 से 1974–75	श्री एम.जे. ओक	समस्त	1952–68	श्री एफ.ए. लहरी
		1969–70 से 1978–79	श्री जे.पी. गुप्ता	समस्त	1970–93	श्री एम.एस. सोलंकी
					1993–03	श्री के.एस. रेडडी
					2006–16	श्री ए.के. श्रीवास्तव

33	डिंडोरी	—	—	—	1993–03	श्री के. एस. रेड्डी रिंगट-1क्र	समस्त प्रतियौ
		—	—	—	2003–04 से 2017–18	श्री शरद तिवारी	समस्त प्रतियौ
					1964–79	श्री बी.नाथ	समस्त प्रतियौ
					1982–83 से 1996–97	श्री एच.व्ही. वाजपेयी	समस्त प्रतियौ
					2013–14 से 2022–23	श्री मनोज अग्रवाल	समस्त प्रतियौ

v/; k; 2 ½; w & ch&vii½
uhfr fu/kkj .k o dk; klo; u ds l cik e turk ; k
tu&ifrfuf/k l s i jke'kl ds fy; scuk; h x; h 0; oLFkk dk
fooj .k

(Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof)

विभाग में नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा विभिन्न स्तरों पर जनप्रतिनिधियों से भी परामर्श का विकल्प लिया जाता है, जिससे की नीति निर्धारण जनता की अपेक्षा के अनुरूप रखा जा सके।

विभाग के अंतर्गत वन सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे तक सीमित ग्रामों में रियायती दर पर बांस, बल्ली इत्यादि की आपूर्ति की व्यवस्था निस्तार के अंतर्गत की गई है।

इसके अतिरिक्त ग्राम वन समितियों तथा वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कार्य मों का फियान्वयन जनता की भागीदारी के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

ykdokfudh i cik ; kstuk ds vrxt r rgl hy Lrjh; el; kdu l fefr

विभाग में लोकवानिकी प्रबंध योजना के अंतर्गत परिक्षेत्र स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक विकासखंड या उसके किसी ब्लॉक के प्रबंधन योजना के फियान्वयन को क्षेत्रीय परिक्षेत्र अधिकारी की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानीटर किया जाता है। जिसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथा स्थिति किसी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ट किया जाता है। समिति सक्षम प्राधिकारी को अपनी टीका-टिप्पणी तथा सिफारिशों की रिपोर्ट देती है।

v/; k; 2 ½; ॥ & ch&viii½

ckM] i fj "knk] I fefr; ka , oa vU; fudk; ka dk fooj . k

(A statement of boards, council, committees and other bodies constituted as its part)

प्रदेश में वानिकी से संबंधित निम्नलिखित संगठन एवं बोर्ड कार्यरत है :-

1. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम
2. मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज विधापार एवं विकासक्रसहकारी संघ
3. राज्य वन अनुसंधान संस्थान मिश्यालय: जबलपुरक्र
4. म.प्र. राज्य ईको पर्यटन विकास बोर्ड
5. म.प्र. राज्य बांस मिशन बोर्ड

v/; k; 2 ½; v/y & ch&ix½
vf/kdkfj ; ka vkg deþkfj ; ka dh funf' kdk
(Directory of officers and employees)

	i nuke	अधिकारी का नाम	दुर्भाष
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	श्री अनिल ओबेरॉय	2674200
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	श्री नरेन्द्र कुमार	2674206
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षकर्किर्ति आयोजनाएँ	श्री अजित सोनकिया	2674230
4.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सिंरक्षणक्र	श्री रवि श्रीवास्तव	2674212
5.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन	डॉ. आर. पी. सिंह	2674354
6.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट)	श्री धर्मन्द्र शुक्ला	2674228
7.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)	श्री ए.एस. अहलावत	2674232
8.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, स्थापना प्रबंधन विच्चप्राणी	श्री सुहास कुमार	2674226
9.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रिशासन—दोष	श्री ज्याद हसन	2674238
10.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विविकासक्र	श्री रतन पुरवार	2674216
11.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू—अभिलेख)	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	2573906
12.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)	श्री सी.पी. राय	2674234
13.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रिशासन—एकड़	श्री प्रवीण कुमार चौधरी	2674214
14.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सिंयुक्त वन प्रबंधन	डॉ. ए. के सिंह	2674224
15.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानवसंसाधन)	श्रीमति डॉ. गोपा पाण्डे	2674232
16.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सिंमन्युक्त	डॉ. ए.ल. के. चौधरी	2674240
17.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी	श्री वाय सत्यम	2674222
18.	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	श्री सत्येन्द्र बहादुर	2674308
19.	मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन	श्री डॉ. अजय शंकर	2763390
20.	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	श्री बी.के.मिश्रा	2575889
21.	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता शिकायत)	श्री अरुण कुमार	2575888
22.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	श्री गुरुप्रसाद वर्मा	2674218
23.	मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)	श्री एन.एस. डुंगरियाल	2573906
24.	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन—।।)	श्री आर.के. गुप्ता	2674340
25.	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	श्री बी.बी. सिंह	2762168
26.	मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन)	श्री आनंद कुमार	2572028
27.	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन—।)	श्री सुनील अग्रवाल	2674268
28.	मुख्य वन संरक्षक (विकास)	श्री भागवत सिंह	2575888
29.	मुख्य वन संरक्षक (वित्त बजट)	श्री एच.यू. खान	2674286
30.	मुख्य वन संरक्षक (सामुदायिक वन प्रबंधन)	श्री धीरेन्द्र भार्गव	2552401

31.	मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी)	श्री धीरेन्द्र भार्गव	2674327
32.	मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)	श्री एस. के. तिवारी	2524133
33.	उप वन संरक्षक सिमन्चयक्र	श्री केशव सिंह	2674288
34.	उपवन संरक्षक र्सि-अधिकारी	श्री सी. एम. पाण्डे	2524345
35.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ र्सि-मन्चयक्र	श्री आर. के. राय	2524155
36.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ र्सि-विकासक्र	श्री एम. आर. बघेल	2524180
37.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ र्सि-त्पादनक्र	श्री यू. एन. सिंह	2524127
38.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ र्सि-नुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकीक्र	श्री डी. आर. वर्मा	2524384
39.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ र्सि-नुसंधान विस्तार एवं परियोजनाएँ	श्री ए. के. चतुर्वेदी	2524366, 2674343
40.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपवन संरक्षक रोकड़ विन्य प्राणी	श्री जी. एस. बघेल	2674318
41.	सहायक वन संरक्षक प्रिंशासन-एकक्र	श्री ए. जी. पारुलकर	2524115
42.	सहायक वन संरक्षक प्रिंशासन-दोक्र	श्री छ. के. सक्सेना	2524137
43.	सहायक वन संरक्षक प्रिंसेपल	श्री डी.पी. गुप्ता	2524205
44.	सहायक वन संरक्षक र्सि-प्रबंधक्र	श्री अधिलेश अग्रवाल	2524275
45.	सहायक वन संरक्षक र्सि-नव संसाधनक्र	श्री डी. आर वर्मा	2524384
46.	सहायक वन संरक्षक र्सूचना प्रौद्योगिकीक्र	श्री संदीप फेलोज	2524307
47.	सहायक वन संरक्षक र्सितर्कता शिकायतक्र	श्री राजेश तिवारी	2674264
48.	सहायक वन संरक्षक किर्य आयोजनाक्र	श्री जे. पी. पटेरिया	2674207
49.	e[; ou j{kd] ckyk?kkV	Jh i [dj f g	07632-241201
50.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, बालाघाट	श्री आर. एन. साह	07632-241201
51.	ou e. My vf/kdkj h] mRrj] ckyk?kkV	Jh , e- , y- ykFM; k	07632-247044
52.	उपवनमण्डलाधिकारी, बैहर	श्री जी एस धुर्वे	07636-256350
53.	उपवन मण्डलाधिकारी, उकवा	श्री एस. एस. पसरीचा	07632-247044
54.	ou e. My vf/kdkj h] nf{k. k ckyk?kkV ¼ kekU; ½	Jh , - ds xjokuh	07632-248414
55.	उपवनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट र्सिमान्यक्र	श्री एम. एस. श्रीवास्तव	07632-248414
56.	उपवनमण्डलाधिकारी, लांजी	श्री डी. एल. भगत	07632-255102
57.	वन मण्डल अधिकारी, उत्तर उत्पादनक्र	श्री एच. पी. झारिया	07632-241518
58.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्तर उत्पादनक्रबालाघाट	श्री टी. पी. पाण्डे	07632-241518
59.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्पादनक्र बैहर	श्री ए. के. वासनिक	07632-241518
60.	वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण उत्पादनक्रबालाघाट	श्री एच. सी. गुप्ता	07632-241516
61.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण उत्पादनक्रबालाघाट	श्री एम. पी. शुक्ला	07632-241516
62.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट उत्पादनक्र लांजी	श्री आर. पी. सिंह	07632-241516
63.	i kpk;] ou {ks-i ky egkfo ky;] ckyk?kkV	Jh , y- , l - jkor	07632-247988
64.	अनुदेशक, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	—	07632-247988

65.	सहायक अनुदेशक, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	श्री जे. के. शर्मा	07632-247988
66.	सहायक अनुदेशक, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय , बालाघाट	श्री आर. डी. उरिया	07632-247988
67.	e[; ou j{kld] crsy	Jh dey'sk prphn	07141-234396
68.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, बैतूल	श्री बी. पी. बाथम	07141-234396
69.	ou e. Mykf/kdkjh] mkrj c'sy ॥ keku; ॥	Jh , - , - frokj	07141-234204
70.	उपवन मण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल सिंमान्यक्र	श्री बी. आर. गावडे	07141-234204
71.	उपवन मण्डलाधिकारी, शाहपुर	श्री आर के. चौरे	-
72.	उपवन मण्डलाधिकारी, सारनी	श्री एम. एस. सोलंकी	-
73.	ou e. Mykf/kdkjh] nf{k. k c'sy ॥ keku; ॥	I ft; JhokLro	07141-234266
74.	उपवनमण्डलाधिकारी आमला, सिंमान्यक्र	श्री आर. के.भट्ट	07147-234266
75.	उपवनमण्डलाधिकारी मुलताई सिंमान्यक्र	श्री आर. के. सक्सेना	--
76.	उपवन मण्डलाधिकारी भेसदेही	श्री ए.के. मिश्रा	--
77.	ou e. Mykf/kdkjh if' pe c'sy ॥ keku; ॥	Jh , -ds, I plgku	07141-234708
78.	उपवन मण्डलाधिकारी चिचोली	श्री आर. एस श्रीवास्तव	07145-234708
79.	उपवन मण्डलाधिकारी तावडी सिंमान्यक्र	श्री आई. एस गडरिया	07142-234708
80.	वन मण्डलाधिकारी बैतूल उित्पादनक्र	श्री आर.बी.एस. कुशवाह	07141-234408
81.	उपवन मण्डलाधिकारी उित्पादनक्र बैतूल	श्री के. एस. पट्टा	07141-234408
82.	उपवन मण्डलाधिकारी भौरा उित्पादनक्र	--	--
83.	उपवन मण्डलाधिकारी तावडी उित्पादनक्र	श्रीमति श्रद्धा पेंडे	--
84.	उपवन मण्डलाधिकारी तासी उित्पादनक्र	श्री एम. एल. कुलेश	--
85.	I pkyd] ou fo ky; c'sy	Jh ns'k dkgyh	07141-234386
86.	सहायक वन संरक्षक वन विद्यालय बैतूल	श्री राजवीर सिंह	07141-234386
87.	e[; ou j{kld vud dku , o foLrkj crsy	Jh fxj /kj jko	07141-230475
88.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधानएविस्तार बैतूल	श्री चंद्रशेखर सिंह	07141-230475
89.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एव विस्तार बैतूल	श्री सी. बी गुप्ता	07141-230475
90.	e[; ou j{kld Hkkj ky	Jh eglln ; knollnq	0755-2674296
91.	संलग्न अधिकारी वृत्तकार्यालय भोपाल	श्री ए. के जैन	0755-2674296
92.	ou e. My vf/kdkjh Hkkj ky] orr Hkkj ky	Jh , y- d".kefrl	0755-2674322
93.	उपवन मण्डल अधिकारी भोपाल, वृत्त भोपाल	श्री केशव सिंह	0755-2674322
94.	उपवन मण्डल अधिकारी समन्वय भोपाल	श्री पी. के. घई	0755-2674322
95.	ou e. My vf/kdkjh l hgkj	Jh i h- , y- /kheku	07562-222767
96.	उपवन मण्डल अधिकारी सीहोर	श्री जी.डी. बरबडे	07562-22267
97.	उपवन मण्डल अधिकारी बुधनी	श्री बी. पी. सिंह	07564-280803
98.	उपवन मण्डल अधिकारी सीहोर उित्पादनक्र	श्री आर. एस तोमर	07562-222767
99.	उपवन मण्डल अधिकारी बुधनी उित्पादनक्र	श्री एस.एन प्रजापति	07564-280803

100.	ou e. My vf/kdkjh] fofn'kk	Jh , e- ds vxoky	07592-232967
101.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंमान्यक्र विदिशा	श्री जे.सी रावरा	07592-232967
102.	उपवनमण्डलाधिकारी सिरोंज सिंमान्यक्र	श्री एन.के . शर्मा	07591-252880
103.	उपवन मण्डल अधिकारी गंज बसोदा सिंमान्यक्र	श्री एस.एस. भदोरिया	07594
104.	ou e. My vf/kdkjh ॥ kekJ; ॥ jk; ॥ ॥	Jh j folInz I DI suk	07482-222027
105.	उपवन मण्डल अधिकारी , रायसेन	श्री के.एन. सक्सेना	07482-222027
106.	उपवन मण्डल अधिकारी, सिलवानी	श्री आर. के. बैंश	07484-240539
107.	बन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र रायसेन	श्री ए.के. बरोनिया	07482-222110
108.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र रायसेन	श्री एस.के. खरे	07482-222110
109.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र रायसेन	श्री के.एल. सुरजन	07482-222110
110.	ou e. My vf/kdkjh ॥ vkcnyylxat	Jh dsi h- 'kekl	07480-224062
111.	उपवन मण्डल अधिकारी , ओबेदुल्लागंज	श्री वी. के. जैन	07480-224062
112.	उपवनमण्डलाधिकारी, सुल्तानपुर, ओबेदुल्लागंज	श्री हेमन्त रायकवार	07480-243362
113.	अधीक्षक रातापानी अभ्यारण्य	श्री सी. एस. दुबे	07480-224478
114.	अधीक्षक वाडी फ़िसिंघोरीक्रांभ्यारण्य	श्री के. के. खरे	07486-263465
115.	ou e. My vf/kdkjh] jkt x<+	Jh dsi h- ckxj	07372-255007
116.	उपवन मण्डल अधिकारी, राजगढ़	श्री विनोद सक्सेना	—
117.	ed; ou I j {kd vuq dku, o foLrkj Hkki ky	Jh , - ds tlu-	0755-2674316
118.	सहायक बन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार भोपाल	श्री ओ. पी खरे	0755-2674316
119.	सहायक बन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार भोपाल	श्री एस. पी. जैन	0755-2674316
120.	I pkyd ou fogkj jk"Vh; m ku Hkki ky	Jh ch- i h- , I i fjkj	0755-2674278
121.	सहायक बन संरक्षक बन विहार	डॉ. एस. आर. वाघमारे	0755-2674278
122.	vij i/vku ed; ou I j {kd dk; l vk; kstu ॥ks=h; ॥ Hkki ky	Jh -ts ds ekglrh	0755-2421450
123.	ou I j {kd dk; l vk; kstu Hkki ky	Jh , e- ds ikBd	0755-2674300
124.	ed; ou I j {kd] Nrji j	Jh , I -ds eMy	07682-242107
125.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय छतरपुर	श्री एम. के. गोले	07682-242107
126.	ou e. My vf/kdkjh] Nrji j	Jh jk?koInz JhokLro	07682-245316
127.	उपवन मण्डल अधिकारी, छतरपुर	श्री वासु कनोजिया	—
128.	उपवन मण्डल अधिकारी, बिजावर	श्री एम.के. परिहार	—
129.	उपवन मण्डल अधिकारी , वक्सवाहा	श्री आर. के. अवधिया	—
130.	ou e. My vf/kdkjh mkrj i lluk	Jh , I ds xdrk	07732-252029
131.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्तर पन्ना	श्री जे. एस. बराच	—
132.	उपवन मण्डल अधिकारी विश्रामगंज	श्री आर. के. निरजन	—
133.	बन मण्डल अधिकारी दक्षिण पन्ना	श्री आर. सी. विश्वकर्मा	07732-252016
134.	उपवन मण्डल अधिकारी, कलदा	श्री यू. पी.एस. गहरवार	—
135.	उपवन मण्डल अधिकारी, पवई	श्री आर. सी. त्रिपाठी	—
136.	ou e. My vf/kdkjh] Vhdex<+	Jh , e- I h- fl sky	07683-245315
137.	उपवन मण्डल अधिकारी, टीकमगढ़	श्री टी. एस. उइके	—
138.	उपवन मण्डल अधिकारी, निवारी, टीकमगढ़	श्री डी. एस. चौहान	—
139.	{ks= I pkyd] jk"Vh; m ku] i lluk	Jh vkj fuokl efkhz	07732-252135
140.	mi I pkyd] jk"Vh; m ku] i lluk	Jh vuj e I gk;	07732-252135

141.	सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना	श्री एम. पी. ताम्रकार	07732-252135
142.	सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना मिंडलाक्र	श्री कु. अंजना एस. तिर्की	07732-252135
143.	अधीक्षक केन घड़ियाल अभ्यारण्य खजुराहो	श्री वाय. के. पारधे	—
144.	ed; ou I j{kdf] fNnokMk	Jh vry JhokLro	07162-245470
145.	संलग्न अधिकारी, वृत्त कार्यालय, छिंदवाड़ा	श्री एस. के. एस तिवारी	07162-245470
146.	ou e. My vf/kdkjh] i wZ ½ keku; ½ fNnokMk	Jh v'kkd dplkj	07162-243457
147.	उपवन मण्डल अधिकारी, सिंमान्यक्र छिंदवाड़ा	श्री रितेश सिरोठिया	07162-243457
148.	उपवन मण्डल अधिकारी, अमरवारा सिंमान्यक्रछिंदवाड़ा	श्री बी. के. कनकेरिया	07167-222545
149.	ou e. My vf/kdkjh] i'pe ½ keku; ½ fNnokMk	Jh , u- ds I ulkB; k	07162-243458
150.	उपवन मण्डल अधिकारी, परासिया	श्री आबिद खान	07162-243458
151.	उपवन मण्डल अधिकारी, तामिया	श्री जे के पारवेकर	07149-272221
152.	ou e. My vf/kdkjh] nf{k.k ½ keku; ½ fNnokMk	Jh i'kkd dplkj fl g	07162-243459
153.	उपवन मण्डल अधिकारी, सिलेवानी	श्री जे. एस. मरावी	07162-243459
154.	उपवन मण्डल अधिकारी, सौंसर	श्री वी. सी. मेशराम	07165-220102
155.	वन मण्डल अधिकारी, पश्चिम डित्पादनक्रछिंदवाड़ा	श्रीमति राखी नंदा	07162-243460
156.	उपवन मण्डल अधिकारी, पश्चिम डित्पादनक्रछिंदवाड़ा	श्री वी. सी. मेशराम	07162-243460
157.	उपवन मण्डल अधिकारी, डित्पादनक्र अमरवाडा	श्री डी. के. मिश्रा	07167-223508
158.	उपवन मण्डल अधिकारी, डित्पादनक्र तामिया	श्री के. एल. कांवरे	—
159.	उपवन मण्डल अधिकारी, डित्पादनक्र सौंसर	श्री एम. के. खरे	—
160.	ed; ou I j{kd dk; l vk; kstu] fNnokMk	Jh fprjatu R; kxh	07162-243462
161.	ed; ou I j{kd] Xokfy; j	Jh , l i h j; ky	0751-2340050
162.	संलग्न अधिकारी, वृत्त कार्यालय ग्वालियर	श्री राजीव कौशल	0751-2340050
163.	ou e. My vf/kdkjh Xokfy; j	Jh vry tjk	0751-2341166
164.	उपवन मण्डल अधिकारी ग्वालियर	श्री आर.के. सक्सेना	0751-2341166
165.	उपवन मण्डल अधिकारी घाटीगांव	श्री जी.एल.जोनवर	—
166.	अधीक्षक, सोनचिंडिया अभ्यारण्य, ग्वालियर	श्री आर. सी. शर्मा	0751-2341166
167.	ou e. My vf/kdkjh nfr; k	Jh I h-, I - fuukek	07522-237467
168.	उपवन मण्डल अधिकारी दतिया	श्री एल.पी. शर्मा	—
169.	ou e. My vf/kdkjh fkhM	Jh foU l j ghe	07534-233948
170.	उपवन मण्डल अधिकारी मिंड	श्री ओ.पी. श्रीवास्तव	7534-233948
171.	ou e. My vf/kdkjh ej'pik	Jh foU l j ghe	07532-234742
172.	उपवन मण्डल अधिकारी मुरैना	श्री आर.एस. नरवरिया	7532-234742
173.	उपवन मण्डल अधिकारी सबलगढ़	श्री योगेश झारिया	7536-253660
174.	अधीक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना	—	07532-240995
175.	अधीक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, श्योपुर	श्री ए. एस भदोरिया	—
176.	अधीक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, भिण्ड	श्री अजय पटेरिया	—

177.	ou e. My vf/kdkjh] ' ; k̤ j̤	Jh v̤kj- , l - vykok	07530-220002
178.	उपवन मण्डल अधिकारी श्योपुर	श्री राकेश शर्मा डामर	7530-220002
179.	उपवन मण्डल अधिकारी, विजयपुर	श्री जे. पी. शर्मा	7528-266256
180.	उपवन मण्डल अधिकारी करहाल	श्री आलोक वर्मा	7530-262274
181.	ou l̤ j̤ {kd yk; u i kstDV Xokfjy; j̤	Jh foJke l̤ kxj 'kekz	0751-2235290
182.	ou e. My vf/kdkjh] dluks ' ; k̤ j̤ k̤oll; i k̤ khz ' ; k̤ j̤ dyk	Jh v̤kj- dsfeJk	07530-220004
183.	उपवन मण्डल अधिकारी, कूनो, पोहरी	श्री जे. पी. शर्मा	7490-244340
184.	उपवन मण्डल अधिकारी, कूनो विजयपुर	श्री एल. बी. गोयल	-
185.	e[; ou l̤ j̤ {kd vuq dkku , o foLrkj Xokfjy; j̤	Jh v̤ks i h- pl̤skjh	0751-2427962
186.	सहायक वन संरक्षक, झिनु. वि.क्र ग्वालियर	श्री ए. के. दुबे	0751-2427962
187.	सहायक वन संरक्षक, झिनु. वि.क्र ग्वालियर	श्री ए. के. तिवारी	0751-2427962
188.	ou l̤ j̤ {kd dk; l̤ vk; kstuk Xokfjy; j̤	Jh , e- dkyhñj bz	0751-2232292
189.	e[; ou l̤ j̤ {kd] gk̤s k̤kkckn	Jh th- d". kefrz	07574-252521
190.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, होशंगाबाद	श्री योहन कटारा	07574-252521
191.	ou e. My vf/kdkjh gk̤s k̤kkckn	Jh ds, l - Hknkfj ; k	07574-254178
192.	उपवन मण्डल अधिकारी होशंगाबाद	श्री एस. एस. मेहता	-
193.	उपवन मण्डल अधिकारी सोहागपुर	श्री एच.एच. मांझी	-
194.	उपवन मण्डल अधिकारी, सिवनीमालवा	श्री ओ. एस. मर्शकोले	-
195.	सहायक अनुदेशक वन विद्यालय पचमढी	श्री जे. एस. दिलवरिया	-
196.	{k̤- l̤ pkyd l̤ riMk̤ jk̤Vh; m̤ ku i pe<h e[; ky; gk̤s k̤kkckn	Jh v̤kj- i h- fl̤ g	07574-254394
197.	mi l̤ pkyd] jk̤Vh; m̤ ku] gk̤s k̤kkckn	Jh , - ds feJk	07574-254394
198.	सहायक क्षेत्र संचालक पचमढी	श्री के. एस. सेंगर	07578-285012
199.	अधीक्षक पचमढी अभ्यारण्य	श्री वी. एस. यादव	07578-252626
200.	अधीक्षक बोरी अभ्यारण्य, इंटारसीक्र	श्री आर एस चौहान	07572-230016
201.	उपवन मण्डल अधिकारी, बफर जोन, पिपरिया	श्री एन.के. वर्मा	-
202.	ou e. My vf/kdkjh Vl̤ kekJ; Vl̤ gjn̤k	Jh i h- , l - pa kor	07577-222003
203.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्तर हरदा	श्री आर. एस. ठाकुर	07577-222003
204.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण हरदा	श्री आर. बी. सिद्ध	07577-222003
205.	वन मण्डल अधिकारी रित्यादनक्रहरदा	श्री मधु वी राज	07577-222025
206.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्तर रित्यादनक्रहरदा	श्री जी पी सोनी	07577-222025
207.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण रित्यादनक्रहरदा	श्री एम.एस. चौहान	07577-222025
208.	e[; ou l̤ j̤ {kd] bmk̤j	Jh v̤kj- v̤kj- v̤ks[k̤fM; kj	0731-2491831
209.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, इंदौर	श्री ए. के. जैन	0731-2491831
210.	ou e. My vf/kdkjh bmk̤j	Jh , - ds t̤k̤ kh	0731-2490239
211.	उपवन मण्डल अधिकारी इंदौर	श्री बी.पी. पटेल	0731-2490239
212.	उपवन मण्डल अधिकारी रालामंडल	श्री अशोक खराटे	0731-2490239
213.	उपवन मण्डल अधिकारी महू	श्री गौरव चौधरी	07324-273619
214.	ou e. My vf/kdkjh Vl̤ /kj	Jh Mh- ds i kyhoky	07292-222250

215.	उपवन मण्डल अधिकारी धार	श्री आर. पी. सिंह	07292-222250
216.	उपवन मण्डल अधिकारी सरदारपुर	श्री एस. के. महिवाल	07296-235797
217.	ou e. My vf/kdkjh] >kcqk	Jh ukqj fl g	07392-243316
218.	उपवन मण्डल अधिकारी झाबुआ	श्री गौतम ताडवी	07392-243316
219.	I pkyd] ou fo ky; >kcqk	Jh ukqj fl g	07392-244542
220.	अनुदेशक वन विद्यालय, झाबुआ	श्री आर सी गेहलोत	07392-244542
221.	ou e. My vf/kdkjh] vytjktij	Jh vkj- , I - fl djokj	07394-233530
222.	उपवन मण्डल अधिकारी भावरा	श्री रमेश राठोर	07393-271055
223.	उपवन मण्डल अधिकारी अलीराजपुर	श्री एम. एस. डावर	07394-234530
224.	ed; ou I j{kld vufl kku , o foLrkj bUnkj	Jh I rh'k fl ykoV	0731-2461292
225.	सहायक वन संरक्षक झिनु. वि.क्रिङ्गदौर	श्री आर. एन. सक्सेना	0731-2461292
226.	सहायक वन संरक्षक झिनु. वि.क्रिङ्गदौर	श्री आर. एस. रावत	0731-2461292
227.	ed; ou I j{kld vufl kku , o foLrkj >kcqk	Jh ine fl g	07392-243837
228.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार झाबुआ	श्री वी. एम. शर्मा	-
229.	ou I j{kld Yoll; i k. khg bUnkj	Jh , - ds tks kh	-
230.	vi j i kku ed; ou I j{kld dk; l vkh; kstu kqksh; h bUnkj	Jh 'kske. kh i k. Ms	0731-2490613
231.	ou I j{kld Ydk; l vkh; kstu kqksh; bUnkj	Jh ch- , I vluhxj h	0731-2491676
232.	ed; ou I j{kld tcyij	Jh jkt sk dplkj	0761-2624341
233.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, जबलपुर	श्री एम. एन त्रिवेदी	0761-2624341
234.	ou e. My vf/kdkjh] tcyij]	Jh , p-, I - ekgrk	0761-2624195
235.	उपवन मण्डल अधिकारी जबलपुर	श्री संजीव झा	0761-2624195
236.	उपवन मण्डल अधिकारी सिहोरा	श्री ए.के. शर्मा	-
237.	ou e. My vf/kdkjh] dVuh	Jh ds , I - vykok	07622-227417
238.	उपवन मण्डल अधिकारी, पूर्व कटनी	श्री एम. एल. सोनी	7622-227417
239.	उपवन मण्डल अधिकारी, पश्चिम कटनी	श्री जी. एस. गौतम	7622-227417
240.	ou e. My vf/kdkjh] i f'pe Vl kekl; h. Myk	Jh , - ds cl y	07642-251014
241.	उपवन मण्डल अधिकारी, महाराजपुर	श्री राधवेन्द्र सिंह	7642
242.	उपवन मण्डल अधिकारी, निवास	श्री पी. एन. मिश्रा	7641
243.	ou e. My vf/kdkjh] i wZ Vl kekl; h. Myk	Jh ykyth feJk	252423
244.	उपवन मण्डल अधिकारी जगमण्डल	श्री टी. एस. कुम्हरे	7642-252423
245.	उपवन मण्डल अधिकारी विछिया	श्री जी. एस. धुर्वे	7642-
246.	ou e. My vf/kdkjh] hmRi knu h. Myk	Jh I at; ekglkfj	07642-252449
247.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र महाराजपुर	श्री वी. आर. पाठक	7642
248.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र विछिया	श्री कपिल शर्मा	7642
249.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र बरेला	श्री ए. के. हजारी	7642
250.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादन फिनिवासक्र	श्री एस के मिश्रा	-
251.	ou e. My vf/kdkjh] Vl kekl; h. fMMkj h	Jh , y- ih frokj h	07644-234024
252.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंमान्यक्र डिंडोरी	श्री ए. के. शर्मा	7644-234400
253.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंमान्यक्र गडासरई	श्री वी. के. अतुलकर	7644-234400

254.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंगामान्यक्र शाहपुरा	श्री एस. सी. खरे	7640-230194
255.	वन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्रडिंडोरी	श्री लखनलाल उझके	07644-234312
256.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र गड़सराई	श्री अशोक कुमार शुक्ला	—
257.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र डिंडोरी	श्री अशोक कुमार सोलंकी	—
258.	ou e. My vf/kdkjh ॥dk&I d&k tcyij	—	0761-2629115
259.	सहायक वन संरक्षक, फिर्ट केशक्र जबलपुर	श्री एम.एन.त्रिवेदी	0761-2629115
260.	{k= I pkyd dk&g Vkbkjx fj tol e. Myk	Jh ts , I - plkjku	7642-250760
261.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व किरक्रमण्डला	श्री ओ पी. तिवारी	7642-250760
262.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व बफर मण्डला	श्री पी.एस. मशरम	7642-250760
263.	सहायक संचालक सिंजोरा	श्री राधवेन्द्र बिसन	7642-250760
264.	सहायक संचालक मलाजखड	श्री ए.के. भोयार	7642-250760
265.	सहायक संचालक हालोन	श्री राजेन्द्र सिंह	7642-250760
266.	सहायक संचालक फेन	श्री पी.के. वर्मा	7642-250760
267.	vij i/kku ed; ou I j {kd dk; I vk; kstuk ॥k= h; ॥ tcyij	Jh , e- I h- 'kekI	0761-2625166
268.	ou I j {kd dk; I vk; kstuk tcyij	Jhefr dekfyydk ekgJrk	0761-2624075
269.	ou I j {kd dk; I vk; kstuk ckyk?kkV] ed; ky; tcyij	Jh vkJ- ds i kBd	0761-2625166
270.	ed; ou I j {kd vu&dkku , o foLrkj tcyij	Jh , p- vks 'ka[kokj	0761-2668554
271.	सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार जबलपुर	श्री के. एल लाडिया	0761-2668554
272.	ed; ou I j {kd] [Mok	Jh i d t JhokLro	0733-2224120
273.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, खंडवा	श्री एस. पाण्डे	0733-2224120
274.	ou e. My vf/kdkjh ॥ kekJ; ॥ [Mok	Jh , - ds Hkpkodj	0733-2223244
275.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंगामान्यक्र खंडवा	श्री आर डी सिंह	0733-2223244
276.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंगामान्यक्र पुनासा	श्री एच. एस. ठाकुर	—
277.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंगामान्यक्रपूर्व कालीभीत	श्री डी. एस. डोडवे	—
278.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंगामान्यक्र परिचय कालीभीत	श्री के.एस. मशराम	—
279.	वन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्रखंडवा	श्री पी.जी. फुलझेले	0733-2223221
280.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र खंडवा	श्री के. के. गोखले	—
281.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्रपूर्व कालीभीत	श्री के. के. गोखले	—
282.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र पुनासा	श्री के. सी. बटकरे	—
283.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र परिचय कालीभीत	श्री सोमकुंवर	—
284.	ou e. My vf/kdkjh] cij gkui j	Jh , - ds fI g	07325-251280
285.	उपवन मण्डल अधिकारी बुरहानपुर	श्री एम.एल. हरित	07325-251280
286.	उपवन मण्डल अधिकारी नेपानगर	श्री के. एस. सूर्या	—
287.	ou e. My vf/kdkjh] [kj xku	Jh ts vkJ- okLdys	07282-233982

288.	उपवन मण्डल अधिकारी विस्टान	श्री सी. एच. चौहान	07282-233982
289.	उपवन मण्डल अधिकारी भीकनगांव	श्री आर. सी. डामोर	07288-201969
290.	ou e. My vf/kdkjh cMokg	Jh foØe fl g i fj gj	07280-222154
291.	उपवन मण्डल अधिकारी बड़वाह	श्री आर. के. मिश्रा	—
292.	उपवन मण्डल अधिकारी मण्डलेश्वर	सुश्री प्रतिभा अहिरवार	—
293.	ou e. My vf/kdkjh] cMokuh	Jh citlñz >k	07290-222038
294.	उपवन मण्डल अधिकारी बड़वानी	श्री एस. एल. भार्गव	—
295.	उपवन मण्डल अधिकारी पाटी	श्री एम.एल. नांदले	—
296.	ou e. My vf/kdkjh] l skok	Jh , - ds - i k. Ms	07281-228409
297.	उपवन मण्डल अधिकारी सेंधवा	श्री जी. एस. भार्गव	—
298.	उपवन मण्डल अधिकारी बड़वाली	श्री ए. के. हनुवते	—
299.	ed; ou I j {kd vud skku , d foLrkj [kMok	Jh I at; 'kPyk	0733-2223265
300.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विकास खंडवा	श्री पी. के. रावत	0733-2223265
301.	सहायक अनुसंधान एवं विकास खंडवा	श्री एन. एल अहिरवार	0733-2223265
302.	ou I j {kd dk; l vk; kstuk [kMok	Jh , - ds Hkpkodj	0733-2222705
303.	ed; ou I j {kd] jhok	Jh ih- ds fl g	07662-242098
304.	ou e. My vf/kdkjh jhok	Jh fodkl depkj oekl	07662-254335
305.	उपवन मण्डल अधिकारी रीवा	श्री एस. के. श्रीवास्तव	—
306.	उपवन मण्डल अधिकारी मजगंज	श्री आर. एल. एस. परस्ते	—
307.	अनुदेशक वन विद्यालय गोविन्दगढ़	श्री ए. के. मिश्रा	07662-261653
308.	ou e. My vf/kdkjh] lruk	Jh futke djñkh	07672-223355
309.	उपवन मण्डल अधिकारी सतना	श्री एन. एस. परिहार	—
310.	उपवन मण्डल अधिकारी वित्रकूट	श्री रामाश्रय पाण्डे	—
311.	उपवन मण्डल अधिकारी मैहर	श्री आर. के. चौहान	—
312.	ou e. My vf/kdkjh] fl akjksyh	Jh , l - ds fl g	07805-268606
313.	उपवन मण्डल अधिकारी, वैडन	श्री आर. एस. चंदेल	—
314.	उपवन मण्डल अधिकारी देवसर	श्री पी. पी. एस. परिहार	—
315.	उपवन मण्डल अधिकारी गोरखी	श्री आर. एन. वर्मा	—
316.	ou e. My vf/kdkjh] l h/kh	Jh vkj- ch- 'kekz	07822-252235
317.	उपवन मण्डल अधिकारी सीधी	श्री एस. पी. एस गहरवार	—
318.	उपवन मण्डल अधिकारी मझोली	श्री ए. पी. एस. सेंगर	—
319.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्तादनक्र सीधी	श्री एस. पी. मिश्रा	—
320.	{k= l pkyd jk"Vh; m ku l at; Vkbkj fjtol l h/kh	Jh ds jeu	07822-252409
321.	उप संचालक राष्ट्रीय उद्यान सीधी	श्री पी. के. वर्मा	—
322.	सहायक क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय उद्यान सीधी	श्री के. पी. सिंह	—
323.	अधीक्षक बगदरा	श्री नरेन्द्र सिंह	—
324.	अधीक्षक सोन घडियाल	श्री के. पी. त्रिपाठी	—
325.	अधीक्षक संजय दुबरी अभ्यारण	बी. एस. गौर	—
326.	ed; ou I j {kd vud skku , d foLrkj jhok	Jh v'kkd HkkfV; k	07662-256493
327.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार रीवा	Jh , e-, e- f}omhi	07662-256493
328.	ou I j {kd dk; l vk; kstuk jhok	Jh inhi okl psok	07662-253571
329.	ed; ou I j {kd] l kxj	Jh vftr ds JhokLro	07582-236262
330.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय सागर	श्री पी. एस. बरकडे	07582-236262
331.	ou e. My vf/kdkjh] mRrj l kxj	Jh , - ds fl g	07582-236337

332.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर	श्री एस. के. प्रजापति	07582-236337
333.	उपवन मण्डल अधिकारी, बंडा	श्री आर. के. श्रीवास्तव	—
334.	ou e. My vf/kdkjh] nf[k.k l kxj	Jh , l - i h , l - frokjh	07582-236215
335.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर	श्री एम. एस. चौहान	07582-236215
336.	उपवन मण्डल अधिकारी देवरी	श्री आर. के. जाधव	—
337.	वन मण्डल अधिकारी दमोह	श्री टी. एस. चतुर्वेदी	07812-222541
338.	उपवन मण्डल अधिकारी दमोह	श्री एम. एस. उइके	—
339.	उपवन मण्डल अधिकारी तेन्दुखेड़ा	श्री वी. के. दुबे	—
340.	ou e. Mykf/kdkjh %ou; i k. kh% ou e. My uk%kngjh	Jh ts nok i k kn	07582-236867
341.	सहायक वन संरक्षक वन्यप्राणी रहली	श्री एच के सोनी	07585-256239
342.	सहायक वन संरक्षक वन्यप्राणी वरमान	श्री ढी के मिश्रा	07793-275777
343.	ed; ou l j {kd vud dkk , d foLrkj l kxj	Jh vktkn fl g nokl	07582-236278
344.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार सागर	श्री जी.एस. चौहान	07582-236278
345.	ed; ou l j {kd] fl ouh	Jh , - ds JhokLro	07692-220594
346.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय सिवनी	श्रीमति भारती ठाकरे	07692-220594
347.	ou e. My vf/kdkjh % kekU; % nf{k.k kf] ouh	Jh vkj- , l - dkjh	07692-220530
348.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंमान्यक्रिसवनी	श्री जे.. पी. शिवहरे	—
349.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंमान्यक्र रुखड़	श्री जी. के. वारकरे	—
350.	उपवन मण्डल अधिकारी सिंमान्यक्र केवलारी	श्री आर.बी. सिंह	—
351.	ou e. My vf/kdkjh % kekU; % mRRkj fl ouh	Jh ok; - i h fl g	07692-220556
352.	उपवन मण्डल अधिकारी छपारा	श्री आर. एन. त्रिपाठी	—
353.	उपवन मण्डल अधिकारी लखनादौन	श्री डी.के. वासनिक	—
354.	वन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्रदक्षिण सिवनी	श्री बी. एस. बघेल	07692-220554
355.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र सिवनी	श्री डी. के . गौर	—
356.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र रुखड़	श्री आर. एन.शर्मा	—
357.	ou e. My vf/kdkjh %mRi knu% mRrj fl ouh	Jh ch- , l - c?ky	07692-220554
358.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र धूमा	श्री के. बी सिंह	—
359.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र छपारा	-	—
360.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र केवलारी	श्री जे. एस. घटोरिया	—
361.	I pkyd] ou fo [ky; y[kuknkU]	Jh ok; i h fl g	07690-240601
362.	अनुदेशक वन विद्यालय लखनादौन	श्री रजनीश पाण्डेय	07690-240601
363.	ou e. My vf/kdkjh] ujfl gij	Jh , l - , l - jkor	07792-230624
364.	उपवन मण्डल अधिकारी नरसिंहुर	श्री एम. डी. सिंह राजपुत	—
365.	उपवन मण्डल अधिकारी बरमान	श्री एम. एस. भागेडिया	—
366.	उपवन मण्डल अधिकारी गाडरवारा	श्रीमति डी. पुंछभाई	—
367.	उपवन मण्डल अधिकारी गोटेगांव	श्री एम. एस. भागेडिया	—
368.	{k- I pkyd ip jk"Vh; m ku] fl ouh	Jh vkykd dpekj	07692-223794
369.	mi I pkyd ip jk"Vh; m ku] fl ouh	Mk- Jhefr fdju fcl u	07692-223794

370.	सहायक वन संरक्षक पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी	श्री सुमुख जोशी	07692-223794
371.	सहायक वन संरक्षक पेंच अभ्यारण्य] सिवनी	श्री आनन्द गोस्वामी	07692-223794
372.	सहायक वन संरक्षक पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाडा	श्री एन. एस. कोरचे	07692-223794
373.	ed; ou I j{kcd vuñ dkk , o foLrkj fl ouñ	Jh , - oh- xirk	07692-221395
374.	I gk; d ou I j{kcd vnuñ , oa fo-½ fl ouñ	Jh , l - , y- l kds	07692-221395
375.	I gk; d ou I j{kcd vnuñ , oa fo-½ ckyl?kkv	Jh ok; - ih- pkcs	-
376.	I gk; d ou I j{kcd vnuñ , oa fo-½ ujfl gjij	Jh , l - , y- l kds	-
377.	ed; ou I j{kcd] 'kgMky	Jh fou; ds oeñ	07652-245361
378.	सलग्न अधिकारी शहडोल वृत्त कार्यालय शहडोल	श्री कौ के पाण्डे	07652-245361
379.	ou e. My vf/kdkjh] mRrj 'kgMky	Jh vt; i ky fl g	07652-245167
380.	उपवन मण्डल अधिकारी जयसिंहनगर	श्री आर. एन. चौधरी	-
381.	उपवन मण्डल अधिकारी ब्योहारी	श्री एस. पी. त्रिपाठी	-
382.	ou e. My vf/kdkjh] nf{k.k 'kgMky	Jh dsds Hkkj }kt	07652-240304
383.	उपवन मण्डल अधिकारी सोहागपुर	श्री व्यास मुनि पाण्डे	-
384.	उपवन मण्डल अधिकारी जैतपुर	श्री योगेश तिवारी	-
385.	I pkyd] ou fo ky; vejdñ/d	Jh ; w ds 'kekl	07629-269342
386.	अनुदेशक, वन विद्यालय अमरकटक	श्री एम. एल घगरे	07629-269342
387.	ou e. My vf/kdkjh] mefj; k	Jh vkj- ih- , l - c?ky	07653-222217
388.	उपवन मण्डल अधिकारी उमरिया	श्री अनिल चोपडा	-
389.	उपवन मण्डल अधिकारी पाली	श्री ए. के. तिवारी	-
390.	ou e. My vf/kdkjh vññ i j	Jh Mh- ds duñk	07659-222038
391.	उपवन मण्डल अधिकारी अनूपपुर	श्री एच. पी. शुक्ला	-
392.	उपवन मण्डल अधिकारी राजेन्द्रग्राम	श्री ओ. जी. गोस्वामी	-
393.	{k- I pkyd ckñkox<+Vkbñj fj toñ mefj; k	Jh I h- , p- ejyhd".ku	07653-222214
394.	mi I pkyd ckñkox<+Vkbñj fj toñ mefj; k	Jh Mh- I h- xirk	&
395.	सहायक वन संरक्षक विफरकउमरिया	श्री आर. पी. मिश्रा	-
396.	सहायक संचालक ताला	श्री ए. के. जोशी	-
397.	अधीक्षक पनपथा अभ्यारण	श्री ए. के. शर्मा	-
398.	सहायक वन संरक्षक, बफर जोन मानपुर	श्री मनोज कटारिया	-
399.	ou I j{kcd] dk; l vñ; kst uk 'kgMky	Jh , l - ds 'kekl	07652-245189
400.	ed; ou I j{kcd] f'koijh	Jh vñj- ds Jhoklro	07492-223392
401.	ou e. My vf/kdkjh f'koijh	Jh Mh- ds vxdky	07492-221012
402.	उपवन मण्डल अधिकारी शिवपुरी	श्री डी. के. राजोरा	-
403.	उपवन मण्डल अधिकारी करेता	श्री बी. पी. उपाध्याय	-
404.	I pkyd] ou fo ky; f'koijh	Jh Vñ- , l - fy; k	07492-22360
405.	vññ{kcd] ou fo ky; f'koijh	Jh , - ds voLfkñ	07492-22360
406.	ou e. My vf/kdkjh] xñk	Jh vt; dekj ; kno	07542-259650
407.	उपवन मण्डल अधिकारी गुना	श्री एम.बी. शिरसाया	-
408.	उपवन मण्डल अधिकारी बीनागंज	श्री संदीप शुक्ला	-
409.	उपवन मण्डल अधिकारी बमोरी	श्री सी. एस. राठोर	-

410.	ou e. My vf/kdkjh v'kkduxj	Jh vks i h- mpkfmf k	07543-221120
411.	उपवन मण्डल अधिकारी अशोक नगर	श्री ठी.एस. परते	—
412.	उपवन मण्डल अधिकारी चंद्रेशी	श्री ठी.एस. परते	—
413.	ou I j{kld dk; l vk; kstuk f'koijh	Jh fnyhi dplkj	07492-222570
414.	I pkyd ek/ko jk"Vt; m ku f'koijh	, I - , I - xkj	07492-223379
415.	सहायक संचालक शिवपुरी	श्री आर. एस. विरोलिया	—
416.	अधीक्षक करेरा अभ्यारण	श्री बी. एस. चौहान	—
417.	ed; ou I j{kld] mTtM	Jh i h- i h- nps	0734-2512101
418.	ou e. My vf/kdkjh mTtM	Jhefr i h-i h- ckykd".ku	0734-2512104
419.	उपवन मण्डल अधिकारी उज्जैन	श्री हरीश दिक्षीत	—
420.	ou e. My vf/kdkjh] jryke	Jh vkj- i h- jk;	07412-270418
421.	उपवन मण्डल अधिकारी रतलाम	श्री बी. पी. पंवर	—
422.	ou e. My vf/kdkjh] enl kj	Jh vkj- , u- oekl	07422-255519
423.	उपवन मण्डल अधिकारी मदसोर	श्री एच.एस. खिरदी	—
424.	अधीक्षक गौर्धी सागर अभ्यारण्य	श्री एस. एल यादव	07427-237102
425.	ou e. My vf/kdkjh] uhep	Jh egfIni fI kfn; k	07423-226605
426.	उपवन मण्डल अधिकारी नीमच	श्री आर. सी. चौबे	—
427.	उपवन मण्डल अधिकारी मनासा	श्री जे. एल. कोलार	—
428.	ou e. My vf/kdkjh V keku; Vnokl	Jh I bh [klu	07272-253020
429.	उपवन मण्डल अधिकारी देवास	श्री आर. के. गुप्ता	—
430.	उपवन मण्डल अधिकारी बागली	श्री पी. सी. दायमा	—
431.	उपवन मण्डल अधिकारी कन्नोद	श्री पी. के. पाराशर	—
432.	ou e. My vf/kdkjh VmRi knuV nokl	Jh eukst vxdky	07272-251364
433.	उपवन मण्डल अधिकारीर्तिपादनक्र देवास	श्री वी. के. त्रिपाठी	—
434.	उपवन मण्डल अधिकारीर्तिपादनक्र बागली	श्री आर के. सक्सेना	—
435.	ou e. My vf/kdkjh] 'kktki j	Jhefr i h-i h- ckyd".kuu	07364-227157
436.	उपवन मण्डल अधिकारी शाजापुर	श्री राकेश लहरी	—
437.	ed; ou I j{kld vuq dku , o foLrkj jryke	Jh fujdkj fl g	07412-235131
438.	सहायक वन संरक्षक अनु. वि. रतलाम	श्री डी. सी व्यास	07412-235131
439.	ed; ou I j{kld dk; l vk; kstuk mTtM	श्री मोहन मीणा	0734-2514370

अध्याय 2 मिन्युअल – बी-Xक्र

i R; d vf/kdkjh vkJ debjh }kjk i klr ekfl d ikfJfed vkJ ml ds fu/kkj .k dh i) fr

(The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in regulations)

विभाग के अंतर्गत प्रदेश में भारतीय वन सेवा तथा राज्य वन सेवा के अधिकारियों की पदस्थिति के अतिरिक्त कार्यपालिक अमले के अंतर्गत वन क्षेत्रपाल, उप वनक्षेत्रपाल, वनपाल एवं वनरक्षक तथा लिपिकीय अमले के अंतर्गत विभिन्न स्तर के लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके वेतनमान निम्नानुसार हैं:-

अधिकारी / कर्मचारी का पद नामन	orueku % i ;	xM is
<i>Hkkjrh; ou l ok ds vrxt</i>		
प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारी	80000	निरक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	75500–80000	
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	67000–79000	निरक
मुख्य वन संरक्षक	37400–67000	10000
वन संरक्षक	37400–67000	8900
उप वन संरक्षक रिलेक्शन ग्रेडक्र	37400–67000	8700
उप वन संरक्षक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेडक्र	15600–39100	7600
उप वन संरक्षक विरिष्ट वेतनमानक्र	15600–39100	6600
उप वन संरक्षक किनिष्ठ वेतनमानक्र	15600–39100	5400

jKT; ou l ok ds vrxt Wi pujhf{kr djus l s i oih

उप वन संरक्षक प्रिंवर श्रेणी वेतनमानक्र	15600–39100 + 7600 ग्रडे पे
उप वन संरक्षक विरिष्ट वेतनमानक्र	15600–39100 + 6600 ग्रडे पे
सहायक वन संरक्षक किनिष्ठ वेतनमानक्र	15600–39100 + 5400 ग्रडे पे

vU; debjh 01-01-2006 l s Lohdr i pujhf{kr orueku

वन क्षेत्रपाल	9300–34800 + 3600 ग्रडे पे
उप वन क्षेत्रपाल	5200–20200 + 2400 ग्रडे पे
वनपाल	5200–20200 + 2100 ग्रडे पे
वन रक्षक अधिकारी	5200–20200 + 1800 ग्रडे पे
वन रक्षक प्रिंशिक्षितक्र	5200–20200 + 1900 ग्रडे पे
कार्यालय अधीक्षक	9300–34800 + 3600 ग्रडे पे
लेखा अधीक्षक	9300–34800 + 3200 ग्रडे पे
मुख्य लिपिक	5200–20200 + 2800 ग्रडे पे
शीघ्र लेखक	5200–20200 + 2800 ग्रडे पे
लेखापाल	5200–20200 + 2400 ग्रडे पे
सहायक गोड-2	5200–20200 + 2400 ग्रडे पे
सहायक गोड-3	5200–20200 + 1900 ग्रडे पे
जीप चालक	5200–20200 + 1900 ग्रडे पे
टेक चालक	5200–20200 + 2400 ग्रडे पे
भृत्य	4400–7440 + 1300 ग्रडे पे
चौकीदार	4400–7440 + 1300 ग्रडे पे
मानविकार	9300–34800 + 3200 ग्रडे पे
दो तरी / जमादार	4400–7440 + 1400 ग्रडे पे
खलासी	4400–7440 + 1300 ग्रडे पे

v/; k; 2 ½; ny &ch&xi½
**प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट –सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों एवं
 धन वितरण की सूचना तथा राजस्व**

**(The Budget allocated to each agency - Particulars of all plans,
 proposed expenditures and reports on disbursement made)**

o"kl 2010&11] 2011&12] 2012&13 rFkk 2013&14 ds fy; s mi yC/k djk; k x; k
 ctV iko/kku rFkk fd;s x; s 0; ; dh tkudkjh fuEu rkfydk eafnf'kr gS%
 jkT; ; kstuk; ;

½ kf' k yk[k
 #0 e%

Ø-	; kstuk dk uke	foRrh; o"kl								रिमार्क	
		2010&2011		2011&2012		2012&2013		2013&2014			
		iko/kku	0; ;	iko/kku	0; ;	iko/kku	0; ;	iko/kku	0; ;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	भूमि एवं जल संरक्षण	100.00	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	योजना समाप्त	
2	प्रशासन सुदृढीकरण	518.75	500.60	1181.24	1179.28	2744.21	2727.59	3500.00	1132.15		
3	वानिकी विस्तार	752.25	707.63	815.40	817.96	998.18	997.43	2313.00	1253.57		
4	कार्य आयोजनाओं का प्रयोग	19034.00	18524.14	22161.29	22170.44	24967.88	24954.33	26924.88	12495.74		
5	वन विकास उपकर निधि से व्यय	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	5306.22		
6	वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	100.00	91.20	96.49	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	योजना समाप्त	
7	कर्मचारी कल्याण	100.00	99.89	100.00	100.00	250.00	249.89	300.00	123.45		
8	रोपणियों में पौधा तैयारी	1470.00	1458.42	1800.00	1800.00	3415.88	3409.10	4000.00	2032.49		
9	वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण	1095.00	1237.72	2600.00	2592.92	5000.00	4998.64	7700.00	2220.95		
10	ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा	100.00	0.00	91.24	86.78	6079.68	6079.68	12000.00	12000.00		
11	सरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के लिये इको विकास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	योजना समाप्त	

12	अध्ययन एवं अनुसंधान	70.00	69.97	80.00	80.00	299.57	299.39	400.00	165.86	
13	वानिकी अनुरक्षण एवं विकास में वित्त आयोगक्र	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.00	3064.93	3065.00	1618.20	
14	ओंकारेश्वर निधि से व्यय	500.00	498.27	500.00	500.00	300.00	294.04	0.00	0.00	
15	ईको टूरिज्म बोर्ड को अनुदान	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	800.00	800.00	
16	संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रवंधन	0.00	0.00	396.50	392.85	997.50	986.55	1050.00	511.33	
17	बुच्चेलखण्ड पैकेज	5791.48	5791.48	4863.00	4863.00	0.10	0.00	0.01	0.00	टोकन प्रावधान
18	वृक्षारोपण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	जूलै एवं रेस्यू सेन्टर की स्थापना	0.00	0.00	25.18	25.00	600.01	553.72	792.12	708.99	
20	वन्यप्राणी द्वारा फसल हानि का मुआवजा	184.80	21.31	53.42	41.19	50.00	45.46	0.01	0.00	
21	सेटेलाइट इमेजरी	0.00	0.00	800.00	799.95	1600.00	1600.00	400.00	0.00	
22	पी.डी.ए.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	; k%&	29916.38	29198.73	35713.76	35695.80	50518.01	50410.75	75745.02	40368.95	

II-दृष्टि विवरण ; क्षेत्र; सं

व्यक्ति #इंसेन्स

Ø	क्षेत्र विवरण	वर्ष								फेजिल	
		2010-2011		2011-2012		2012-2013		2013-2014			
		व्यवहार	व्यवहार	व्यवहार	व्यवहार	व्यवहार	व्यवहार	व्यवहार	व्यवहार		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	राज्यांश	978.97	907.31	1120.26	994.17	4144.18	2919.88	2000.00	248.56	
		केन्द्रांश	23143.95	3844.82	16528.16	5430.13	5667.75	6700.19	14215.00	994.24	
2	केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्य प्राणी विकास	राज्यांश	40.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2010-11 में वास्तविक व्यय व 2011-12 में राशि अप्राप्त
		केन्द्रांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	राष्ट्रीय उद्यान एवं केन्द्रांश	राज्यांश	120.00	20.70	49.74	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
		केन्द्रांश	774.90	579.50	826.27	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

अभ्यारण्यों का विकास										
4	गहन वन प्रबंधन	राज्यांश	505.00	300.31	384.80	308.19	301.10	295.89	600.00	56.28
		केन्द्रांश	1515.00	900.93	1154.39	924.57	903.30	887.67	1800.00	168.85
		j kT; kd k ; kx %	1643.97	1236.01	1554.80	1312.39	4445.28	3215.77	2600.00	304.84
		d llnk k	25433.85	5325.25	18508.82	6866.42	6571.05	7587.86	16015.00	1163.09
		j kT; kd k% ; kx	31560.35	30434.74	37268.56	37008.19	54963.29	53626.52	78345.02	40673.79

III- dññ {k=h; ; kstuk; %

1/ jkf' k yk[k #i ; se½

; kstuk dk uke	o"kl								fjekdl	
	2010-2011		2011-2012		2012-2013		2013-2014			
	vko/u	0; ;	vko/u	0; ;	vko/u	0; ;	vko/u	0; ;		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. राष्ट्रीय जल तंत्र संरक्षण कार्य म	59.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	स्वीकृति अप्राप्त	
2. लघु बनोपज संघ को अनुदान	262.00	262.00	400.00	400.00	305.00	305.00	300.00	0.00		
; kx	321.00	262.00	460.00	400.00	305.00	305.00	300.00	0.00		

vk; kstu&rj enka ds vrxt foHkkxh; dk; k l ds vkorh 0; ; ds fy, foRrh; iko/kku fd;k tkrik gA o"kl 2010&11] 2011&12] 2012&13 rFkk 2013&14 gq; vk; kstu&rj ctV iko/kku ,oa 0; ; dh xbz jkf' k dh tkudkj h fuEu rkfydk ea nf' klr gS &

2-2 vk; kstu&lkj 0; ;

1/ jkf' k yk[k : 0 e½

en	2010&11		2011&12		2012&13		2013&14 1/ekg vxLr rd dk 0; ; 1/	
	vko/u	0; ;	vko/u	0; ;	vko/u	0; ;	vko/u	0; ;
वेतन एवं भत्ते	46732.01	45789.94	54102.75	50292.88	61780.19	54275.22	69263.84	26429.93
मजदूरी	6444.48	6431.67	6941.68	6776.48	7511.83	7853.32	8199.48	2722.46
कार्यालय व्यय	1875.21	1653.07	2077.71	1880.35	2627.88	2127.32	2690.62	865.11
अनुरक्षण कार्य	145.19	259.56	170.06	152.06	197.95	190.15	256.18	78.91
भवनों/सड़ कों का रखरखाव	1545.00	1495.24	1640.00	1564.48	2150.00	2148.56	2850.00	909.71
इमारती लकड़ी, बांस, खैर	11757.75	10168.29	14365.02	11686.38	14715.18	12582.70	14853.32	4478.88
अनुग्रह/अनुदान	526.92	486.99	506.51	456.36	471.51	465.00	556.51	405.85
गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति पुरस्कार	415.70	287.82	410.02	405.66	485.60	460.99	613.90	159.76
लाभांश	3700.00	3593.39	3700.00	2894.60	3960.00	3955.01	4500.00	1082.22
कर एवं रायली	8075.16	7932.77	8400.85	8338.75	9134.51	8908.49	10191.24	4056.32
विज्ञापन, सामग्री पूर्तियां एवं अन्य	567.97	551.99	931.18	841.02	560.96	427.42	600.81	176.42
भारित मद फिल्मेनक्र	42.75	22.01	53.00	49.32	60.00	53.01	60.00	17.37

वन विकास निधि में अंतरण	1000.0 0	0.00	1200.0 0	0.00	11638.5 6	11638.5 7	3600.00	0.00
; kx	82828. 14	78672. 74	94498. 78	85338. 34	115294. 17	105085. 76	118235. 90	41382. 95

dk] djRrj] dy jktLo , oñ okfudh l s vñ;

½j kf' k dj kM+ : i ; s e½

मांक	राजस्व एवं व्यय	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14 मिहां अगस्त–13 तकक्र
1	कर राजस्व	115.52	157.31	20.52
2	करेतर राजस्व	755.73	832.35	484.41
	योग फि+2क्र-	871.25	989.66	504.93
3	वानिकी से सकल राजस्व	871.25	989.66	504.93
4	राजस्व लेखे पर व्यय वानिकी में रियोजनेत्तरक्र	853.38	1050.86	413.82

o"kl 2012&13 , oñ 2013&14 dk enokj jktLo y{;
ctV 'kh"kl 0406 & okfudh vñg ol; thou

½j kf' k yk[kka e½

jktLo ctV 'kh"kl	ctV i ko/kku ½o"kl 2012&13½	jktLo i kfir; ka	ctV i ko/kku ½o"kl 2013&14½	jktLo i kfir; ka ½ekg vxLr&13 rd½
फि01क्रलकड़ी और अन्य वन उत्पाद की वि १				
फि180क्रशासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज	1793.86	1130.22	2055.47	726.10
फि189क्रउपभोक्ता अथवा 'ताओं द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी	1411.66	1104.02	1617.53	459.93
फि02क्रसामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियां	217.00	248.96	248.65	64.19
फि01क्रतेन्दू पत्ते के व्यापार से प्राप्तियां	12.88	20.04	14.76	0
फि02क्रछोटी वन उपज का राजकीय व्यापार	0	3.31	0	0.73
फि03क्रइमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	73803.89	74094.77	84530.26	42782.47
फि04क्रबांस का राजकीय व्यापार	1585.71	3892.42	1816.95	2153.47
205—साल बीज का राजकीय व्यापार	0	0.03	0	0
फि06क्रखेर का राजकीय व्यापार	10.00	33.44	11.47	0.42
फि00क्रअन्य प्राप्तियां	17211.04	11588.32	19720.99	2246.66
योग मुख्य शीर्ष – 0406	96032.00	92115.33	110000.00	48441.38
0045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3968.00	6850.69	3968.00	2051.98
egk; kx%&	100000.00	98966.02	113968.00	50493.36

v/; k; 2 ½; ¾ & ch&xi½
vunku@jkt I gk; rk dk; Øekø ds fØ; klo; u dh jhfr
(The manner of execution of subsidy programmes)

मध्यप्रदेश वन विभाग के अंतर्गत अनुदान अथवा राज सहायता के कोई कार्य में यान्त्रिक नहीं किये जा रहे हैं।

v;/ k; 2 ½; w/y & ch&xiii½
fj ; k; rk½ vu½ki =k½ rFkk i f/kdkj k½ ds i frdrk½k½ ds
I ck e½ fooj.k

(Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it)

विभाग में वनों के नजदीक रहने वाले ग्रामवासियों को रियायती दर पर वनोपज उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निस्तार नीति लागू की गई है। पूर्व में निस्तार सुविधा दूर-दूर तक उन क्षेत्रों में भी दी जाती रही थी, जहां वन नहीं थे। नई नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि के अन्दर स्थित परिवारों को ही दी जा रही है। इसके साथ-साथ स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बि १ के लिये सिरबोझ द्वारा गिरी-पड़ी, मरी, सूखी जलार् लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। वर्तमान निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित किये जा रहे हैं। निस्तार वर्ष 2012 में 1.44 लाख बल्ली, 59.59 लाख बांस एवं 0.95 लाख चट्टे प्रदाय किये गये हैं। इसका बाजार मूल्य 2462 लाख होता है, जबकि इसका रियायती मूल्य 1179 लाख है।

बांस का उत्पादन सीमित जिलों में होता है एवं उसकी मांग पूरे राज्य में रहती है। बसोड़ों के अलावा अन्य कई जनजाति के व्यक्ति भी परंपरागत रूप से बांस की सामग्री बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस प्रकार की मांग की पूर्ति का प्रयास प्रदेश में संचालित निस्तार एवं उपभोक्ता डिपो के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश के 1814 निस्तार डिपो में वनोपज एकत्र कर वितरित की जाती है। बसोड़ों को रायलटी मुक्त बांस उपलब्ध कराया जाता है।

v/; k; 2 ½; my & ch&xiv%
by DVK mud : i es mi yC/k | puk; §
(Information available in on electronic form)

विभाग में विगत वर्षों में कम्प्यूटर के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है तथा अधिकाधिक सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग की वेबसाइट www.mpforest.org पर अधिकांश दस्तावेजों एवं जनोपयोगी आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराया गया है।

v;/ k; 2 ½; v/y & ch&xv½
**I puk i klr djus ds fy, ukxfj dks mi yC/k I fo/kkvks dk
 fooj .k**

(Particulars of the facilities available to citizens for obtaining information)

विभाग की रियायती मूल्य पर स्थानीय ग्रामवासियों को वनोपज उपलब्ध कराने की निस्तार योजना का विवरण निस्तार पत्रिका द्वारा पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। विभाग की योजनाओं तथा कार्य मों के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों तथा अन्य संचार माध्यमों की सहायता से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने के साथ ही विभागीय गतिविधियों संबंधी सूचनाएं अधिनियम के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार फ़ीस तथा अपीलक्रनियम, 2005 के अनुसार उपलब्ध कराने के लिये विभाग में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्था की गई है।

ouki t mRi knu &

प्रदेश में वनों के विदोहन एवं निर्वर्तन की समुचित व्यवस्था हेतु विभाग में एक उत्पादन शाखा कार्यरत है। इस शाखा द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्यों को संपादित किया जाता है :—

1. कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से इमारती, जलां, बांस एवं खैर की कटाई कर प्राप्त वनोपज को विभिन्न काष्ठागारों में परिवहन एवं निर्वर्तन करना।
2. इमारती, जलां एवं बांस की निस्तारी तथा व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश में वर्तमान में 12 उत्पादन वन मंडल, 1 वि य वन मंडल एवं 53 क्षेत्रीय वन मंडल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न काष्ठ एवं वनोपजों का उत्पादन जो प्रदेश में होता है। वह मुख्यतः सामान्य रूप से कूपों से एवं विभिन्न डूब क्षेत्रों में कटाई से प्राप्त होती है।

**foxr rhu o"kkd es mijkDr mRi knu {ks@ I s i klr dk"B , oa ckd dk fooj .k
 fuEukuq kj gS %&**

dk"B@ ckd fonkgu dh foxr rhu o"kkd dh tkudkjh

o"kl	bekj rh dk"B ½k-eh-½	tykA pVVs ½ux½	vkS kfcd ckd ½o-b½	0; ki kfjd ckd ½o-b½	; kx ckd ½o-b½ vkS ks@ 0; ki kfjd ckd
2010–11	2,78,083	2,20,816	42,464	21,713	64,177
2011–12	2,43,357	2,04,227	51,906	24,008	75,914
2012–13	2,52,736	1,88,740	76,690	28,588	1,05,278

foxr rhu o"kkd dh jktLo y{; , oa i kflr

½adj KM+e½

o"kl	jktLo y{;	i klr jktLo
2010–11	900	837.14
2011–12	900	871.25
2012–13	1000	989.66
2013–14	1100	413.16

dj KM+ekg tgykbz 2013 rd

foxr rhu o"kkh es fuLrkj 0; oLFkk ds vrxtk inkf; r ouki t dh tkudkjh
 ¼ i ; s yk[k e½

o"kl	inkf; r ek=	foØ; eW;	cktkj eW;	nh xbz fj; k; r
2010	59.69 लाख नग बांस 1.90 लाख नग बल्ली 0.83 लाख जलांच चट्टे	436.79 184.29 213.15	1038.41 381.36 729.91	1315.44
2011	55.17 लाख नग बांस 1.73 लाख नग बल्ली 0.81 लाख जलांच चट्टे	462.88 178.56 308.15	959.46 283.08 848.27	1141.22
2012	59.59 लाख नग बांस 1.44 लाख नग बल्ली 0.95 लाख जलांच चट्टे	606.98 144.96 427.48	1155.10 215.20 1092.47	1283.35

v/; k; 2 ½; vY & ch&xvi½

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां
(The names, designations and other particulars of the Public Information Officers)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा आदेश 0 सम/व्यवस्था/ 259 दि 21.9.2005 तथा
मांक/ समन्वय/ व्यवस्था/ 669, दिनांक 03.10.2011 से विभाग के लिये निम्नानुसार
अधिकारियों का नामांकन किये गये हैं:-

००	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल	सहायक वन संरक्षक सिम्पदा अधिकारीक्र कार्यालय मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र	मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक विन्य प्राणीक्र मध्य प्रदेश, भोपाल	सहायक वन संरक्षक विन्यप्राणीक्र	मुख्य वन संरक्षक प्रिंवंधनक्र	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विन्यप्राणीक्र

{ks=ḥ; Lrj i j fuEukuq kj vf/kdkjh ukekfdr fd; s x; s g§ &

००	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1.	कार्यालय मु.व.सं. कार्य आयोजना, आंचलिक ईन्डौर, जबलपुर, भोपालक्र	—	मानचित्रकार विरिष्ठतमक्र	मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक किर्ण आयोजना, आंचलिकक्र
2.	क्षेत्र संचालक/ संचालक राष्ट्रीय उद्यान	सहायक संचालक विरिष्ठतमक्र/ अभ्यारण्य अधीक्षक	उप संचालक विरिष्ठतमक्र	क्षेत्र संचालक/ संचालक राष्ट्रीय उद्यान
3.	मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक किर्ण आयोजना ईकाईक्र	वन क्षेत्रपाल विरिष्ठतमक्र	मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक किर्ण आयोजनाक्र	संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना ईंचलिक भोपाल/ इदौर / जबलपुरक्र
4.	मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान / विस्तार वृत्त	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृ.।	मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृ.।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ईनुसंधान एवं विस्तारक्रम.प्र. भोपाल
5.	प्राचार्य, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	सहायक अनुदेशक विरिष्ठतमक्र	अनुदेशक विरिष्ठतमक्र	प्राचार्य
6.	संचालक वन विद्यालय	अनुदेशक विरिष्ठतम	संचालक	संबंधित मुख्य वन संरक्षक किंश्त्रीयक्र
7.	वि य अधिकारी , मध्य प्रदेश शासन ,नई दिल्ली	—	सहायक वन संरक्षक	वि य अधिकारी मध्य प्रदेश शासन ,नई दिल्ली

cky k?kkV oRr

\emptyset	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	मुख्य वन संरक्षक बालाघाट	अधीक्षक वृत्त	स.व.सं. / सलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक बालाघाट

mRrj I kekU; oueMy ckyk?kkV

1	कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट	मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय बालाघाट	उप वनमंडलाधिकारी उकवा सा. मुख्यालय बालाघाट	वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट
2	कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी उकवा सामान्य	1. परिषेत्र अधिकारी उत्तर लामता सा. 2. परिषेत्र अधिकारी दक्षिण लामता 3. परिषेत्र अधिकारी उत्तर उकवा सा. 4. परिषेत्र अधिकारी दक्षिण उकवा सा.	उप वनमंडलाधिकारी उकवा सा. मुख्यालय बालाघाट	वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट
3	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी बैहर सामान्य	1. परिषेत्र अधिकारी पूर्व बैहर सा. 2. परिषेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर सा. 3. परिषेत्र अधिकारी विरसा / दमोह सा.	उप वनमंडलाधिकारी बैहर सामान्य	वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट

nf{k. k l kekU; oueMy ckyk?kkV

1	कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट	मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय	उप वनमंडलाधिकारी बालाघाट	वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट
2	कार्यालय उपवनमण्डल अधिकारी बालाघाटसामान्य	1. परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट सा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी लौगुर सा. 3. परिक्षेत्र अधिकारी वारासिवनी सा. 4. परिक्षेत्र अधिकारी कंटरी सा. 5. परिक्षेत्र अधिकारी लालबरा सा. 6. परिक्षेत्र अधिकारी खेरलांजी सा.	उप वनमंडलाधिकारी बालाघाट	वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट
3	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी लांजी सामान्य	1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व हट्टा सा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी किरनापुर सा. 3. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी सा. 4. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी	उप वनमंडलाधिकारी लांजी सामान्य	वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट

mBri mRiknu oueMy ckyk?kkV

क्रमांक	वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट	मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय	उप वनमंडलाधिकारी लामता मुख्याला बालाघाट	वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट
2	कार्यालय उपवनमण्डल अधिकारी लामता उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता उत्पा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी नगरवाडा उत्पा. 3. परिक्षेत्र अधिकारी लामता डिपो.	उप वनमंडलाधिकारी लामता मुख्यालय बालाघाट	वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट
3	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी बैहर उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बैहर उत्पा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर उत्पा. 3. परिक्षेत्र अधिकारी परसवाडा उत्पा. 4. डिपों अधिकारी बैहर काढागार	उप वनमंडलाधिकारी बैहर उत्पादन	वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट
4	कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी मलाजखण्ड उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा सालेटेकरी उत्पादन	उप वनमंडलाधिकारी मलाजखण्ड उत्पादन	वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट

nfsl k mPiknu ouMy ckyk?kkV

1	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी किरणपर उत्पादन	—	उप वनमंडल अधिकारी किरणपर उत्पादन	वनमंडलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमंडल
---	--	---	-------------------------------------	--

				बालाघाट
2	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी किरनापुर उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी किरन्जुर उत्पादन	उप वनमंडल अधिकारी किरनापुर उत्पादन	वनमंडलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट
3	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी पूर्व लांजी उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी कन्सुली उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी सुलसुली उत्पादन 3. परिक्षेत्र अधिकारी बीजागढ़ उत्पादन 4. डिपों अधिकारी बकरामुण्डी	उप वनमंडल अधिकारी पूर्व लांजी उत्पादन	वनमंडलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट
4	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी पश्चिम लांजी उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी रिसेवाडा उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी सीतापाल उत्पादन 3. डिपों अधिकारी लांजी	उप वनमंडल अधिकारी पश्चिम लांजी उत्पादन	वनमंडलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट

i f' pe mRi knu oueMy ckyk?kkV

1	कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी बालाघाट उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी बंजारी उत्पादन 3. परिक्षेत्र अधिकारी लालबरा उत्पादन 4. परिक्षेत्र अधिकारी वारासिवनी उत्पादन 5. परिक्षेत्र अधिकारी कंटगी उत्पादन 6. डिपों अधिकारी गर्रा बांसागार 7. डिपों अधिकारी गर्रा काष्ठागार	कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी बालाघाट उत्पादन	वनमंडलाधिकारी पश्चिम उत्पादन वनमंडल बालाघाट
2	कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी उकवा उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी लौगुर उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी जैतपुरी उत्पादन 3. परिक्षेत्र अधिकारी डाबरी उत्पादन 4. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर उकवा उत्पादन 5. परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण उकवा उत्पादन 6. डिपों अधिकारी उकवा बांसागार	वनमंडलाधिकारी उकवा उत्पादन वनमंडल बालाघाट	वनमंडलाधिकारी पश्चिम उत्पादन वनमंडल बालाघाट

c_fy orr

छ	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	v i hyh; vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल	अधीक्षक वृत्त	स.व.सं. / संलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल
2	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल	मुख्य लिपिक वनमंडल	स.व.सं. / संलग्नाधिकारी वनमंडल	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल
3	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रबैतूल	—	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रबैतूल	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल
4	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रबैतूल	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रबैतूल	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रबैतूल
5	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रशाहपुर	—	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रशाहपुर	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल
6	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रशाहपुर	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रशाहपुर	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रशाहपुर
7	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रमैंरा	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रमैंरा	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रशाहपुर
8	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रसारणी	—	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रसारणी	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल
9	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रसारणी	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रसारणी	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रसारणी
10	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रानीपुर	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रानीपुर	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रसारणी

38	उप वनमंडलाधिकारी रिंत्पा.क्रभौरा	—	उप वनमंडलाधिकारी रिंत्पा.क्रभौरा	वनमंडलाधिकारी बैतूल रिंत्पा.क्र
39	परिक्षेत्र अधिकारी रिंत्पा.क्रभौरा	—	परिक्षेत्र अधिकारी रिंत्पा.क्रभौरा	उप वनमंडलाधिकारी रिंत्पा.क्रभौरा
40	परिक्षेत्र अधिकारी रिंत्पा.क्रगवारेन	—	परिक्षेत्र अधिकारी रिंत्पा.क्रगवारेन	उप वनमंडलाधिकारी रिंत्पा.क्रभौरा
41	काष्ठ भण्डार अधिकारी रिंत्पा.क्रभौरा	—	काष्ठ भण्डार अधिकारी रिंत्पा.क्रभौरा	उप वनमंडलाधिकारी रिंत्पा.क्रभौरा
42	उप वनमंडलाधिकारी रिंत्पा.क्रचिचोली	—	उप वनमंडलाधिकारी रिंत्पा.क्रचिचोली	वनमंडलाधिकारी बैतूल रिंत्पा.क्र
43	परिक्षेत्र अधिकारी रिंत्पा.क्रचिचोली	—	परिक्षेत्र अधिकारी रिंत्पा.क्रचिचोली	उप वनमंडलाधिकारी रिंत्पा.क्रचिचोली
44	परिक्षेत्र अधिकारी, रिंत्पा.क्रतावडी	—	परिक्षेत्र अधिकारी, रिंत्पा.क्रतावडी	उपवनमंडलाधिकारी, रिंत्पा.क्रचिचोली
45	संचालक, वन विद्यालय बैतूल	मुख्य लिपिक	वरिष्ठ अनुदेशक / स.व.स. वन विद्यालय बैतूल	संचालक, वन विद्यालय बैतूल

भोपाल वृत्त

अनु. क.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल	लेखा अधिकारी/ अधीक्षक वन वृत्त भोपाल	संलग्नाधिकारी, भोपाल वृत्त भोपाल	प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त भोपाल
2	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल भोपाल	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. भोपाल	स.व.स. संलग्नाधिकारी वनमण्डल भोपाल	वनमण्डलाधिकारी सा. भोपाल
3	उप वनमण्डल समन्वय भोपाल	शिविर लिपिक उप वन मण्डल समन्वय भोपाल	उप वनमण्डलाधिकारी, समन्वय भोपाल	वनमण्डलाधिकारी सा० भोपाल
4	1 परिक्षेत्रधिकारी उडनदस्ता 2 परिक्षेत्रधिकारी भोपाल ईकाई	परिक्षेत्र लिपिक उडनदस्ता परिक्षेत्र लिपिक भोपाल ईकाई	परिक्षेत्रधिकारी उडनदस्ता परिक्षेत्रधिकारी भोपाल ईकाई	उप व.म.अ. समन्वय भोपाल उप व.म.अ समन्वय भोपाल
5	उप वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल भोपाल	शिविर लिपिक, उप वनमण्डल सा० भोपाल	उप वनमण्डलाधिकारी सा० भोपाल	वनमण्डलाधिकारी सा. भोपाल
6	1. परिक्षेत्रधिकारी समर्था 2. परिक्षेत्रधिकारी बैरसिया	परिक्षेत्र लिपिक समर्था परिक्षेत्र लिपिक बैरसिया	परिक्षेत्रधिकारी समर्था परिक्षेत्रधिकारी बैरसिया	उप वनमण्डलाधिकारी सा. भोपाल उप वनमण्डलाधिकारी सा. भोपाल
7	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल सीहोर	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. सीहोर	संलग्नाधिकारी वनमण्डल सीहोर	वनमण्डलाधिकारी सा. सीहोर
8	उपवनमंडलाधिकारी सा. सीहोर	शिविर लिपिक उप वनमण्डल सीहोर	उपवनमंडलाधिकारी सा. सीहोर	वनमंडलाधिकारी सा. सीहोर
9	1. परिक्षेत्रधिकारी सा० सीहोर 2. परिक्षेत्रधिकारी सा० आष्टा 3. परिक्षेत्रधिकारी सा० इछावर 4. परिक्षेत्रधिकारी सा० वीरपुर	परिक्षेत्र लिपिक सीहोर परिक्षेत्र लिपिक आष्टा परिक्षेत्र लिपिक इछावर परिक्षेत्र लिपिक वीरपुर	1. परिक्षेत्रधिकारी सा० सीहोर 2. परिक्षेत्रधिकारी सा० आष्टा 3. परिक्षेत्रधिकारी सा० इछावर 4. परिक्षेत्रधिकारी सा० वीरपुर	उपवनमण्डलाधिकारी सा. सीहोर उपवनमण्डलाधिकारी सा. सीहोर उप वनमण्डलाधिकारी सा. सीहोर उप वनमण्डलाधिकारी सा. सीहोर
10	उप वनमण्डलाधिकारी सा० बुदनी	शिविर लिपिक उप वनमण्डल बुदनी	उप वनमण्डलाधिकारी सा० बुदनी	उप वनमण्डलाधिकारी सा० बुदनी
11	1. परिक्षेत्रधिकारी सा० बुदनी 2. परिक्षेत्रधिकारी सा० रेहटी 3. परिक्षेत्रधिकारी सा. लाड्कुर्झ	परिक्षेत्र लिपिक बुदनी परिक्षेत्र लिपिक रेहटी परिक्षेत्र लिपिक लाड्कुर्झ	परिक्षेत्रधिकारी सा० बुदनी परिक्षेत्रधिकारी सा० रेहटी परिक्षेत्रधिकारी सा० लाड्कुर्झ	उप वनमण्डलाधिकारी सा० बुदनी उप वनमण्डलाधिकारी सा० बुदनी

अनु. क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
				उप वनमण्डलाधिकारी सा० बुदनी
12	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल विदिशा	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. विदिशा	संलग्नाधिकारी, सा० विदिशा	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल विदिशा
13	उपवनमण्डलाधिकारी सा. विदिशा	शिविर लिपिक उप वनमण्डल विदिशा	उपवनमण्डलाधिकारी विदिशा	वनमण्डलाधिकारी सा. विदिशा
14	1. परिक्षेत्राधिकारी विदिशा 2. परिक्षेत्राधिकारी ग्यारसपुर	परिक्षेत्र लिपिक विदिशा परिक्षेत्र लिपिक ग्यारसपुर	1. परिक्षेत्राधिकारी विदिशा 2. परिक्षेत्राधिकारी ग्यारसपुर	उप वनमण्डलाधिकारी सा. विदिशा उप वनमण्डलाधिकारी सा० विदिशा
15	उप वनमण्डलाधिकारी सा गंजबासौदा	शिविर लिपिक उप वनमण्डल गंजबासौदा	उप वनमण्डलाधिकारी सा गंजबासौदा	वन मण्डलाधिकारी सा विदिशा
16	1. परिक्षेत्राधिकारी सा गंजबासौदा 2. परिक्षेत्राधिकारी सा० शमशाबाद	परिक्षेत्र लिपिक गंजबासौदा परिक्षेत्र लिपिक शमशाबाद	परिक्षेत्राधिकारी सा गंजबासौदा परिक्षेत्राधिकारी सा शमशाबाद	उप व०म०३० सा. गंजबासौदा उप व०म०३० सा. गंजबासौदा
17	उप मण्डलाधिकारी सा० सिरोंज	शिविर लिपिक उप वनमण्डल सिरोंज	उप वनमण्डलाधिकारी सा० सिरोंज	वनमण्डलाधिकारी सा. विदिशा
18	1. परिक्षेत्राधिकारी सा० सिरोंज 2. परिक्षेत्राधिकारी उत्तर लटेरी सा. 3. परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण लटेरी सा	परिक्षेत्र लिपिक सिरोंज परिक्षेत्र लिपिक उत्तर लटेरी परिक्षेत्र लिपिक दक्षिण लटेरी सा	परिक्षेत्राधिकारी सा० सिरोंज परिक्षेत्राधिकारी उत्तर लटेरी सा परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण लटेरी सा	उप वनमण्डलाधिकारी सा सिरोंज उप वनमण्डलाधिकारी सा० सिरोंज उप वनमण्डलाधिकारी सा० सिरोंज
19	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल राजगढ़	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. राजगढ़	उ.व.म.अ. सा. राजगढ़	वनमण्डलाधिकारी सा. राजगढ़
20	उप वनमण्डलाधिकारी सा० राजगढ़	शिविर लिपिक उप वनमण्डल राजगढ़	उप वनमण्डलाधिकारी सा० राजगढ़	वनमण्डलाधिकारी सा राजगढ़
21	परिक्षेत्राधिकारी सा० राजगढ़	परिक्षेत्र लिपिक राजगढ़	परिक्षेत्राधिकारी सा० राजगढ़	उप वनमण्डलाधिकारी सा राजगढ़
22	अधीक्षक नरसिंहगढ़ अभयारण्य	शिविर लिपिक नरसिंहगढ़ अभयारण्य	अधीक्षक नरसिंहगढ़ अभयारण्य	वनमण्डलाधिकारी सा राजगढ़
23	गेम रेंज नरसिंहगढ़ अभयारण्य	गेमरेंज लिपिक नरसिंहगढ़ अभयारण्य	गेम रेंजर नरसिंहगढ़ अभयारण्य	अधीक्षक नरसिंहगढ़ अभयारण्य
24	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल औ.गंज	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. औ.गंज	संलग्नाधिकारी वनमण्डल औबेदुल्लागंज	वनमण्डलाधिकारी सा. औ.गंज
25	उपवनमण्डलाधिकारी सा औ.गंज	शिविर लिपिक उप वनमण्डल औबेदुल्लागंज	उपवनमण्डलाधिकारी सा औ.गंज	वनमण्डलाधिकारी सा. औ.गंज
26	1.परिक्षेत्राधिकारी गौहरगंज 2.परिक्षेत्राधिकारी चिकलोद	परिक्षेत्र लिपिक गौहरगंज परिक्षेत्र लिपिक चिकलोद	परिक्षेत्राधिकारी गौहरगंज परिक्षेत्राधिकारी चिकलोद	उपवनमण्डलाधिकारी सा. औ. गंज उपवनमण्डलाधिकारी सा औ. गंज
27	उपवनमण्डलाधिकारी सा० बाड़ी मुख्यालय सुल्तानपुर	शिविर लिपिक उप व.म.बाड़ी मु० सुल्तानपुर	उप वनमण्डलाधिकारी सा बाड़ी मुख्यालय सुल्तानपुर	वनमण्डलाधिकारी सा. औ.गंज
28	1. परिक्षेत्राधिकारी सुल्तानपुर	परिक्षेत्र लिपिक सुल्तानपुर	परिक्षेत्राधिकारी सुल्तानपुर सा	उप व.म.अ. सा. बाड़ी मु० सुल्तानपुर

अनु. क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
	4 परिषेत्राधिकारी उ. रेहटी	परिषेत्र लि उ. रेहटी	परिषेत्राधिकारी उत्पा रेहटी	उप व.म.अ. उत्पा बुदनी

Nrjig orr

Xokfy; j oRr

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	i fke vi hyh; vf/kdkjh
1.	वृत्त कार्यालय ग्वालियर	अधीक्षक वन वृत्त कार्यालय	संलग्नाधिकारी वृत्त कार्यालय	वन संरक्षक ग्वालियर
2.	वनमण्डल ग्वालियर	मुख्य लिपिक ग्वलियर	वनमण्डलाधिकारी मुरैना	वन संरक्षक ग्वालियर
3.	वनमण्डल मुरैना	मुख्य लिपिक मुरैना	वनमण्डलाधिकारी मुरैना	वन संरक्षक ग्वालियर
4.	वनमण्डल भिण्ड	मुख्य लिपिक भिण्ड	वनमण्डलाधिकारी भिण्ड	वन संरक्षक ग्वालियर
5.	वनमण्डल दतिया	मुख्य लिपिक दतिया	वनमण्डलाधिकारी दतिया	वन संरक्षक ग्वालियर
6.	वनमण्डल श्योपुर	मुख्य लिपिक श्योपुर	वनमण्डलाधिकारी श्योपुर	वन संरक्षक ग्वालियर
7.	वनमण्डल कूनो पालपुर	मुख्य लिपिक कूनो श्योपुर	वनमण्डलाधिकारी कूनो श्योपुर	वन संरक्षक ग्वालियर
8.	उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर	उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर	वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
9.	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगांव	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगांव	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगांव	वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
10.	अधीक्षक सोनचिडिया अभ्यारण्य	लेखापाल सोनचिडिया अभ्यारण्य	अधीक्षक सोनचिडिया अभ्यारण्य	वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
11.	उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना	उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना	वनमण्डलाधिकारी मुरैना
12.	उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़	उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़	वनमण्डलाधिकारी मुरैना
13.	अधीक्षक रा.च.अ. देवरी	लेखापाल रा.च.अ. देवरी	अधीक्षक रा.च.अ. देवरी	वनमण्डलाधिकारी मुरैना
14.	उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड	उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड	वनमण्डलाधिकारी भिण्ड
15.	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी दतिया	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया	वनमण्डलाधिकारी दतिया
16.	उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर	उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर	वनमण्डलाधिकारी श्योपुर
17.	उपवनमण्डलाधिकारी कराहल	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी कराहल	उपवनमण्डलाधिकारी कराहल	वनमण्डलाधिकारी श्योपुर
18.	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर	वनमण्डलाधिकारी श्योपुर
19.	उपवनमण्डलाधिकारी कूनो पोहरी	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी कूनो पोहरी	उपवनमण्डलाधिकारी कूनो पोहरी	वनमण्डलाधिकारी कूनो श्योपुर
20.	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर कूनो पालपुर	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर कूनो पालपुर	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर कूनो श्योपुर	वनमण्डलाधिकारी कूनो श्योपुर
21.	वन परिक्षेत्र अधिकारी ग्वालियर	—	परिक्षेत्र अधिकारी ग्वालियर	उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
22.	वन परिक्षेत्र अधिकारी बेहट	—	परिक्षेत्र अधिकारी बेहट	उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
23.	वन परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगांव उत्तर	—	परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगांव उत्तर	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगांव
24.	वन परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगांव दक्षिण	—	परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगांव दक्षिण	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगांव
25.	गेम रेंज घाटीगांव	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज घाटीगांव	अधीक्षक सोन चिडिया अभ्यारण्य घाटीगांव
26.	गेम रेंज तिघरा	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज तिघरा	अधीक्षक सोन चिडिया अभ्यारण्य घाटीगांव
27.	वन परिक्षेत्र अधिकारी मुरैना	—	परिक्षेत्र अधिकारी मुरैना	उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना
28.	वन परिक्षेत्र अधिकारी जौरा	—	परिक्षेत्र अधिकारी जौरा	उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना
29.	वन परिक्षेत्र अधिकारी सबलगढ़	—	परिक्षेत्र अधिकारी सबलगढ़	उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	i fke vi hyh; vf/kdkjh
30.	वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़	—	परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़	उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़
31.	गेम रेंज देवरी	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज देवरी	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देवरी
32.	गेम रेंज मुरैना	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज मुरैना	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देवरी
33.	गेम रेंज सबलगढ़	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज सबलगढ़	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य श्योपुर
34.	गेम रेंज श्योपुर	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज श्योपुर	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य श्योपुर
35.	गेम रेंज वीरपुर	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज वीरपुर	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य श्योपुर
36.	गेम रेंज भिण्ड	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज भिण्ड	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भिण्ड
37.	गेम रेंज अम्बाह	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज अम्बाह	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भिण्ड
38.	वन परिक्षेत्र अधिकारी श्योपुर	—	परिक्षेत्र अधिकारी श्योपुर	उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर
39.	वन परिक्षेत्र अधिकारी बुढेरा	—	परिक्षेत्र अधिकारी बुढेरा	उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर
40.	वन परिक्षेत्र अधिकारी खाड़ी	—	परिक्षेत्र अधिकारी खाड़ी	उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर
41.	वन परिक्षेत्र अधिकारी कराहल	—	परिक्षेत्र अधिकारी कराहल	उपवनमण्डलाधिकारी कराहल
42.	वन परिक्षेत्र अधिकारी बडौदा	—	परिक्षेत्र अधिकारी बडौदा	उपवनमण्डलाधिकारी कराहल
43.	वन परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पूर्व	—	परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पूर्व	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर
44.	वन परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पश्चिम	—	परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पश्चिम	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर
45.	वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरपुर	—	परिक्षेत्र अधिकारी वीरपुर	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर
46.	वन परिक्षेत्र अधिकारी दतिया	—	परिक्षेत्र अधिकारी दतिया	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया
47.	वन परिक्षेत्र अधिकारी सेवढा	—	परिक्षेत्र अधिकारी सेवढा	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया
48.	वन परिक्षेत्र अधिकारी गोराघाट	—	परिक्षेत्र अधिकारी गोराघाट	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया
49.	वन परिक्षेत्र अधिकारी भिण्ड	—	परिक्षेत्र अधिकारी भिण्ड	उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड
50.	वन परिक्षेत्र अधिकारी अटेर	—	परिक्षेत्र अधिकारी अटेर	उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड

gks kakkchn orr

क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपीलिय अधिकारी
1.	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद	कार्यालय अधीक्षक, वृत्त कार्यालय, होशंगाबाद	संलग्न अधिकारी (सहायक वनसंरक्षक)	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद
2.	वनमण्डलाधिकारी सामान्य, होशंगाबाद	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद	वनमण्डलाधिकारी सामान्य, होशंगाबाद	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद
3.	वनमण्डलाधिकारी सामान्य, हरदा	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य, उत्तर, हरदा	वनमण्डलाधिकारी सामान्य, हरदा	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद
4.	वनमण्डलाधिकारी उत्पादन, हरदा	उपवनमण्डलाधिकारी उत्पादन,	वनमण्डलाधिकारी उत्पादन,	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक,

क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपीलिय अधिकारी
		उत्पादन, दक्षिण, हरदा	हरदा	होशंगाबाद
5.	वनमंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी होशंगाबाद	प्रभारी मुख्य लिपिक, वनमंडल कार्यालय, सामाजिक वानिकी वनमंडल	वनमंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी होशंगाबाद	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद
6.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद	वनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद
7.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सोहागपुर	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सोहागपुर	
8.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य पिपरिया	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य पिपरिया	
9.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सिवनीमालवा	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सिवनीमालवा	
10.	परिक्षेत्र अधिकारी सा. सुखतवा	—	परिक्षेत्र अधिकारी सा. सुखतवा	
11.	परि. अधिकारी सा. इटारसी	—	परि. अधिकारी सा. इटारसी	वनमंडलाधिकारी सामान्य, होशंगाबाद
12.	परि.अधिकारी उत्पा. इटारसी	—	परि.अधिकारी उत्पा. इटारसी	
13.	परि.अधिकारी सा. होशंगागाद	—	परि.अधिकारी सा. होशंगागाद	
14.	परि. अधिकारी सा. बागडा	—	परि. अधिकारी सा. बागडा	
15.	परि. अधिकारी सा. सोहागपुर	—	परि. अधिकारी सा. सोहागपुर	
16.	परि. अधिकारी उत्पा. सोहागपुर	—	परि. अधिकारी उत्पा. सोहागपुर	
17.	परि. अधिकारी सा. पिपरिया	—	परि. अधिकारी सा. पिपरिया	
18.	परि. अधिकारी सा. बनखेड़ी	—	परि. अधिकारी सा. बनखेड़ी	
19.	परि. अधिकारी सा. सिवनीमालवा	—	परि. अधिकारी सा. सिवनीमालवा	
20.	परि. अधिकारी सा. बानापुरा	—	परि. अधिकारी सा. बानापुरा	
21.	परि. अधिकारी उत्पा. सिवनी	—	परि. अधिकारी उत्पा. सिवनी	
22.	काष्ठभंडार अधिकारी, ताकू	—	काष्ठभंडार अधिकारी, ताकू	
23.	काष्ठभंडार अधिकारी, सोहागपुर	—	काष्ठभंडार अधिकारी, सोहागपुर	
24.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य उत्तर हरदा	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य उत्तर हरदा	
25.	उपवनमंडलाधिकारी(सा)दक्षिण हरदा	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य दक्षिण हरदा	
26.	परि. अधिकारी सा. रहटगाँव	—	परि. अधिकारी सा. रहटगाँव	वनमंडलाधिकारी सामान्य हरदा
27.	परि. अधिकारी सा. टेमागाँव	—	परि. अधिकारी सा. टेमागाँव	
28.	परि.अधिकारी. सा. मगरथा	—	परि.अधिकारी. सा. मगरथा	
29.	परि.अधिकारी सा. बोरपानी	—	परि.अधिकारी सा. बोरपानी	
30.	परि.अधिकारी सा. मकडाई	—	परि.अधिकारी सा. मकडाई	

क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपीलिय अधिकारी
31.	परि.अधिकारी सा. हंडिया	—	परि.अधिकारी सा. हंडिया	
32.	डिपो अधिकारी सा. हरदा		डिपो अधिकारी सा. हरदा	
33.	उपवनमंडलाधिकारी उत्पादन उत्तर हरदा	—	उपवनमंडलाधिकारी उत्पादन उत्तर हरदा	वनमंडलाधिकारी उत्पादन हरदा
34.	उपवनमंडलाधिकारी उत्पादन दक्षिण हरदा	—	उपवनमंडलाधिकारी उत्पादन दक्षिण हरदा	
35.	परि. अधिकारी उत्पा. रहटगाँव	—	परि. अधिकारी उत्पा. रहटगाँव	
36.	परि. अधिकारी उत्पा टेमागाँव	—	परि. अधिकारी उत्पा टेमागाँव	वनमंडलाधिकारी उत्पादन हरदा
37.	परि.अधिकारी. उत्पा मगरथा	—	परि.अधिकारी. उत्पा मगरथा	
38.	परि.अधिकारी उत्पा . बोरपानी	—	परि.अधिकारी उत्पा . बोरपानी	
39.	परि.अधिकारी उत्पा मकडाई	—	परि.अधिकारी उत्पा मकडाई	
40.	परि.अधिकारी उत्पा . हंडिया	—	परि.अधिकारी उत्पा . हंडिया	
41.	काष्ठभंडार अधिकारी, टिमरनी		काष्ठभंडार अधिकारी, टिमरनी	
42.	काष्ठभंडार अधिकारी, खिडकिया		काष्ठभंडार अधिकारी, खिडकिया	

bunkj orr

Ø-	dk; k/k; dk uke	I gk; d ykd puk vf/kdkjh	ykd puk vf/kdkjh	vihy়; vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन संरक्षक वृत्त कार्यालय इंदौर	अधीक्षक वृत्त कार्यालय	स.व.स.एवं संलग्नाधिकारी वृत्त कार्यालय	मुख्य वन संरक्षक वृत्त इंदौर
2	वन मंडलाधिकारी सामान्य इंदौर	मुख्य लिपिक व.म.इंदौर	स.व.स.एवं संलग्नाधिकारी वनमंडल इंदौर	वनमंडलाधिकारी सिं.क्रइंदौर
3	उप व.म.अ.सिंमान्यक्रमहू	उप व.म.कार्यालय लिपिक इंदौर	उप व.म.अ.सिंमान्यक्रमहू	वनमंडलाधिकारी सिं.क्रइंदौर
4	उप व.म.अ.सिंमान्यक्रमहू	उप व.म.कार्यालय लिपिक महू	उप व.म.अ.सिंमान्यक्रमहू	वनमंडलाधिकारी सिं.क्रइंदौर
5	अधीक्षक अभ्यावरण रालामंडल इंदौर	अभ्यावरण लिपिक रालामंडल इंदौर	अधीक्षक अभ्यावरण रालामंडल इंदौर	वनमंडलाधिकारी सिं.क्रइंदौर
6	काष्ठागार अधिकारी रालामंडल इंदौर	काष्ठागार लिपिक रालामंडल इंदौर	काष्ठागार अधिकारी रालामंडल इंदौर	वनमंडलाधिकारी सिं.क्रइंदौर
7	रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी इंदौर रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी चोरल रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी महू रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी मानपुर	परि.लिपिक. इंदौर परि.लिपिक. चोरल परि.लिपिक. महू परि.लिपिक. मानपुर	वनपरिक्षेत्र अधिकारी इंदौर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चोरल वनपरिक्षेत्र अधिकारी महू वनपरिक्षेत्र अधिकारी मानपुर	उप व.म.अ.सिं.क्रइंदौर उप व.म.अ.सिं.क्रइंदौर उप व.म.अ.सिं.क्रमहू उप व.म.अ.सिं.क्रमहू
8	वन मंडलाधिकारी सामान्य धार	मुख्य लिपिक वनमंडल धार	उपवनमंडलाधिकारी धार	वनमंडलाधिकारी सिं.क्रधार
9	उप व.म.अ.सिंमान्यक्रधार	उपवनमंडल कार्यालय लिपिक धार	उप व.म.अ.सिंमान्यक्रधार	वनमंडलाधिकारी सिं.क्रधार
10	उप व.म.अ.सिंमान्यक्र सरदारपुर	उपवनमंडल कार्यालय लिपिक सरदारपुर	उप व.म.अ.सिंमान्यक्र सरदारपुर	वनमंडलाधिकारी सिं.क्रधार

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
11	रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी धार रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी माण्डव रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी धामनोद रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी सरदारपुर रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी टाण्डा रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी बाग रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी कुक्षी	परि.लिपिक. धार परि.लिपिक.माण्डव परि.लिपिक.धामनोद परि.लिपिक.सरदारपुर परि.लिपिक.टाण्डा परि.लिपिक. बाग परि.लिपिक.कुक्षी	वनपरिक्षेत्र अधिकारी धार वनपरिक्षेत्र अधिकारी माण्डव वनपरिक्षेत्र अधिकारी धामनोद वनपरिक्षेत्र अधिकारी धामनोद वनपरिक्षेत्र अधिकारी धामनोद वनपरिक्षेत्र अधिकारी सरदारपुर वनपरिक्षेत्र अधिकारी टाण्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बाग वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुक्षी	उप व.म.अ. धार उप व.म.अ. धार उप व.म.अ. धार उप व.म.अ. सरदारपुर उप व.म.अ. सरदारपुर उप व.म.अ. सरदारपुर उप व.म.अ. सरदारपुर
12	वन मंडलाधिकारी र्सि.क्रझाबुआ	मुख्य लिपिक व.म.झाबुआ	स.व.स. एवं संलग्नाधिकारी वनमंडल झाबुआ	व.म.अ.र्सि.क्रझाबुआ
13	उप व.म.अ.झाबुआ	उप व.म.कार्यालय लिपिक झाबुआ	उप व.म.अ.झाबुआ	व.म.अ.र्सि.क्रझाबुआ
14	रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी झाबुआ रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी थांदला रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी पेटलावद	परि.लिपिक. झाबुआ परि.लिपिक.थांदला परि.लिपिक. पेटलावद	वनपरिक्षेत्र अधिकारी झाबुआ वनपरिक्षेत्र अधिकारी थांदला वनपरिक्षेत्र अधिकारी पेटलावद	उप व.म.अ.झाबुआ उप व.म.अ.झाबुआ उप व.म.अ.झाबुआ
15	वन मंडलाधिकारी र्सि.क्र अलिराजपुर	मुख्य लिपिक व.म.	उप व.म.अ. अलिराजपुर	व.म.अ.र्सि.क्रअलिराजपुर
16	उप व.म.अ. अलिराजपुर	उप व.म. कार्यालय लिपिक अलिराजपुर	उप व.म.अ. अलिराजपुर	व.म.अ.र्सि.क्रअलिराजपुर
17	उप व.म.अ. भाभरा	उप व.म.कार्यालय लिपिक भाभरा	उप व.म.अ. भाभरा	व.म.अ.र्सि.क्रअलिराजपुर
18	रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी अलिराजपुर रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी उमराली रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी मथवाडा रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी जोबट रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी भाभरा रिंक्रपरिक्षेत्र अधिकारी कट्ठीवाडा	परि.लिपिक.अलिराजपुर परि.लिपिक.उमराली परि.लिपिक.मथवाडा परि.लिपिक. जोबट परि.लिपिक.भाभरा परि.लिपिक. कट्ठीवाडा	वनपरिक्षेत्र अधिकारी अलिराजपुर वनपरिक्षेत्र अधिकारी उमराली वनपरिक्षेत्र अधिकारी मथवाडा वनपरिक्षेत्र अधिकारी जोबट वनपरिक्षेत्र अधिकारी भाभरा वनपरिक्षेत्र अधिकारी कट्ठीवाडा	उपव.म.अ.अलिराजपुर उपव.म.अ.अलिराजपुर उपव.म.अ.अलिराजपुर उपव.म.अ.भाभरा उपव.म.अ.भाभरा उपव.म.अ.भाभरा

tcyij orr

Ø0	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन संरक्षक मध्य वृत्त जबलपुर	अधीक्षक वृत्त	स०व०स० संलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक मध्यवृत्त जबलपुर
2	वन मंडल अधिकारी सामान्य जबलपुर	मुख्य लिपिक वनमंडल	स०व०स० संलग्नाधिकारी वन मंडल	वन मंडल अधिकारी सा० जबलपुर
3	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य जबलपुर	—	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य जबलपुर	वन मंडल अधिकारी सा० जबलपुर
4	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य सिहोरा	—	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य सिहोरा	वन मंडल अधिकारी सा० जबलपुर
5	1. परिक्षेत्र अधिकारी जबलपुर	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी	उप वन मंडल अधिकारी

००	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	2. परिक्षेत्र अधिकारी बरगी 3. परिक्षेत्र अधिकारी पाटन 4. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा		जबलपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरगी 3. परिक्षेत्र अधिकारी पाटन 4. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा	सामान्य जबलपुर
6	1. परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम 2. परिक्षेत्रअधिकारी सिहोरा 3. परिक्षेत्र अधिकारी पनागर	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम 2. परिक्षेत्रअधिकारी सिहोरा 3. परिक्षेत्र अधिकारी पनागर	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य सिहोरा
7	वन मंडल अधिकारी कटनी सामान्य	मुख्य लिपिक वनमंडल	स०व०स० संलग्नाधिकारी	वन मंडल अधिकारी सामान्य कटनी
8	उप. वन मंडल अधिकारी सामाप्य पूर्व कटनी	—	उप. वन मंडल अधिकारी सामान्य पूर्व कटनी	वन मंडल अधिकारी सामान्य कटनी
9	उप वन मण्डल अधिकारी पश्चिम कटनी	—	उप वन मण्डल अधिकारी पश्चिम कटनी	वन मंडल अधिकारी सामान्य कटनी
10	1. परिक्षेत्र अधिकारी कटनी 2. परिक्षेत्र अधिकारी विजयराघवगढ़ 3. परिक्षेत्र अधिकारी बडवारा	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी कटनी 2. परिक्षेत्र अधिकारी विजयराघवगढ़ 3. परिक्षेत्र अधिकारी बडवारा	उप. वन मंडल अधिकारी सामान्य पूर्व कटनी
11	1. परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद 2. परिक्षेत्र अधिकारी रीठी 3. परिक्षेत्र अधिकारी ढीमरखेडा	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद 2. परिक्षेत्र अधिकारी रीठी 3. परिक्षेत्र अधिकारी ढीमरखेडा	उप वन मण्डल अधिकारी पश्चिम सामान्य कटनी
12	वन मंडल अधिकारी पश्चिम सामान्य मंडला	मुख्य लिपिक वनमंडल	स०व०स० संलग्नाधिकारी सामान्य पश्चिम मंडला	वन मंडल अधिकारी सा. पश्चिम मंडला
13	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य महाराजपुर	—	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य महाराजपुर	वन मंडल अधिकारी सा. पश्चिम मंडला
14	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य निवास	—	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य निवास	वन मंडल अधिकारी सा. पश्चिम मंडला
15	1. परिक्षेत्र अधिकारी महाराजपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी मंडला 3. परिक्षेत्र अधिकारी बम्हनी 4. परिक्षेत्रअधिकारी टिकरिया	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी महाराजपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी मंडला 3. परिक्षेत्र अधिकारी बम्हनी 4. परिक्षेत्रअधिकारी टिकरिया	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य महाराजपुर
16	1. परिक्षेत्र अधिकारी निवास 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला.. 3. परिक्षेत्रअधिकारी बीजाडांडी 4. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी निवास 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला.. 3. परिक्षेत्रअधिकारी बीजाडांडी 4. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य निवास

००	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
17	वन मंडल अधिकारी सामान्य पूर्व मंडला	मुख्य लिपिक वनमंडल	स0व0स0 संलग्नाधिकारी मंडला	वन मंडल अधिकारी पूर्व सा० मंडला
18	उप वन मंडल अधिकारी जगमंडल	–	उप वन मंडल अधिकारी जगमंडल सामान्य	वन मंडल अधिकारी पूर्व सा० मंडला
19	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी बिछिया	–	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी सामान्यबिछिया	वन मंडल अधिकारी पूर्व सा० मंडला
20	1. परिक्षेत्र अधिकारी जगमंडल 2. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव 3. परिक्षेत्र अधिकारी घुघरी	–	1. परिक्षेत्र अधिकारी जगमंडल 2. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव 3. परिक्षेत्र अधिकारी घुघरी	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य जगमंडल
21	1. परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला 3. परिक्षेत्र अधिकारी मबई	–	1. परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला 3. परिक्षेत्र अधिकारी मबई	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी बिछिया
22	वन मंडल अधिकारी सामान्य डिन्डौरी	मुख्य लिपिक वनमंडल	सं.व.स. संलग्नाधिकारी डिन्डौरी	व0म0आ० सामान्य डिन्डौरी
23	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी गाडासरई	–	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी गाडासरई	व0म0आ० सामान्य डिन्डौरी
24	उप वन मंडल सामान्य डिन्डौरी	–	उप वन मंडल सामान्य डिन्डौरी	व0म0आ० सामान्य डिन्डौरी
25	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य शहपुरा	–	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य शहपुरा	व0म0आ० सामान्य डिन्डौरी
26	1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व करंजिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम करंजिया 3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग 4. दक्षिण समनापुर	–	1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व करंजिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम करंजिया 3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग 4. दक्षिण समनापुर	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी गाडासरई
27	1. परिक्षेत्र अधिकारी डिन्डौरी 2. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तरसमनापुर 3. परिक्षेत्र अधिकारी अमरपुर	–	1. परिक्षेत्र अधिकारी डिन्डौरी 2. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर समनापुर 3. परिक्षेत्र अधिकारी अमरपुर	उप वन मंडल समान्य डिन्डौरी
28	1. परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा 3. परिक्षेत्र अधिकारी मेंहदवानी	–	1. परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा 3. परिक्षेत्र अधिकारी मेंहदवानी	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य शहपुरा
29	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला	मुख्य लिपिक वनमंडल	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन महाराजपुर	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला
30	उपवनमंडलउत्पादनअधिकारी महाराजपुर	–	उप वन मंडल उत्पादन अधिकारी महाराजपुर	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला
31	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन बिछिया	–	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन बिछिया	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला
32	उप वन मंडल अधिकारी उत्पा० बरेला	–	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन बरेला	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला
33	1. परिक्षेत्रअधिकारी मंडला 2. परिक्षेत्रअधिकारी महाराजपुर	–	1. परिक्षेत्र अधिकारी मंडला	उप वन मंडल उत्पादन अधिकारी महाराजपुर

००	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	3. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव 4. परिक्षेत्राधिकारी रसैयादोना डिपो		2. परिक्षेत्र अधिकारी महाराजपुर 3. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव 4. परिक्षेत्र अधिकारी रसैयादोना डिपो	
34	1. परिक्षेत्र अधिकारी अंजनिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी मवई 3. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला 4. परिक्षेत्र अधिकारी सिङ्गौरा डिपो	-	1. परिक्षेत्र अधिकारी अंजनिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी मवई 3. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला 4. परिक्षेत्र अधिकारी सिङ्गौरा डिपो	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन विछिया
35	1. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला 3. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी डिपो	-	1. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला 3. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी डिपो	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन बरेला
36	वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी	मुख्य लिपिक वनमंडल	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी	वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी
37	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी	-	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी	वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी
38	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन गाडासरई	-	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन गाडासरई	वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी
39	1. परिक्षेत्र अधिकारी डिन्डौरी 2. प० अधिकारी समनापुर पश्चिम	--	1. परिक्षेत्र अधिकारी डिन्डौरी 2. परिक्षेत्र अधिकारी समनापुर पश्चिम	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी
40	1. परिक्षेत्र अधिकारी करंजिया पूर्व 2. परिक्षेत्र अधिकारी प० करंजिया 3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग 4. प० अधिकारी गाढासरई डिपों 5. परिक्षेत्र अधिकारी करंजिया डिपों	-	1. परिक्षेत्र अधिकारी करंजिया पूर्व 2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम करंजिया 3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग 4. परिक्षेत्र अधिकारी गाढासरई डिपों 5. परिक्षेत्र अधिकारी करंजिया डिपों	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन गाडासरई

खण्डवा वृत्त

०-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	वनवृत्त खण्डवा	अधीक्षक वन वृत्त	सहायक वन संरक्षक / संलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्तखण्डवा
2	वनमण्डल सा.खण्डवा	संलग्न अधिकारी / मुख्य लिपिक वनमण्डल	वनसंरक्षक / वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्तखण्डवा
3	उप वनमण्डल सा.खण्डवा	लिपिक उप वनमण्डल	उप वनमण्डलाधिकारी सा.खण्डवा	वनसंरक्षक / वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
4	उप वनमण्डल	लिपिक	उप वनमण्डलाधिकारी	वनसंरक्षक /

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vihy়; vf/kdkjh
	सा. पुनासा	उप वनमण्डल	सा. पुनासा	वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
5	उप वनमण्डल सा. हरसूद	लिपिक उप वनमण्डल	उप वनमण्डलाधिकारी सा. हरसूद	वनसंरक्षक / वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
6	उप वनमण्डल सा. पूर्व कालीभीत	लिपिक उप वनमण्डल	उप वनमण्डलाधिकारी सा. पूर्व कालीभीत	वनसंरक्षक / वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
7	उप वनमण्डल सा. पश्चिम कालीभीत	लिपिक उप वनमण्डल	उप वनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत	वनसंरक्षक / वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
8	परिक्षेत्र सा.खण्डवा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. खण्डवा	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
9	परिक्षेत्र सा. सिंगाजी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. सिंगाजी	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
10	परिक्षेत्र सा.पुनासा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. पुनासा	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य पुनासा
11	परिक्षेत्र सा.मूदी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. मूदी	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य पुनासा
12	परिक्षेत्र सा.बलडी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. बलडी	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य हरसूद
13	परिक्षेत्र सा.चांदगढ	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. चॉदगढ	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य हरसूद
14	परिक्षेत्र सा.अमूल्ला	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. अमूल्ला	उपवनमण्डलाधिकारी पश्चिम कालीभीत
15	परिक्षेत्र सा.पिपलोद	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. पिपलोद	वनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत
16	परिक्षेत्र सा.पश्चिम कालीभीत	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत	उपवनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत
17	परिक्षेत्र सा .पूर्व कालीभीत	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. पूर्व कालीभीत	उपवनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत
18	परिक्षेत्र सा.आवलिया	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सा. आवलिया	उपवनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत
19	वनमण्डल सा.बुरहानपुर	संलग्नाधिकारी/ मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा
20	उप वनमण्डल बुरहानपुर	लिपिक उप वनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर	वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर
21	उप वनमण्डल नेपानगर	लिपिक उप वनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी नेपानगर	वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर
22	वन परिक्षेत्र बुरहानपुर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी बुरहानपुर	उपवनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर
23	वन परिक्षेत्र खकनार	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी खकनार	उपवनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर
24	वन परिक्षेत्र नेपानगर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी नेपानगर	उपवनमण्डलाधिकारी नेपानगर
25	वन परिक्षेत्र असीर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी असीर	उपवनमण्डलाधिकारी नेपानगर
26	वनमण्डल सा. खरगोन	संलग्नाधिकारी/ मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी खरगोन	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा
27	उप वनमण्डल विस्टान	लिपिक	उपवनमण्डलाधिकारी	वनमण्डलाधिकारी खरगोन

Ø-	dk; k्य; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkj h	ykd I puk vf/kdkj h	vihy h; vf/kdkj h
	मुखरगोन	उप वनमण्डल	बिस्टान	
28	उप वनमण्डल भीकनगॉव	लिपिक उप वनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी भीकनगॉव	वनमण्डलाधिकारी खरगोन
29	वन परिक्षेत्र खरगोन	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी खरगोन	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
30	वन परिक्षेत्र बिस्टान	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी बिस्टान	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
31	वन परिक्षेत्र सिरवेल	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सिरवेल	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
32	वन परिक्षेत्र कसरावद	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी कसरावद	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
33	वन परिक्षेत्र बरुड	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी बरुड	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
34	वन परिक्षेत्र भीकनगॉव	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी भीकनगॉव	उपवनमण्डलाधिकारी भीकनगॉव
35	वन परिक्षेत्र चिरिया	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी चिरिया	उपवनमण्डलाधिकारी भीकनगॉव
36	वन परिक्षेत्र तितरानिया	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी तितरानिया	उपवनमण्डलाधिकारी भीकनगॉव
37	वनमण्डल सा. बडवाह	संलग्नाधिकारी/ मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी बडवाह	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा
38	उपवनमण्डल बडवाह	लिपिक उपवनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह	वनमण्डलाधिकारी बडवाह
39	वन परिक्षेत्र बडवाह	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी बडवाह	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
40	वन परिक्षेत्र मण्डलेश्वर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी मण्डलेश्वर	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
41	वन परिक्षेत्र पाडल्या	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी पाडल्या	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
42	वन परिक्षेत्र सनावद	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सनावद	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
43	वन परिक्षेत्र बलवाडा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी बलवाडा	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
44	वन परिक्षेत्र काटकूट	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी काटकूट	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
45	वन परिक्षेत्र काकडदा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी काकडदा	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
46	वनमण्डल सा. बडवानी	संलग्नाधिकारी/ मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी बडवानी	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा
47	उपवनमण्डल बडवानी	लिपिक उपवनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी	वनमण्डलाधिकारी बडवानी
48	वन परिक्षेत्र बडवानी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी बडवानी	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी
49	वन परिक्षेत्र पाटी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी पाटी	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी
50	वन परिक्षेत्र बोकराटा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी बोकराटा	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी
51	वन परिक्षेत्र राजपुर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी राजपुर	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी
52	वनमण्डल सा. सेन्ध्वा	संलग्नाधिकारी/ मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी सेन्ध्वा	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vihy়; vf/kdkjh
1	পরিক্ষেত্র গুড়ী	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী গুড়ী	উপবনমণ্ডলাধিকারী সামান্য খণ্ডবা
2	পরিক্ষেত্র পূর্ব কালীভীত র্তিশানীক্র	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী কালীভীতর্তিশানীক্র	উপবনমণ্ডলাধিকারী সামান্য খণ্ডবা
3	পরিক্ষেত্র আবলিয়া মীরগঢ়ীক্র	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী আবলিয়া মীরগঢ়ীক্র	উপবনমণ্ডলাধিকারী সিঙ্ক্র পূর্ব কালীভীত নিয়া হরসুদক্র
4	পরিক্ষেত্র সিংগাজী ছিনেরাক্র	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী সিংগাজী ছিনেরাক্র	উপবনমণ্ডলাধিকারী সিঙ্ক্র পূর্ব কালীভীত নিয়া হরসুদক্র
5	পরিক্ষেত্র বলঢী ফিল্লৌদক্র	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী বলঢী ফিল্লৌদক্র	উপবনমণ্ডলাধিকারী সিঙ্ক্র পূর্ব কালীভীত নিয়া হরসুদক্র
6	পরিক্ষেত্র মূঢ়ী	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী মূঢ়ী	উপবনমণ্ডলাধিকারী সিঙ্ক্র পূর্ব কালীভীত নিয়া হরসুদক্র
7	পরিক্ষেত্র চাংদগঢ নির্মদানগরক্র	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী চাংদগঢ নির্মদানগরক্র	উপবনমণ্ডলাধিকারী সামান্য পুনাসা
8	পরিক্ষেত্র পশ্চিম কালীভীত খ্রিলবাক্র	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী পশ্চিম কালীভীত খ্রিলবাক্র	উপবনমণ্ডলাধিকারী সামান্য পুনাসা
9	পরিক্ষেত্র খালবা	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী খালবা	উপবনমণ্ডলাধিকারী পশ্চিম কালীভীত খালবা
10	উপ বনমণ্ডল পাটী বিংডবানীক্র	উপ বনমণ্ডল লিপিক	উপ বনমণ্ডলাধিকারী পাটী বিংডবানীক্র	বনমণ্ডলাধিকারী বড়বানী
11	পরিক্ষেত্র পাটী	পরিক্ষেত্র লিপিক	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী পাটী	উপবনমণ্ডলাধিকারী পাটী বিংডবানীক্র
12	পরিক্ষেত্র বোকরাটা	লিপিক পরিক্ষেত্র	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী বোকরাটা	উপবনমণ্ডলাধিকারী পাটী বিংডবানীক্র
13	উপ বনমণ্ডল মণ্ডলেশ্বর	উপ বনমণ্ডল লিপিক	উপ বনমণ্ডলাধিকারী মণ্ডলেশ্বর	বনমণ্ডলাধিকারী বড়বাহ
14	পরিক্ষেত্র মণ্ডলেশ্বর	লিপিক পরিক্ষেত্র	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী মণ্ডলেশ্বর	উপবনমণ্ডলাধিকারী মণ্ডলেশ্বর
15	পরিক্ষেত্র পাড়ল্যা	লিপিক পরিক্ষেত্র	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী পাড়ল্যা	উপবনমণ্ডলাধিকারী মণ্ডলেশ্বর
16	পরিক্ষেত্র কাকড়বা	লিপিক পরিক্ষেত্রা	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী কাকড়বা	উপবনমণ্ডলাধিকারী মণ্ডলেশ্বর
17	পরিক্ষেত্র বলবাড়া	লিপিক পরিক্ষেত্র	বন পরিক্ষেত্রাধিকারী বলবাড়া	উপবনমণ্ডলাধিকারী মণ্ডলেশ্বর

রীবা বৃত্ত

dt	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vihy়; vf/kdkjh
1	বন বৃত্ত কার্যালয় রীবা	অধীক্ষক বৃত্ত কার্যালয় রীবা	সংলগ্নাধিকারী রীবা বৃত্ত রীবা	মুখ্য বন সংরক্ষক রীবা বৃত্ত রীবা
2	অনুসংধান বিস্তার বৃত্ত রীবা	সহায়ক বন সংরক্ষক অনু০বি০ রীবা	মুখ্য বন সংরক্ষক অনু০বি০ বৃত্ত রীবা	অপর প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক অনু০বি০ এবং লোক বানিকী ভোপাল
3	ক্ষেত্রসংচালক সংজয় টাইগ্র রিজৰ্ব সীধী	—	সহায়ক সংচালক সীধী	�প সংচালক সীধী
4	অধীক্ষক সংজয় দুবরী অম্যারণ্য সীধী	—	অধীক্ষক সংজয় দুবরী অম্যারণ্য সীধী	উপ সংচালক সীধী
5	অধীক্ষক বগদরা অম্যারণ্য সীধী	—	অধীক্ষক বগদরা অম্যারণ্য সীধী	উপ সংচালক সীধী

cl	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vihy়; vf/kdkjh
6	অধীক্ষক সোন ঘড়িযাল অম্যারণ্য সীধী		অধীক্ষক সোন ঘড়িযাল অম্যারণ্য সীধী	উপ সংচালক সীধী
7	পরিক্ষেত্র অধিকারী মোহন		পরিক্ষেত্র অধিকারী মোহন	সহায়ক সংচালক সীধী
8	পরিক্ষেত্র অধিকারী পোঢী		পরিক্ষেত্র অধিকারী পোঢী	সহায়ক সংচালক সীধী
9	পরিক্ষেত্র অধিকারী দুবরী		পরিক্ষেত্র অধিকারী দুবরী	অধীক্ষক সংজয দুবরী অম্যারণ্য সীধী
10	পরিক্ষেত্র অধিকারী বস্তুআ		পরিক্ষেত্র অধিকারী বস্তুআ	অধীক্ষক সংজয দুবরী অম্যারণ্য সীধী
11	পরিক্ষেত্র অধিকারী বগদরা,		পরিক্ষেত্র অধিকারী বগদরা,	অধীক্ষক বগদরা অম্যারণ্য সীধী
12	পরিক্ষেত্র অধিকারী সোনঘড়িযাল		পরিক্ষেত্র অধিকারী সোনঘড়িযাল	অধীক্ষক সোন ঘড়িযাল অম্যারণ্য সীধী
13	কার্য আয়োজনা রীবা	বনক্ষেত্রপাল	বন সংরক্ষক কার্য আয়োজনা রীবা	মুখ্য বন সংরক্ষক রীবা বৃত্ত রীবা
14	বনমণ্ডল কার্যালয রীবা	সহায়ক বন সংরক্ষক ,উপ বন মণ্ডলাধিকারী রীবা	বনমণ্ডলাধিকারী রীবা	মুখ্য বন সংরক্ষক রীবা বৃত্ত রীবা
15	উপ বন মণ্ডল কার্যালয রীবা	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী রীবা	বন মণ্ডল অধিকারী রীবা
16	উপ বন মণ্ডল কার্যালয ম{ গংজ	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী ম{ গংজ	বন মণ্ডল অধিকারী রীবা
17	পরিক্ষেত্র কার্যালয রীবা	পরিক্ষেত্র সহায়ক রীবা	পরিক্ষেত্রাধিকারী রীবা	উপ বন মণ্ডল অধিকারী রীবা
18	পরিক্ষেত্র কার্যালয সেমরিয়া	পরিক্ষেত্র সহায়ক সেমরিয়া	পরিক্ষেত্রাধিকারী সেমরিয়া	উপ বন মণ্ডল অধিকারী রীবা
19	পরিক্ষেত্র কার্যালয সিরমৌর	পরিক্ষেত্র সহায়ক সিরমৌর	পরিক্ষেত্রাধিকারী সিরমৌর	উপ বন মণ্ডল অধিকারী রীবা
20	পরিক্ষেত্র কার্যালয অতরৈলা	পরিক্ষেত্র সহায়ক অতরৈলা	পরিক্ষেত্রাধিকারী অতরৈলা	উপ বন মণ্ডল অধিকারী রীবা
21	পরিক্ষেত্র কার্যালয ডমোরা	পরিক্ষেত্র সহায়ক ডমোরা	পরিক্ষেত্রাধিকারী ডমোরা	উপ বন মণ্ডল অধিকারী রীবা
22	পরিক্ষেত্র কার্যালয ম{ গংজ	পরিক্ষেত্র সহায়ক ম{ গংজ	পরিক্ষেত্রাধিকারী ম{ গংজ	উপ বন মণ্ডল অধিকারী ম{ গংজ
23	পরিক্ষেত্র কার্যালয হনুমনা	পরিক্ষেত্র সহায়ক হনুমনা	পরিক্ষেত্রাধিকারী হনুমনা	উপ বন মণ্ডল অধিকারী ম{ গংজ
24	পরিক্ষেত্র কার্যালয চাকঘাট	পরিক্ষেত্র সহায়ক চাকঘাট	পরিক্ষেত্রাধিকারী চাকঘাট	উপ বন মণ্ডল অধিকারী ম{ গংজ
25	বনমণ্ডল কার্যালয সতনা	উপ বন মণ্ডলাধিকারী সতনা	বনমণ্ডলাধিকারী সতনা	মুখ্য বন সংরক্ষক,রীবা বৃত্ত রীবা
26	উপ বন মণ্ডল কার্যালয সতনা	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী সতনা	বন মণ্ডল অধিকারী সতনা
27	উপ বন মণ্ডল কার্যালয মেহর	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী মেহর	বন মণ্ডল অধিকারী সতনা
28	উপ বন মণ্ডল কার্যালয চিত্রকূট	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী চিত্রকূট	বন মণ্ডল অধিকারী সতনা
29	পরিক্ষেত্র কার্যালয সতনা	পরিক্ষেত্র সহায়ক সজ্জনপুর	পরিক্ষেত্রাধিকারী সতনা	উপ বন মণ্ডল অধিকারী সতনা
30	পরিক্ষেত্র কার্যালয নাগৌদ	পরিক্ষেত্র সহায়ক নাগৌদ	পরিক্ষেত্রাধিকারী নাগৌদ	উপ বন মণ্ডল অধিকারী সতনা
31	পরিক্ষেত্র কার্যালয উচেহরা	পরিক্ষেত্র সহায়ক উচেহরা	পরিক্ষেত্রাধিকারী উচেহরা	উপ বন মণ্ডল অধিকারী সতনা
32	পরিক্ষেত্র কার্যালয	পরিক্ষেত্র সহায়ক	পরিক্ষেত্রাধিকারী	উপ বন মণ্ডল অধিকারী

dt	dk; kly; dk uke	I gk; d ykđ I puk vf/kdkjh	ykđ I puk vf/kdkjh	vihy়; vf/kdkjh
	সিংহপুর	সিংহপুর	সিংহপুর	সতনা
33	পরিষ্কেত্র কার্যালয় মুকুন্দপুর	পরিষ্কেত্র সহায়ক মুকুন্দপুর	পরিষ্কেত্রাধিকারী মুকুন্দপুর	উপ বন মণ্ডল অধিকারী মৈহর
34	পরিষ্কেত্র কার্যালয় মৈহর	পরিষ্কেত্র সহায়ক মৈহর	পরিষ্কেত্রাধিকারী মৈহর	উপ বন মণ্ডল অধিকারী মৈহর
35	পরিষ্কেত্র কার্যালয় অমরপাটন	পরিষ্কেত্র সহায়ক অমরপাটন	পরিষ্কেত্রাধিকারী অমরপাটন	উপ বন মণ্ডল অধিকারী মৈহর
36	পরিষ্কেত্র কার্যালয় মজ্জগংবা	পরিষ্কেত্র সহায়ক মজ্জগংবা	পরিষ্কেত্রাধিকারী মজ্জগংবা	উপ বন মণ্ডল অধিকারী চিত্রকূট
37	পরিষ্কেত্র কার্যালয় বরৈধা	পরিষ্কেত্র সহায়ক বরৈধা	পরিষ্কেত্রাধিকারী বরৈধা	উপ বন মণ্ডল অধিকারী চিত্রকূট
38	পরিষ্কেত্র কার্যালয় চিত্রকূট	পরিষ্কেত্র সহায়ক চিত্রকূট	পরিষ্কেত্রাধিকারী চিত্রকূট	উপ বন মণ্ডল অধিকারী চিত্রকূট
39	বনমণ্ডল কার্যালয় সীধী	উপবন মণ্ডলাধিকারী সীধী	বনমণ্ডলাধিকারী সীধী	মুখ্য বন সংরক্ষক রীবা বৃত্ত রীবা
40	উপ বন মণ্ডল কার্যালয় সীধী	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী সীধী	বন মণ্ডল অধিকারী সীধী
41	উপ বন মণ্ডল কার্যালয় মজ্জৌলী	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারীমজ্জৌলী	বন মণ্ডল অধিকারী সীধী
42	উপ বনমণ্ডল কার্যালয়িত্যাক্র সীধী	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী উত্পাদন সীধী	বন মণ্ডল অধিকারী সীধী
43	পরিষ্কেত্র কার্যালয় সীধী	পরিষ্কেত্র সহায়ক সীধী	পরিষ্কেত্রাধিকারী সীধী	উপ বন মণ্ডল অধিকারী সীধী
44	পরিষ্কেত্র কার্যালয় চুরহট	পরিষ্কেত্র সহায়ক চুরহট	পরিষ্কেত্রাধিকারী চুরহট	উপ বন মণ্ডল অধিকারী সীধী
45	পরিষ্কেত্র কার্যালয় বহরী	পরিষ্কেত্র সহায়ক বহরী	পরিষ্কেত্রাধিকারী বহরী	উপ বন মণ্ডল অধিকারী সীধী
46	পরিষ্কেত্র কার্যালয় মোহন	পরিষ্কেত্র সহায়ক মোহন	পরিষ্কেত্রাধিকারী মোহন	উপ বন মণ্ডল অধিকারী মজ্জৌলী
47	পরিষ্কেত্র কার্যালয় মজ্জৌলী	পরিষ্কেত্র সহায়ক মজ্জৌলী	পরিষ্কেত্রাধিকারী মজ্জৌলী	উপ বন মণ্ডল অধিকারী মজ্জৌলী
48	পরিষ্কেত্র কার্যালয় মড়বাস	পরিষ্কেত্র সহায়ক মড়বাস	পরিষ্কেত্রাধিকারী মড়বাস	উপ বন মণ্ডল অধিকারী মজ্জৌলী
49	পরিষ্কেত্র কার্যালয় উত্পাদন মোহন	—	পরিষ্কেত্রাধিকারী উত্পাদন মোহন	উপ বন মণ্ডল অধিকারী উত্পাদন সীধী
50	পরিষ্কেত্র কার্যালয় উত্পাদন মজ্জৌলী	—	পরিষ্কেত্রাধিকারী উত্পাদন মজ্জৌলী	উপ বন মণ্ডল অধিকারী উত্পাদন সীধী
51	পরিষ্কেত্র কার্যালয় উত্পাদন মড়বাস	—	পরিষ্কেত্রাধিকারী উত্পাদন মড়বাস	উপ বন মণ্ডল অধিকারী উত্পাদন সীধী
52	বনমণ্ডল কার্যালয় সিংগরৌলী	মুখ্য লিপিক বনমণ্ডল কার্যালয় সিংগরৌলী	বনমণ্ডলাধিকারী সিংগরৌলী	মুখ্য বন সংরক্ষক রীবা বৃত্ত রীবা
53	উপ বন মণ্ডল অধিকারী বৈঢ়ন	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী বৈঢ়ন	বন মণ্ডল অধিকারী সিংগরৌলী
54	উপ বন মণ্ডল অধিকারী দেবসর	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী দেবসর	বন মণ্ডল অধিকারী সিংগরৌলী
55	উপ বন মণ্ডল অধিকারী গোরবী	—	উপ বন মণ্ডল অধিকারী গোরবী	বন মণ্ডল অধিকারী সিংগরৌলী
56	পরিষ্কেত্র কার্যালয় বৈঢ়ন	পরিষ্কেত্র সহায়ক বৈঢ়ন	পরিষ্কেত্রাধিকারী বৈঢ়ন	উপ বন মণ্ডল অধিকারী বৈঢ়ন
57	পরিষ্কেত্র কার্যালয় মাড়া	পরিষ্কেত্র সহায়ক মাড়া	পরিষ্কেত্রাধিকারী মাড়া	উপ বন মণ্ডল অধিকারী বৈঢ়ন
58	পরিষ্কেত্র কার্যালয়	পরিষ্কেত্র সহায়ক	পরিষ্কেত্রাধিকারী	উপ বন মণ্ডল অধিকারী

dl	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd puk vf/kdkjh	ykd puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	पूर्व सरई	पूर्व सरई	पूर्व सरई	बैड़न
59	परिक्षेत्र कार्यालय चितरंगी	परिक्षेत्र सहायक चितरंगी	परिक्षेत्रधिकारी चितरंगी	उप वन मंडल अधिकारी गोरबी
60	परिक्षेत्र कार्यालय गोरबी	परिक्षेत्र सहायक गोरबी	परिक्षेत्रधिकारी गोरबी	उप वन मंडल अधिकारी गोरबी
61	परिक्षेत्र कार्यालय बरगवां	परिक्षेत्र सहायक बरगवां	परिक्षेत्रधिकारी बरगवां	उप वन मंडल अधिकारी गोरबी
62	परिक्षेत्र कार्यालय जियावन	परिक्षेत्र सहायक जियावन	परिक्षेत्रधिकारी जियावन	उप वन मंडल अधिकारी देवसर
63	परिक्षेत्र कार्यालय कर्थुआ	परिक्षेत्र सहायक कर्थुआ	परिक्षेत्रधिकारी कर्थुआ	उप वन मंडल अधिकारी देवसर
64	परिक्षेत्र कार्यालय पश्चिम सरई	परिक्षेत्र सहायक पश्चिम सरई	परिक्षेत्रधिकारी पश्चिम सरई	उप वन मंडल अधिकारी देवसर

सागर वृत्त

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd puk vf/kdkjh	ykd puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1.	मुख्य वन संरक्षक वन वृ। सागर	अधीक्षक वृ।	स.व.सं. संलग्न अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक वन वृ। सागर
2.	वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर	मुख्य लिपिक वन मंडल	स.व.सं. संलग्न अधिकारी	वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर
3.	उप वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर	—	उप वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर	वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर
4.	1. परिक्षेत्र अधिकारी सागर 2. परिक्षेत्र अधिकारी राहतगढ़ 3. परिक्षेत्र अधिकारी गढाकोटा 4. परिक्षेत्र अधिकारी ढाना	— — — —	परिक्षेत्र अधिकारी सागर परिक्षेत्र अधिकारी राहतगढ़ परिक्षेत्र अधिकारी गढाकोटा परिक्षेत्र अधिकारी ढाना	उप वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर
5.	उप वन मंडल अधिकारी, देवरी	—	उप वन मंडलाधिकारी, देवरी	वन मंडलाधिकारी, दक्षिण सागर
6.	1. परिक्षेत्र अधिकारी देवरी 2. परिक्षेत्र अधिकारी केसली 3. परिक्षेत्र अधिकारी गौरज्ञामर	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी देवरी परिक्षेत्र अधिकारी केसली परिक्षेत्र अधिकारी गौरज्ञामर	उप वन मंडल अधिकारी देवरी
7.	वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर	मुख्य लिपिक वन मंडल	उप वन मंडलाधिकारी उत्तर सागर	वन मंडलाधिकारी उत्तर सागर
8.	उप वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर	—	उप वन मंडलाधिकारी उत्तर सागर	वन मंडलाधिकारी उत्तर सागर
9.	1. परिक्षेत्र अधिकारी खुरई 2. परिक्षेत्र अधिकारी बांदरी	— —	परिक्षेत्र अधिकारी खुरई परिक्षेत्र अधिकारी बांदरी	उप वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर
10.	उप वन मंडल अधिकारी, बण्डा	—	उप वन मंडलाधिकारी, बण्डा	वन मंडलाधिकारी, बण्डा
11.	1. परिक्षेत्र अधिकारी बण्डा 2. परिक्षेत्र अधिकारी शाहगढ़	— —	परिक्षेत्र अधिकारी बण्डा परिक्षेत्र अधिकारी शाहगढ़	उप वन मंडल अधिकारी बण्डा
12.	वन मंडल अधिकारी नौरादेही र्वि.प्रा.क्रसागर	मुख्य लिपिक वन मंडल	वन मंडलाधिकारी नौरादेही र्वि.प्रा.क्रसागर	मुख्य वन संरक्षक वन वृ। सागर
13.	उप वन मंडल अधिकारी, रहली र्वि.प्रा.क्र	—	उप वन मंडल अधिकारी, रहली र्वि.प्रा.क्र	वन मंडलाधिकारी नौरादेही र्वि.प्रा.क्रसागर
14.	1. परिक्षेत्र अधिकारी मोहली 2. परिक्षेत्र अधिकारी सिंगपुर 3. परिक्षेत्र अधिकारी झापन	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी मोहली परिक्षेत्र अधिकारी सिंगपुर परिक्षेत्र अधिकारी झापन	उप वन मंडल अधिकारी नौरादेही र्वि.प्रा.क्र

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
15.	उप वन मंडल अधिकारी बरमान	—	उप वन मंडलाधिकारी बरमान	वन मंडलाधिकारी नौरादेही र्वि.प्रा.क्रसागर
16.	1. परिक्षेत्र अधिकारी नौरादेही 2. परिक्षेत्र अधिकारी सर्वा 3. परिक्षेत्र अधिकारी डॉगरगांव	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी नौरादेही परिक्षेत्र अधिकारी सर्वा परिक्षेत्र अधिकारी डॉगरगांव	उप वन मंडल अधिकारी बरमान
17.	वन मंडल अधिकारी दमोह	मुख्य लिपिक	वन मंडल	स.व.सं. संलग्न अधिकारी वन मंडलाधिकारी दमोह
18.	उप वन मंडल अधिकारी दमोह	—	उप वन मंडलाधिकारी दमोह	वन मंडलाधिकारी दमोह
19.	1. परिक्षेत्र अधिकारी दमोह 2. परिक्षेत्र अधिकारी हटा 3. परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी 4. परिक्षेत्र अधिकारी सिंग्रामपुर 5. परिक्षेत्र अधिकारी सिंगौरगढ़	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी दमोह परिक्षेत्र अधिकारी हटा परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी परिक्षेत्र अधिकारी सिंग्रामपुर परिक्षेत्र अधिकारी सिंगौरगढ़	उप वन मंडल अधिकारी दमोह
20.	उप वन मंडल अधिकारी तेन्दूखेड़ा	—	उप वन मंडलाधिकारी तेन्दूखेड़ा	वन मंडलाधिकारी दमोह
21.	1. परिक्षेत्र अधिकारी तेन्दूखेड़ा 2. परिक्षेत्र अधिकारी तेजगढ़ 3. परिक्षेत्र अधिकारी झलौन 4. परिक्षेत्र अधिकारी तारादेही	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी तेन्दूखेड़ा परिक्षेत्र अधिकारी तेजगढ़ परिक्षेत्र अधिकारी झलौन परिक्षेत्र अधिकारी तारादेही	उप वन मंडल अधिकारी तेन्दूखेड़ा

सिवनी वृत्त

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त सिवनी	अधीक्षक वृत्त कार्यालय	संलग्नाधिकारी वृत्त कार्यालय	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त सिवनी
2	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी सिं.क्रव.मं.	मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय	संलग्नाधिकारी वनमंडल कार्यालय	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी सिं.क्रव.मं.
3	उप वनमंडलाधिकारी छपारा सिं.क्रउप वनमंडल	—	उप वनमंडलाधिकारी छपारा सिं.क्रउप वनमंडल	
4	उप वनमंडलाधिकारी लखनादौन सिं.क्रउप वनमंडल	—	उप वनमंडलाधिकारी लखनादौन सिं.क्रउप वनमंडल	
5	परिक्षेत्र अधिकारी छपारा सिं.क्र परिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी छपारा सिं.क्रपरिक्षेत्र	उप वनमंडलाधिकारी छपारा सिं.क्रउप वनमंडल
6	परिक्षेत्र अधिकारी कहानी सिं.क्र परिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी कहानी सिं.क्रपरिक्षेत्र	
7	परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन सिं.क्रपरिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन सिं.क्रपरिक्षेत्र	उप वनमंडलाधिकारी लखनादौन सिं.क्रउप वनमंडल
8	परिक्षेत्र अधिकारी धूमा सिं.क्र परिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी धूमा सिं.क्र परिक्षेत्र	
9	परिक्षेत्र अधिकारी घंसौर सिं.क्र परिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी घंसौर सिं.क्रपरिक्षेत्र	
10	परिक्षेत्र अधिकारी शिकारा सिं.क्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी शिकारा	

' kgMksy oRr

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1.	ਮੁਖ ਵਨਸੰਨਕ ਸ਼ਹਡੋਲ	ਅਧੀਕਾਰੀ	ਸੱਲਗਨਾਧਿਕਾਰੀ	ਮੁਖ ਵਨਸੰਨਕ ਸ਼ਹਡੋਲ
2.	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਤ ਅਤ ਸ਼ਹਡੋਲ	ਮੁਖਲਿਪਿਕ	ਸੱਲਗਨਾਧਿਕਾਰੀ	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਤ ਅਤ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ.
3.	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਜੈਸਿਂਹਨਗਰ	1.ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਜੈਸਿਂਹਨਗਰ 2.ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਅਮਜ਼ੋਰ	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਜੈਸਿਂਹਨਗਰ ।	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਤ ਅਤ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ.
4.	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹਾਰੀ	1.ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰ੍ਵ ਵਾਹਾਰੀ 2..ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਪਥਿਚਮ ਵਾਹਾਰੀ 3.ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਗੋਦਾਵਲ 4.ਕਾਛਾਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹਾਰੀ ।	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹਾਰੀ ।	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਤ ਅਤ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ.
5.	1.ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਜੈਸਿਂਹਨਗਰ ਪਰਿਕੇਤਰ । 2..ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਅਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਕੇਤਰ ।	1.ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਜੈਸਿਂਹਨਗਰ । 2.ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਅਮਜ਼ੋਰ	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਜੈਸਿਂਹਨਗਰ ।	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਤ ਅਤ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ.
6.	1.ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰ੍ਵ ਵਾਹਾਰੀ ਪਰਿਕੇਤਰ । 2..ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਪਥਿਚਮ ਵਾਹਾਰੀ ਪਰਿਕੇਤਰ 3.ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਗੋਦਾਵਲ ਪਰਿਕੇਤਰ । 4.ਕਾਛਾਗਾਰ ਵਾਹਾਰੀ ।	1.ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਪੂਰ੍ਵ ਵਾਹਾਰੀ 2.ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਪਥਿਚਮ ਵਾਹਾਰੀ 3.ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਗੋਦਾਵਲ 4.ਕਾਛਾਗਾਰ ਲਿਪਿਕ	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹਾਰੀ ।	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਤ ਅਤ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ.
7.	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਦਕਿਣ ਸ਼ਹਡੋਲ	ਮੁਖਲਿਪਿਕ	ਸੱਲਗਨਾਧਿਕਾਰੀ	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਦਕਿਣ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ.
8.	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਹਾਗਪੁਰ	1.ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਗੋਹਪਾਰੂ 2..ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਖੀਂ ਔਈ 3.ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਡੋਲ 4. ਕਾਛਾਗਾਰ ਨਰਸਰਹਾ ।	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਹਾਗਪੁਰ ।	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਦਕਿਣ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ.
9.	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਜੈਤਪੁਰ	1.ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਬੁਢਾਰ 2..ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ਼ਵਾਹੀ 3.ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਜੈਤਪੁਰ	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਜੈਤਪੁਰ ।	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਦਕਿਣ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ.
10.	1.ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਗੋਹਪਾਰੂ ਪਰਿਕੇਤਰ । 2..ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਖੀਂ ਔਈ ਪਰਿਕੇਤਰ । 3.ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਡੋਲ ਪਰਿਕੇਤਰ । 4. ਕਾਛਾਗਾਰ ਨਰਸਰਹਾ	1.ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਗੋਹਪਾਰੂ 2.ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਖੀਂ ਔਈ 3.ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਸ਼ਹਡੋਲ 4. ਕਾਛਾਗਾਰ ਲਿਪਿਕ	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਹਾਗਪੁਰ ।	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਦਕਿਣ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ.
11.	1.ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਬੁਢਾਰ ਪਰਿਕੇਤਰ । 2..ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ਼ਵਾਹੀ ਪਰਿਕੇਤਰ 3.ਵਨਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਜੈਤਪੁਰ ਪਰਿਕੇਤਰ ।	1. ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਬੁਢਾਰ 2.ਪਰਿਕੇਤਰਲਿਪਿਕ ਕੇਸ਼ਵਾਹੀ 3.ਪਰਿਕੇਤਰ ਲਿਪਿਕ ਜੈਤਪੁਰ	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਜੈਤਪੁਰ ।	ਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ. ਦਕਿਣ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵ.ਮ
12.	ਵਨਸੰਨਕ ਪਦੇਨ ਵ.ਮ.ਅ.ਉਮਰਿਆ	ਮੁਖਲਿਪਿਕ	ਸੱਲਗਨਾਧਿਕਾਰੀ	ਵਨਸੰਨਕ ਪਦੇਨ ਵ.ਮ.ਅ. ਉਮਰਿਆ ।
13.	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ ਉਮਰਿਆ	1.ਪਰਿਕੇਤਰਧਿਕਾਰੀ ਉਮਰਿਆ	ਉਪਵਨਮਣਡਲਾਧਿਕਾਰੀ	ਵਨਸੰਨਕ

Ø-	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vihy়; vf/kdkjh
		2.পরিক্ষেত্রধিকারী নৌরোজাবাদ 3.পরিক্ষেত্রধিকারী চেঁদিয়া 4. কাষ্টাগার উমরিয়া ।	উমরিয়া ।	পদেন ব.ম.অ. উমরিয়া ।
14.	উপবনমণ্ডলাধিকারী পালী	1.পরিক্ষেত্রধিকারী ঘুনঘুটী 2..পরিক্ষেত্রধিকারী পালী	উপবনমণ্ডলাধিকারী পালী ।	বনসংরক্ষক পদেন ব.ম.অ. উমরিয়া ।
15.	উপবনমণ্ডলাধিকারী মানপুর	1.পরিক্ষেত্রধিকারী মানপুর 2.পরিক্ষেত্রধিকারী পনপথা 3.পরিক্ষেত্রধিকারী ধমোখর	উপবনমণ্ডলাধিকারী মানপুর	বনসংরক্ষক পদেন ব.ম.অ. উমরিয়া ।
16.	1.পরিক্ষেত্রধিকারী উমরিয়া 2.পরিক্ষেত্রধিকারী নৌরোজাবাদ 3.পরিক্ষেত্রধিকারী চেঁদিয়া 4.কাষ্টাগার উমরিয়া ।	1.পরিক্ষেত্র লিপিক উমরিয়া 2.পরিক্ষেত্র লিপিক নৌরোজাবাদ 3.পরিক্ষেত্র লিপিক চেঁদিয়া 4. কাষ্টাগার লিপিক	উপবনমণ্ডলাধিকারী উমরিয়া ।	বনসংরক্ষক পদেন ব.ম.অ. উমরিয়া ।
17	1.পরিক্ষেত্রধিকারী ঘুনঘুটী 2..পরিক্ষেত্রধিকারী পালী	1..পরিক্ষেত্র লিপিক ঘুনঘুটী 2.পরিক্ষেত্র লিপিক পালী	উপবনমণ্ডলাধিকারী পালী ।	বনসংরক্ষক পদেন ব.ম.অ. উমরিয়া ।
18	1.পরিক্ষেত্রধিকারী মানপুর 2.পরিক্ষেত্রধিকারী পনপথা 3.পরিক্ষেত্রধিকারী ধমোখর	1.পরিক্ষেত্র লিপিক মানপুর 2.পরিক্ষেত্র লিপিক পনপথা 3.পরিক্ষেত্র লিপিক ধমোখর	উপবনমণ্ডলাধিকারী মানপুর	বনসংরক্ষক পদেন ব.ম.অ. উমরিয়া ।
19.	বনমণ্ডলাধিকারী অনূপপুর বনমণ্ডল	মুখ্য লিপিক	সংলগ্নাধিকারী	বনমণ্ডলাধিকারী অনূপপুর বনমণ্ডল
20.	উপবনমণ্ডলাধিকারী অনূপপুর	1.পরিক্ষেত্রধিকারী অনূপপুর 2. পরিক্ষেত্রধিকারী কোতমা 3.পরিক্ষেত্রধিকারী বিজুরী	উপবনমণ্ডলাধিকারী অনূপপুর	বনমণ্ডলাধিকারী অনূপপুর বনমণ্ডল
21.	উপবনমণ্ডলাধিকারী রাজেন্দ্রগ্রাম	1.পরিক্ষেত্রধিকারী অমরকণ্ঠক 2.পরিক্ষেত্রধিকারী অহিরংগবো 3.পরিক্ষেত্রধিকারী জৈতহরী	উপবনমণ্ডলাধিকারী রাজেন্দ্রগ্রাম	বনমণ্ডলাধিকারী অনূপপুর বনমণ্ডল
22	1.পরিক্ষেত্রধিকারী অনূপপুর 2.পরিক্ষেত্রধিকারী কোতমা 3.পরিক্ষেত্রধিকারী বিজুরী	1.পরিক্ষেত্র লিপিক অনূপপুর 2.পরিক্ষেত্র লিপিক কোতমা 3.পরিক্ষেত্র লিপিক বিজুরী	উপবনমণ্ডলাধিকারী অনূপপুর	বনমণ্ডলাধিকারী অনূপপুর বনমণ্ডল
23.	1.পরিক্ষেত্রধিকারী অমরকণ্ঠক 2.পরিক্ষেত্রধিকারী অহিরংগবো 3.পরিক্ষেত্রধিকারী জৈতহরী	1.পরিক্ষেত্র লিপিক অমরকণ্ঠক 2.পরিক্ষেত্র লিপিক অহিরংগবো 3.পরিক্ষেত্র লিপিক জৈতহরী	উপবনমণ্ডলাধিকারী রাজেন্দ্রগ্রাম	বনমণ্ডলাধিকারী অনূপপুর বনমণ্ডল

f' koi gh orr

ক.	কার্যালয় কা নাম	সহায়ক লোক সূচনা অধিকারী	লোক সূচনা অধিকারী	অপীলীয় অধিকারী
1	মুখ্য বন সংরক্ষক এবং পদেন বনসংরক্ষক	অধীক্ষক বৃত্ত	সহায়ক বন সংরক্ষক সংলগ্নাধিকারী	মুখ্য বন সংরক্ষক এবং পদেন বনসংরক্ষক
2	বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল শিবপুরী	মুখ্যলিপিক বনমণ্ডল শিবপুরী	সহায়ক বন সংরক্ষক সংলগ্নাধিকারী	বন সংরক্ষক এবং পদেন বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল শিবপুরী
3	উপ বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল শিবপুরী	—	উপ বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল শিবপুরী	বন সংরক্ষক এবং পদেন বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল শিবপুরী
4	উপ বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল করৈরা	—	উপ বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল করৈরা	বন সংরক্ষক এবং পদেন বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল শিবপুরী
5	বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল গুনা	মুখ্যলিপিক বনমণ্ডল গুনা	সহায়ক বন সংরক্ষক সংলগ্নাধিকারী	বন সংরক্ষক এবং পদেন বনমণ্ডলাধিকারী, সামান্য বনমণ্ডল গুনা

mTtSj oRr

01	dk; kly; dk uke	I gk; d ykd I puk vf/kdkjh	ykd I puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	चन्द्रकेशर	चन्द्रकेशर	चन्द्रकेशर	उत्पादन देवास
31	उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन बागली	उप व०म०कार्यालय लिपिक उत्पा० बागली	उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन बागली	वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास
32	1. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रपीपरी 2. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रसतवास 3. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रपुजापुरा 4. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रबागली 5. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रउदयनगर	परिलिपिक ईत्पाक्रपीपरी परिलिपिक ईत्पाक्रसतवास परिलिपिक ईत्पाक्र पुजापुरा परिलिपिक ईत्पाक्रबागली परिलिपिक ईत्पाक्र उदयनगर	1. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रपीपरी 2. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रसतवास 3. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रपुजापुरा 4. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रबागली 5. वन परिक्षेत्रधिकारी ईत्पाक्रउदयनगर	उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली

v/; k; 2 ½; ny & ch&xvii½
vU; mi ; ksxh tkudkfj ; ka
(Other useful information)

मध्यप्रदेश प्रकृति से सजा संवरा प्रदेश है। केन्द्रीय भारत की अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी हमारे प्रदेश में स्थित है, जिनके जल ग्रहण क्षेत्रों को बनाच्छादित रखने का दायित्व भी राष्ट्रीय हित में प्रदेश पर ही है। मध्यप्रदेश के वन जैव विविधता से परिपूर्ण हैं। जहां एक ओर ग्वालियर, भिंड, राजगढ़ आदि में झाड़ीदार वन हैं वहीं दूसरी ओर मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी एवं शहडोल में विशाल वृक्षों वाले सागौन एवं साल वन हैं। देश के प्राचीनतम रहवासी आदिवासियों का प्रमुख आवास स्थल मध्यप्रदेश है।

मध्यप्रदेश के वनों का समुचित प्रबंध न केवल मध्यप्रदेश हेतु अपितु इसकी सीमा से लगे हुए प्रदेशों हेतु भी महत्वपूर्ण है। वनों का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास वन विभाग द्वारा किया जाता है। वनों के भीतर और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त लघु वनोपज, छोटी इमारती लकड़ी, जलां^l लकड़ी बांस, चारा आदि निस्तार सुविधाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ जिलों में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से अंदरुनी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न के बदले में संग्रहित कल्याण निधि से इन ग्रामीणों के लिए विकास कार्य भी कराये जाते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 308252 वर्ग कि०मी० है, जिसमें लगभग 95221 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में वन भूमि है। प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वन वृत्त तथा 63 क्षेत्रीय वन मण्डल कार्यरत हैं। वैधानिक दृष्टिकोण से वनक्षेत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत 58734 वर्ग कि०मी० आरक्षित वन 35587 वर्ग कि०मी० संरक्षित वन तथा 900 वर्ग कि०मी० अवर्गीकृत वन हैं। राज्य का वनक्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 31 प्रतिशत है। प्रदेश के वनक्षेत्र में कुल 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभ्यारण्य हैं, जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10862 वर्ग कि०मी० है। अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत वनक्षेत्र, राज्य के कुल वनक्षेत्र का 11.4 प्रतिशत है।

ou | j {k.k dh xfrefof/k; ka

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव के कारण वन संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सर्वियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्तमान में 311 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु वाहन उपलब्ध है। वन चौकियों पर गठित गश्ती दलों के लिये 12 बोर की 2,600 नई बंदूकें पिंप्प एक्सन गनक्र प्रदाय की गई हैं। परिक्षेत्र अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को प्रदाय हेतु 136 रिवाल्वर/पिस्टल का प्रदाय किया जा रहा है। परिक्षेत्र स्तर पर वन गश्ती एवं सुरक्षा हेतु किराये के वाहन भी उपलब्ध कराये गये हैं। संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु 4,266 वायरलेस सेट, 5490 मोबाइल सिम, 2946 मोबाइल हेण्ड सेट, 900 पी.डी.ए. एवं 900 बायनाकूलर प्रदाय किये गये हैं।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कंपनियां भी तैनात की गई हैं।

वन सुरक्षा में लगे वन कर्मियों को सी.आर.पी.सी. की धारा—197फ्रॅक्टके अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रदाय किये गए शासकीय 12 बोर बन्दूक रखने हेतु लायर्सेंस की आवश्यकता नहीं है। वन सुरक्षा के लिये गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने के लिये मुख्यबिर तंत्र विकसित किया गया है।

मध्य प्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004' के अंतर्गत वन अपराध की दोषसिद्धि या उसके प्रशमन पर, वन अपराध का पता लगाने में, अपराधी को पकड़ने में, अपराधी की दोषसिद्धि होने में, वनोपज या अन्य वस्तुओं की जस्ती में सहायता देने वाले व्यक्तियों को अधिकतम रूपये 25,000 का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

ou | j{kk e॥ | puk i ksl kfxdh dk mi ; kx

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित^७ वन अपराध प्रबंधन प्रणाली^८ रिफ.ओ.एम.एसक्र विकसित की गई है। इसके अंतर्गत अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है। अग्नि दुर्घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु 'अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली' फियर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टमक्र विकसित की गई है। अवैध उत्थनन की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सेटेलाईट इमेजरी का प्रयोग किया जा रहा है।

वन अपराध की सूचना देने के लिये भोपाल में राज्य स्तरीय वन अपराध सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र को बी.एस.एन.एल. के फोन लिंग्ड लाईन एवं मोबाइलक्रसे नंबर 155312 अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं के फोन लिंग्ड लाईन एवं मोबाइलक्रसे नंबर 1800 233 4396 पर निःशुल्क डायल कर कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं से भी वन अपराध संबंधी गोपनीय सूचना 24 घंटे में कभी भी दे सकता है। इन शिकायतों पर समयसीमा में कार्यवाही करते हुए सूचनादाता को की गई कार्यवाही बाबत् अवगत कराने का प्रावधान है।

i fj ogu vuKki = &

ग्रामीणों की सुविधा के लिये, नीलगिरी, कैजुरिना, सूबबूल, बबूल, खमेर, पापुलर, इजरायली बबूल, विलायती बबूल, कटंग बांस व आयातित / शंकुधारी काछ चीड़, कैल, देवदार और पाईनक्र की अन्य समस्त प्रजातियां जो म०प्र० में नहीं पाई जाती हैं, को परिवहन अनुज्ञापत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त सिरिस, बेर, पलास, जामुन, रिमझा, नीम, आम व कटंग बांस से भिन्न बांस रिंगड़वा, बैतूल, होप्रंगाबाद, हरदा, छिन्दवाड़ा सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया और सीधीक्र कुल 14 जिले के सिवाय, उक्त प्रजातियों के परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया है।

vui॥ ikku foLrkj , o॥ ykdkdfudh

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण का कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक—एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं।

प्रदेश में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त अंतर्गत 161 रोपणियाँ स्थापित हैं जहाँ मांग अनुसार उचित गुणवत्ता के पौधे तैयार कर प्रदाय किये जाते हैं।

प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये किसान लक्ष्मी योजना लागू वित्तीय वर्ष 2013–14 से लागू की गई है।

लोकवानिकी योजना अंतर्गत निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु विभिन्न वनमंडलों में 2877 प्रबंध योजना स्वीकृत हुई है। 10 हेंड से कम क्षेत्र की प्रबंध योजना हेतु सरलीकृत लोकवानिकी मार्गदर्शिका जारी की गई है।

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों द्वारा रोपणी कार्यों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

ou vf/kdkj vf/kfu; e ds v/rxfr ouHkfe dk l; i orlu

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विंन अधिकारों की मान्यताक्र अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3 रिंकके तहत ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक हैकटेयर से कम वनभूमि, जिनमें प्रति हैकटेयर 75 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, निम्न विकास कार्यों के लिये व्यपवर्तन हेतु निर्धारित शर्तों पर स्वीकृति के अधिकार प्रावधानित किये गये हैं:-

पाठशालाएं, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकानें, विद्युत एवं दूरसंचार लाईने, टंकियां और अन्य लघु जलाशय पेयजल की आपूर्ति हेतु जल प्रदाय के लिये पाइप लाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरे, अपारम्परिक { ज्ञा स्त्रेत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़क तथा सामुदायिक केन्द्र स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रीया भारत सरकार के पत्र मांक 23011 / 15 / 2008 एसजी दि. 18 मई 2009 द्वारा जारी की गई है तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिनांक 29.05.2009 को जारी किए गए हैं।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र . एफ-5-11/2006/10-3 दिनांक 24.12.2011 द्वारा एल.डब्ल्यू.ई. (Left wing Extremism) नक्सलाईट प्रभावित जिलों, अनूपपुर, बालाघाट, डिण्डौरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सीधी एवं उमरिया में जनपयोगी विकास कार्यों हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन 2.00 हैकटेयर के स्थान पर 5.00 हैकटेयर तक वनभूमि व्यपवर्तन के अधिकार निम्नानुसार प्रयोजनों हेतु क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारियों को दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि के लिये प्रदत्त किये गये हैं।

स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, विद्युत एवं संचार लाईने, पीने के पानी की व्यवस्था, वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टेक्चर्स, छोटी सिंचाई नहरें, गैर पारम्परिक { ज्ञा स्त्रेत, कुशल उन्नयन/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत उपस्टेशन, ग्रामीण सड़क, संचार पोस्ट, गृह मंत्रलय, भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/आउटपोस्ट/वाच टावर, भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल/टेलीफोन लाइन/पीने के पानी की सप्लाई लाइन इत्यादि।

i/vkueah xkeh.k l Mdf ; kst uk ds vr/rxfr ekxk ds mlu; u dh Lohdfr

भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.04.2005 के तारतम्य में वन क्षेत्र से गुजर रहे मार्गों के उन्नयन हेतु वन मण्डलाधिकारी को प्रत्यायोजित अधिकारों के तहत म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु डिमारीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के बादक्रसशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। राज्य शासन के पत्र दिनांक 21.11.2006 में उपलब्ध मार्ग में ही 'राईट आफ वे' के तहत स्वीकृति हेतु समस्त वनमण्डलाधिकारियों को निर्देश दिये गये। भारत सरकार की 2006 की पर्यावरणीय अधिसूचना के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

dfik l si kfr jkf'k dk mi ; kx

वन संरक्षणक्राधियिनम्, 1980 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.2002 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रलय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैम्पाक्रसे प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में निम्नानुसार निकाय तथा समितियों का गठन किया गया—

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2009 द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में नीति निर्धारण तथा समीक्षा हेतु शासी निकाय का गठन किया गया। माननीय मंत्री, वन विभाग, वित्त विभाग एवं योजना, आर्थिक एवं सांचियकी तथा अन्य अधिकारी इस निकाय के सदस्य हैं। सचिव, वन विभाग इस निकाय के सदस्य सचिव है।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2009 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति फ़िर्स्टयरिंग कमेटीक्रका गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रलय के प्रतिनिधि एवं अशासकीय संगठन के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू—प्रबंधकसदस्य सचिव हैं।
3. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 31.07.2009 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में कार्यकारणी समिति का गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त अशासकीय संगठनों के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक फ़िर्विकासक्रसदस्य सचिव हैं।

ou Hk&vfHkys[k
ouxkek dks jktLo xkek e i fjofrj dj uk%&

मध्यप्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव भारत सरकार को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में जिलेवार प्रेषित किये गये हैं। 925 वनग्रामों में से 15 वनग्राम वीरान एवं 17 वनग्राम विस्थापित हैं तथा 27 वनग्राम राष्ट्रीय उद्यानों एवं 39 वनग्राम अभ्यारण्यों में स्थित हैं। इस तरह इन 98 वनग्रामों के प्रस्ताव शासन निर्देशानुसार भारत सरकार को नहीं भेजे गये। 827 वन ग्रामों में से में से 310 वनग्रामों के लिये भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष 517 वन ग्रामों के प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.2004 द्वारा भारत सरकार की उक्त स्वीकृति पर स्थगन जारी किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विंव अधिकारों की मान्यताक्र अधिनियम 2006 की धारा 3 रिंक्रिज के अनुसार वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन का प्रावधान है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र दिनांक 7.06.2009 द्वारा सभी जिलाध्यक्षों तथा वनमंडलाधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दावा प्राप्त होने पर वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये थे। लेकिन भारत सरकार जनजाति कल्याण मंत्रलय का पत्र मांक 23011/28/2008—एस.जी.जी. II दिनांक 3.12.2008 के अनुसार वन सिंरक्षणक्र अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रलय के पत्र मांक 13—1/90—एफ.पी डिक्रिनांक 18.09.1990 से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही करके ही वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा सकता है। और ग्राम सभा में दावा प्राप्त होने पर वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भी यह कार्यवाही की जा सकती है। भारत सरकार जनजाति कल्याण मंत्रलय से प्राप्त उक्त पत्र के निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र मांक 905 दिनांक 12.08.2011 से निर्देश जारी किये गये हैं। आदिम जाति कार्य मंत्रलय भारत सरकार के पत्र मांक 23011/28/2008—SGII(FRA) दिनांक 1.09.2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रलय, पंचायती राज मंत्रलय और विधि एवं न्याय मंत्रलय

की सलाह के आधार पर स्पष्ट लिखा गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वनग्राम को राजस्व ग्राम नहीं बनाया जा सकता है।

ou jktLo I hekdu

राज्य शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमाकंन की कार्यवाही की जा रही है। वन सीमा से लगे ग्रामों की कुल संख्या 19,717 है, जिसमें से 19,491 १९८ प्रतिशतक ग्रामों के सीमा विवाद का निराकरण किया जा चुका है। शेष 226 ग्रामों में मुख्यतः नक्शे उपलब्ध न हो पाने के कारण निराकरण में कठिनाई हो रही है।

I g̃t̃ ou i c̃ku

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 के संशोधित संकल्प पारित किया गया है जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है – संघन क्षेत्रों में वन सुरक्षा समिति, बिगड़े वन क्षेत्रों में ग्राम वन समिति तथा संरक्षित क्षेत्रों में ईको विकास समिति।

संकल्प के अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.01.08 द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुए अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं, साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

1- वन समितियों की कुल संख्या 15,228 है, जिनके द्वारा 66874 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है –

I fefr dk i d̃kj	I fefr; k̃ d̃h I g̃t̃; k	i c̃f/kr ou {ks=
ग्राम वन समिति	9650	37268 वर्ग किमी
वन सुरक्षा समिति	4747	25904 वर्ग किमी
ईको विकास समिति	831	3702 वर्ग किमी
; kx	15228	66874 oxl fdəh

2- ou I fefr; k̃ d̃ks ykHkkd k forj .k&

- (i) **ckd ykHkkd k & मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार, शासनादेश दिनांक 30.05.12 के द्वारा कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभांश 20 प्रतिशत से बढ़ाकर शत-प्रतिशत, नगद वितरित करने का निर्णय लिया गया है।**
- (ii) **dk"B ykHkkd k – काष्ठ लाभांश की राशि का 10 प्रतिशत वर्तमान में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 का काष्ठ एवं बांस का लाभांश जो वर्ष 2013–14 में राशि रु. 37,64,45,442 /&हितग्राहियों को वितरित किया जाना है।**

3- ck̤l , oə vɻ; i t̤kfr ds i k̤ʃk̤a dk j k̤i . k̤&

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से बास्त्र एवं अन्य प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये थे। बास्त्र प्रजाति के 4231247 एवं अन्य प्रजाति के 3627079 इस प्रकार कुल 7262887 पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 7098582 पौधों का रोपण किया जा चुका है।

4- cny [k.M fo'k̤ʃk̤ i f̤j ; kst uk@i kst DV –

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 06 जिलों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य तथा चारागाह विकास कार्य कुल 98,511 हेक्टेयर क्षेत्र में कराये गये हैं। प्रथम चरण के कार्य वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय वनीकरण योजना एवं मनरेगा मद के अंतर्गत प्राप्त राशि से कार्य कराये गये।

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण के अंतर्गत 06 जिलों मशः सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, दतिया, पन्ना में कार्य कराने हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (A.C.A.) मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लिये राशि रूपये 80.02 करोड़ का परियोजना प्रस्ताव बनाया जाकर एन.आर.ए.ए. भारत सरकार को भेजा गया जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के पत्र मांक F.No.Q-1-11050/20/2013-Agri दिनांक 16.09.2013 से प्राप्त हो चुकी है।

5- वनग्राम fodkl %

मध्यप्रदेश में 925 वन ग्राम हैं। इनमें से 867 वनग्रामों में वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक जनजातीय कार्य मंत्रलय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति राशि रु. 259.94 करोड़ में से राशि रु. 245.20 करोड़ के अधोसंरचना विकास कार्य कराये गये हैं। वनग्राम विकास योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त राशि रु. 259.94 करोड़ में से शेष राशि रु. 14.74 करोड़ से भारत सरकार को भेजी गई मूल डी.पी.आर. में प्रस्तावित शेष कार्यों को कराये जाने की अनुमति म.प्र. शासन, वन विभाग मंत्रलय का पत्र ./एफ.–3–52/2013/ 10–2 दिनांक 20.09.13 द्वारा प्रदान की गई है।

मूल डी.पी.आर. के जिन शेष प्रस्तावित कार्यों को कराया जाना संभव न हो अथवा जिन कार्यों को अन्य स्रोतों से पूर्ण करा लिया गया हो, उनके स्थान पर मूल डी.पी.आर. में स्वीकृत किए गए कार्यों की प्रकृति के ही अन्य अधोसंरचना विकास कार्य नियमानुसार एवं क्षेत्रीय मांग के अनुरूप किए जा सकेंगे।

6- jkT; ou fodkl vfHkj dj.k &

राज्य वन विकास अभियान का गठन 19.04.2010 को किया गया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से बिंगड़े वन क्षेत्रों में तथा रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कराना है। राज्य वन विकास अभियान द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण योजना का फ़ियान्वयन किया जाता है।

7- xhu bFMf k fe'ku &

भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रलय द्वारा पचास लाख हैक्टे वन क्षेत्र को वन आच्छादित करने तथा पचास लाख हैक्टे वन क्षेत्रों में वन संबर्धन करने हेतु ‘‘ग्रीन इंडिया मिशन’’ प्रारंभ किया गया है।

8- ij Ldkj for j.k | cdh dk; bkgh &

1/2 'kgñ verk noh fo' ukbz ij Ldkj & मध्यप्रदेश शासन ने प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्तोष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2001 से 2005 तक तीन वर्गों में पुरस्कार दिये गये हैं तथा 2006 से शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों को व्यक्तिगत पुरस्कार पृथक—पृथक दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल पांच वर्गों में पुरस्कार दिये जा रहे हैं। वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वन रक्षा एवं संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति शिंगासकीय एवं अशासकीयक्र को पचास—पचास हजार रुपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वन्यप्राणियों की रक्षा में अदम्य साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति शिंगासकीय एवं अशासकीयक्रको पचास—पचास हजार रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार की राप्रि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

1/2 cl keu ekek Lefr oll; ik.kh | j{k.k ij Ldkj & मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निम्न दो श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की गई।

- foll; {ks= grq ij Ldkj & यह पुरस्कार शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों द्वारा वनों एवं वन्यप्राणियों संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिये प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रदान किया जावेगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मश: रु. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जाएंगे। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकेगा।
- jkt; Lrjh; ij Ldkj & निम्न भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। 5 हैक्टेयर से अधिक तथा 5 हैक्टेयर से कम भूमि पर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण हेतु। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मश: रु. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जायेंगे।

पुरस्कार की राप्रि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

9- ou y{eh; kst uk&2013

इसके अंतर्गत प्रदेश के 16 वन वृगों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से समितियों को आवंटित वन क्षेत्रों में वृा स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य वर्ष 2013–14 में किया गया।

ekuo | d k/ku fodkl

ed; nkf; Ro

- प्रशिक्षण
- वन विद्यालयों का संचालन
- दैनिक वेतन भोगियों से सम्बंधित कार्य
- जायका प्रोजेक्ट का f यान्वयन

or{ku e| pkfyr xfrfot/k; ka %&

1- सेवा में भर्ती उपरांत प्रशिक्षण— विभाग द्वारा सहायक वन संरक्षक, वनक्षेत्रपाल तथा वनरक्षक/वनपालों को विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। वन महाविद्यालय बालाघाट को छोड़कर अन्य सभी वन विद्यालयों में वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून द्वारा प्रायोजित 15 दिवसीय रिेशर कोर्स आयोजित किया जाता है।

2- सेवा के दौरान प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों हेतु एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय कार्यशाला भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है।

3. भारत सरकार के संस्थानों तथा अन्य सम्बंधित संस्थाओं में समय—समय पर सहायक वन संरक्षक हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त समय—समय पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में वनक्षेत्रपाल, सहायक वन संरक्षक एवं भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। प्रमुख संस्थानों का विवरण निम्नानुसार है:-

jkt; ds ckgj Hkkjr | jdkj }jk | pkfyr&

- राज्य वन सेवा महाविद्यालय, देहरादून
- राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटुर तिमिलनाडुक्र
- ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज कुर्सीयोन्ना
- केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण संस्थान, देहरादून
- वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून

jkt; ds Hkhrj %& भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, वनक्षेत्रपाल तथा विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आर०सी०वी०पी० नरोन्हा अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

- कर्मचारियों के लिये लेखा प्रशिक्षण।

JICA i kst DV dk f0; klo; u %& वर्ष 2003–04 राज्यों के वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण की विषय वस्तु दोनों में सुधार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु JICA (Japan International Cooperation Agency) दोनों के मध्य 13 जून 2008 को अनुबंध हुआ, जिसके तहत कुल रु. 225 करोड़ की परियोजना में यह तय हुआ कि JICA द्वारा रु. 206.03 करोड़ ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष राशि प्रिंशासनिक व्यय के रूप मेंक्रकेन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। ऋण चुकाने का सम्पूर्ण दायित्व भारत सरकार का होगा एवं राज्य को यह राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। परियोजना की अवधि 5 वर्ष 3 माह जून 2015 तकक्र है। म०प्र० वन विभाग के अन्तर्गत संचालित 4 वन विद्यालयों बैतूल, अमरकंठक, शिवपुरी एवं लखनादौन ईसिवनीक्रमें इस परियोजना का विस्तार किया जा रहा है।

Lkipuk ckS| kfxdh

1- ccaku | ipuk ç.kkyh ¼, e-vkb], ½ & सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वन एवं वन्य प्राणी प्रबंध को प्रभावप्रील बनाने के लिए पिछले वर्षों में कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित की है। इनमें से फारेस्ट फायर एवं मेसेजिंग सिस्टम (FAMS), फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS), वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम (WLMS) फारेस्ट एम्पलाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (FEDMS) प्रमुख है। इन सभी एप्लीकेशन का उपयोग विभाग के फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सतत् रूप से किया जा रहा है। इनके अलावा प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS), माइनिंग मानिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन भी विकसित की गयी है। PMS एप्लीकेशन द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में किये गये वृक्षारोपण एवं लगाये गये पौधों की जानकारी रख मानिटरिंग की जा सकती है। MMS द्वारा स्वीकृत समस्त खदानों की जियो मैपिंग कर इमेजरी की मदद से देखा जा सकता है।

वर्तमान में कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे ई-ऑक्प्रन, कूप मार्किंग एवं रिकार्डिंग, आडिट मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल टैनिंग सिस्टम, जियो मैपिंग और इमेज एनालिसिस सिस्टम (GMEAS), सी.आर.मैनेजमेंट सिस्टम आदि के विकास का कार्य अन्तिम स्टेज पर है। ई-ऑक्प्रन एप्लीकेशन की सहायता से इमारती लकड़ी की नीलामी में कोई भी व्यक्ति देप्र के किसी भी भाग से नीलामी में भाग ले सकेगा। उन्हें इसके लिए नीलाम डिपों में आने की आवश्यकता नहीं होगी।

2 ठि-व्हिक्स, । -ःक्षेत्रीय वन संग्रहित

वन क्षेत्रों के सभी नक्शों का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है एवं ये डिजीटल नक्शों के रूप में संग्रहित हैं।

समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के डिजीटल नक्शों को मिलाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों का एकीकृत डिजीटल मानचित्र तैयार कर लिया गया है इन डिजीटाईज्ड नक्शों का उपयोग "Geo Forest" application के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी उपयोग कर सकते हैं।

3 फोहक्स्ह; म्व्हिक्स । व्हिज्ञान, ओडीएल; व्हिज्ञान, व्हिक्स और लैफ्कि उक्स &

विभागीय आंकड़ों के सुरक्षित भण्डारण एवं संसाधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा भोपाल मुख्यालय में राज्य स्तर का विभागीय डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। यह डाटा सेंटर जिला स्तर के कार्यालयों से 2एमबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय इन्टरनेट के द्वारा इससे जुड़कर विभागीय एप्लीकेशन्स का उपयोग करते हैं। आंकड़ों का संग्रहण वृहद रूप में सूचना प्रबंध प्रणाली एंव डिजीटल नक्शों के रूप में किया गया है। विभागीय डेटा सेंटर में आधुनिक तकनीक के आधार पर Quad Core Processor based सरवर ₹10क्रएवं High Storage Capacity Storage Area Network (SAN-2), Network Attached Storage (12TB) RAID-V Configured स्थापित हैं। जी.आई.एस. एवं रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में सेटेलाईट डेटा के संग्रहण हेतु High Storage Capacity Storage Area Network (SAN-100TB) एवं 8 Core Processor based सरवर ₹1क्रस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विभागीय डेटा सेंटर को High bandwidth BSNL 10Mbps Leased Line के माध्यम से जोड़ा गया है। डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक Firewall तकनीक का उपयोग किया गया है। विभागीय डेटा सेंटर को माह फरवरी 2013 में मध्य प्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित स्टेट डेटा सेंटर में स्थानांतरित किया जा चुका है जिसका प्रबंधन एवं रखरखाव वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा किया जा रहा है।

4- , मी व्हिउडल &

वानिकी क्षेत्र को तेजी से बदलने परिवृद्धि में उत्कृष्ट नतीजे देने के लिये संस्थागत क्षमता वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) के द्वारा संचालित एजुसेट उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में स्थित वन कर्मचारियों एवं समितियों के सदस्यों को प्रप्रिक्षित करने के लिए 52 स्थानों पर सूचना एवं प्रप्रिक्षण केन्द्र स्थापित कर भोपाल स्थित एडूसेट स्टूडियों से आवश्यक विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है।

भोपाल में स्थित एजुसेट स्टूडियों से वक्ता समस्त 52 प्रप्रिक्षण केन्द्र (SIT) पर न केवल प्रप्रिक्षण देते हैं बल्कि श्रोताओं से सीधे संवाद भी करते हैं। इससे विभाग की प्रप्रिक्षण क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है।

5- फोम; क्षेत्रीय विभिन्न कार्यों की प्रगति

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कार्नफॉसिंग की सुविधा विकसित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है एवं विभागीय प्राथमिकता के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित रूप से व्हिज्ञान हेतु निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तथा विभिन्न कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है।

6- । क्षेत्रीय विभिन्न कार्यों की प्रगति

केन्द्र शासन से सौर { ज्वरा से बिजली उत्पादन की 113 KVA एवं 900 KVA परियोजना हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी वन परिक्षेत्र कार्यालय, वन्य प्राणी कैम्प,

वनोपज नाकों तथा वन चौकियों पर प्रत्येक में 1kw, 5 kw क्षमता के Solar Photovoltaic System की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इससे इन कार्यालयों में लगतार बिजली की उपलब्धता एवं कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा सूचनाओं का आदान-प्रदान वरिष्ठ कार्यालयों में निरन्तर रहेगा जिससे विभागीय कार्यों के प्रबंधन एवं मानिटरिंग सुचारू रूप से हो सकेगी।

7- ok; jyঃ ck.Mcm u\$odl

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ऐसे स्थानों – परिक्षेत्र कार्यालय, नेशनल पार्क के परिक्षेत्र, डिपो तथा चौकियों जहां इंटरनेट की उपलब्धता की समस्या थी पर 105 Canopy, Radio link का उपयोग करके वायरलेस ब्राण्डबैंड लिंक की स्थापना कर उन स्थलों पर नेटवर्क उपलब्ध कराया है।

8- vU; %

- (i) केन्द्र शासित योजना "बुंदलेखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया जिलों के वाटरशेड के नक्शों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है।
- (ii) वन क्षेत्रों एवं वाटरशेड क्षेत्रों का एकीकृत मानचित्र तैयार कर तथा मानचित्र पर वाटरशेड में हुए विकास कार्यों का अंकन प्रगति पर है।
- (iii) विभाग द्वारा उच्च तकनीक युक्त हैन्ड सेट पी.डी.ए. विथ जी.पी.एस.क्र य किये गये हैं जिनमें विभिन्न एप्लीकेशन अपलोड कर मैदानी अमले को प्रदाय किये जा रहे हैं जिसमें विभिन्न कार्य जैसे मुनारे, वन सीमा, प्लान्टेशन, क्षेत्र वन अपराध इत्यादि की सही जानकारी शीघ्रता से उपलब्ध हो सकेगी।

9- foHkkxh; ç; kl k; dh ekU; rk &

वन विभाग में सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु किये गये प्रयासों की पर्यावरण एवं वन मंत्रलय भारत शासन द्वारा सराहना की गई है। विभाग को "Digital Empowerment Foundation" का South Asia "Manthan Award", भारत शासन का "National Governance Award(Gold)", NIC का "Web-ratna Award Gold Icon Award" एवं Geo Spatial Award प्राप्त हुआ है।

OU; i k.kh | j {k.k

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभ्यारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 08 अभ्यारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व स्थापित है। विलुप्तप्रायः पक्षी सोनचिडिया के संरक्षण के लिये करैरा एवं घाटीगांव; खरमोर के संरक्षण के लिये सैलाना एवं सरदारपुर तथा जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये चम्बल, केन एवं सोन घड़ियाल अभ्यारण्य गठित किये गये हैं। इसी प्रकार डिणडौरी जिले में घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जहार०6 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में "डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग" स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिडियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मुंकुन्दपुर जिला सतना में सफेद बाघ के लिए टाइगर सफारी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। बाघ, बारहसिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्य प्राणी प्रजातियाँ हैं। वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंध हेतु अनेक विशिष्ट प्रयास जारी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

oU; i k.kh | j {k.k

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में खोला गया है, जिसका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उड़ीसा राज्य है। वन्यप्राणी अपराध रोकने के लिये राज्य शासन द्वारा टाइगर स्टोइक फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित हैं। वनों के समीपस्थ बसाहटों में भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ने के लिये 09 रेस्क्यू स्क्वॉड गठित किये गये हैं। वन्यप्राणियों के अवयवों की तस्करी को रोकने हेतु 02 श्वानों तथा उनके 04 हेण्डलर्स को प्रशिक्षित कर इटारसी एवं जबलपुर में रखा गया है।

ekuo rFkk oU; i kf.k; ka ds chp }n de djus ds i t kl

संरक्षित क्षेत्रों के गठन से स्थानीय ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे ग्रामों में इको पर्यटन विकास बार्ड के माध्यम से विकास कार्य में संचालित किये जा रहे हैं।

वन सीमा से पांच कि.मी. की परिधि में वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि किये जाने पर तथा कृष्णमृग एवं नीलगाय द्वारा 05 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों में भी फसल हानि किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों को फसल हानि का मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे का निर्धारण एवं भुगतान राजस्व अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित समय—सीमा में राजस्व पुस्तक परिपत्र में दिये गये प्रावधानों अनुसार किया जाता है। वर्ष 2013–14 से इस हेतु राजस्व विभाग के बजट में ही प्रावधान उपलब्ध है।

वन्यप्राणियों द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, तथा क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार वनाधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है एवं भुगतान किया जाता है।

किसी भी वन्यप्राणी सिंप व गुहेरा को छोड़करकद्वारा जन हानि किये जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। जनहानि, जनघायल, पशुहानि के प्रकरणों को लोकसेवा गांरटी अधिनियम, 2010 में शामिल किया गया है जिनके लिये क्षतिपूर्ति राशि मश: रूपये 1.50 लाख एवं इलाज पर हुये व्यय जिनहानिक्र घायल होने पर ₹ 30000/- अधिकतम, स्थाई रूप से अपंग होने पर ₹ 100000/- एवं इलाज पर हुये व्यय तथा पशुहानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है।

I j f{kr {ks=ka | s xkeka dk i uokl

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव वन्यप्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए वन्यप्राणी सिंरक्षणक्र अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के फिटिकल रहवास क्षेत्रों से चिन्हित ग्रामों का व्यवस्थापन किया जाता है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में प्रारंभ में 821 ग्राम थे, जिनमें से 118 गांव विभाग द्वारा अभी तक पुनर्स्थापित कर वन्यप्राणियों के लिए अतिरिक्त भूमि हासिल की गई है। शेष 727 ग्रामों में से 194 ग्रामों को enclave के रूप में रखा जाना तथा 424 ग्रामों को संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों से बाहर किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा पुनर्वास हेतु चयन किये गये ग्रामों में से अभी 105 ग्रामों का विस्थापन शेष है।

वन्यप्राणी संरक्षण की दिशा में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है तथा प्रदेश सरकार भी इस कार्य हेतु राज्य योजना बजट से राशि उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2012–13 में माधव राष्ट्रीय उद्यान के गतवाया, संजय टाइगर रिजर्व के कंजरा, ओरछा अभयारण्य के सिंगपुरा तथा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के झोला, चूरना, कांकड़ी, बदकछार, घोड़ानाल, विरजीखापा, पटन, कांजीघाट,

खामखेड़ी के विस्थापन हेतु ₹0 84.31 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी इस कार्य हेतु ₹0 120 करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं।

i n'k ds Vkbxj fjt ol ds cQj tku dhl vf/kl puk

वन्यप्राणी संरक्षणक्र अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 19006क्र की धारा 38V (4) (ii) के अंतर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। बफर क्षेत्र फि टिकल टाइगर हैबीटेट या कोर क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र है, जहाँ कोर क्षेत्र की तुलना में कम प्रतिबन्धों की आवश्यकता होती है एवं यह फि टिकल टाइगर हैबीटेट की समग्रता के लिये आवश्यक है। मध्यप्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के पूर्व से घोषित बफर क्षेत्र में वृद्धि करते हुये वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत नवीन अधिसूचना जारी की गई है।

इसी प्रकार बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच एवं संजय टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र वर्ष 2010–2011 में अधिसूचित किये जा चुके हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की अधिसूचना अगस्त 2012 में जारी की गई है। 05 टाइगर रिजर्व में फि टीकल टाइगर हैबीटेट पूर्व से ही अधिसूचित है। इस प्रकार समस्त 06 टाइगर रिजर्व के फि टीकल टाइगर हैबीटेट एवं उनके बफर जोन क्षेत्र अधिसूचित किये जा चुके हैं। समस्त बफर जोन क्षेत्र संचालकों के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत लाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

I jf{kr {ks=k ds ckgj oll; i k.kh i cak

टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेटोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है। इस प्रयासों को निरंतर रखने हेतु राज्य शासन के संकल्प 2013 के बिन्दु मांक 30 के फि यान्वयन के लिए एक नवीन योजना स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

I jLdkj ; kst uk

वन्यप्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिये कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार संस्थापित किये गये हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत उप वनसंरक्षक/ सहावन संरक्षक स्तर के लिये 01, वन क्षेत्रपाल स्तर के लिये 01 तथा उप वन क्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक स्तर के लिये 04 पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि ₹0 50 हजार है। पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन हेतु शासन द्वारा प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसमें 06 अधिकारी और 06 अशासकीय सदस्य हैं।

वन्यप्राणियों की सुरक्षा, अनुश्रवण एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उपपरिवर्णित तीन वर्गों में कुल 38 लोगों को वर्ष 2013 के पुरस्कार हेतु प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया गया। चयनित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन्यप्राणी सप्ताह के समापन कार्य म के दौरान दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्तकर्ता अधिकारियों/ कर्मचारियों में 01 वनमण्डलाधिकारी, 01 सहायक वन संरक्षक, 01 सहायक संचालक, 01 उप वनमण्डलाधिकारी, 02 वन क्षेत्रपाल, 03 वनपाल एवं 03 वनरक्षक शामिल हैं।

i 'kq fpfdRI dk ds fu; fDr

संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए राज्य शासन से 10 पशु चिकित्सकों के पृथक कैडर की अनुमति प्राप्त की गई है।

fl g i pukl dk; Øe

एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य में कूनो पालपुर अभयारण्य से ग्रामीणों की सहमति से 24 ग्रामों के 1545 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है। गुजरात के गिर अभयारण्य से सिंहों के पुनर्स्थापन की अनुमति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। दिनांक 15.04.2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार यह कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रलय द्वारा इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसकी दो बैठकें हो चुकी हैं एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक श्री वाय.वी. झाला एवं श्री रवि चेल्लम द्वारा इस संबंध में एक कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा इस कार्ययोजना पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत सिंह पुनर्स्थापन की प्रीया निर्धारित की जायेगी। इसके अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

oll; i k.kh | jf{kr {k=k[e] i ; Nu

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना एवं पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। संरक्षित क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप विगत वर्षों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2012 के अनुसार पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित होने से वर्ष 2012–13 में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। विगत वर्षों में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे हुई आय निम्न तालिका अनुसार है।

o"kl	i ; Ndk dh t; k /ykl[kh	vftlr vkl; /ykl[k : i ; %
2010–11	12.08	1541.16
2011–12	13.07	1996.70
2012–13	09.42	1450.07

dk; l vkl; kstuk , d i fjp; &

वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रत्येक वनमंडल के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र के लिये कार्य आयोजना का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक कार्य आयोजना 10 वर्ष की अवधि के लिये बनाई जाती है एवं 10 वर्ष पश्चात् उसका पुनरीक्षण किया जाता है। कार्य आयोजना एक ऐसा अभिलेख होता है जिसमें सम्बन्धित वनमंडल के वनक्षेत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं सम्पूर्ण वन क्षेत्र का प्रबंधन की योजना शामिल रहती है।

प्रदेश में 16 स्थाई कार्य आयोजना इकाईयों द्वारा मानुसार वनमंडलों के कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण कार्य किया जाता है। कार्य आयोजना इकाई में वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थि किये जाते हैं। कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा दो वर्ष से ढाई वर्ष के समयावधि में कार्य आयोजना का पुनरीक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण के उपरांत राज्य शासन तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रलय द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

dk; l vkl; kstuk dk egRo ,oa vko'; drk

समस्त वनों का प्रबंधन कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाना बंधनकारी है। मध्यप्रदेश में वन विभाग के अधीन शासकीय वनों के प्रबंधन के लिये प्रत्येक वनमण्डल की कार्य आयोजना बनाने का प्रावधान है। वन मण्डल के समस्त वानिकी कार्य, कार्य आयोजना के अनुरूप ही किये जाते हैं। कोई भी वानिकी कार्य जो कार्य आयोजना के प्रावधानों से बाहर हैं यदि करना आवश्यक है तो इसके लिये कार्य आयोजना तैयार की जाना आवश्यक है।
